खण्ड-200, अंक-5
सोमवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(15 दिसम्बर, 1958 ई0)

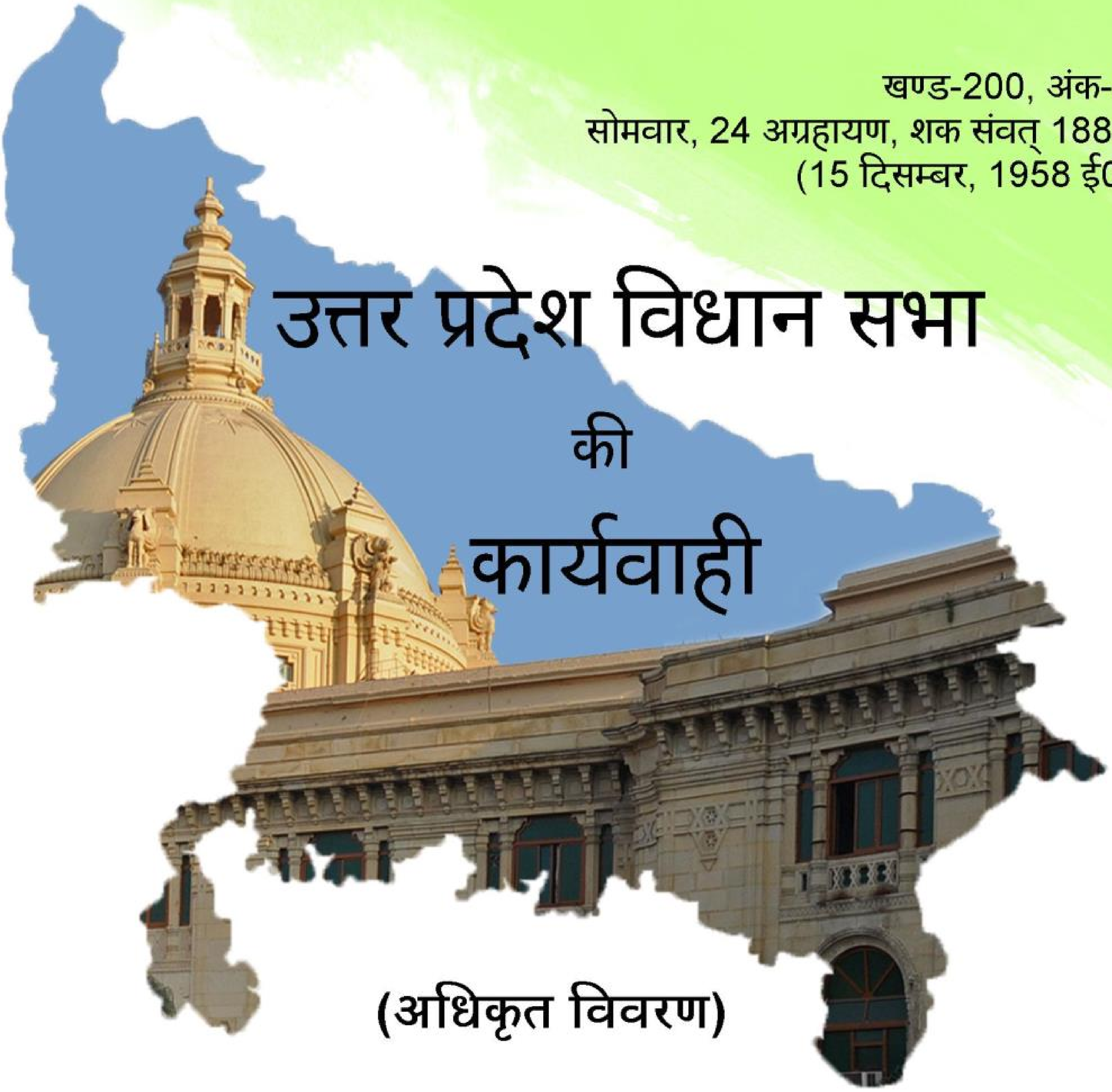

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३९९-४०३
प्रश्नोत्तर	४०३-४३१
मेरठ जिले की चीनी मिलों के बन्द होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३१-४३२
क्रिकेट टेस्ट मैच के सिलसिले में कानपुर में अदालतें बंद होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४३२
जिला प्रतापगढ़ में परियांवा माईनर में पानी की कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३३
बाराबंकी जिले में बड़नपुर की दो स्त्रियों की जीप से मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४३३
प्रदेश के पश्चिमी जिलों व मथुरा जिले में गुड़ तथा गल्ले के भावों में संतुलन न होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३३-४३५
गन्ने के मूल्य के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३५
साहू जैन सोडा ऐश फैक्ट्री को दिये गये ऋण के संबंध में नियम १०७ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	४३५
भावी कार्य-क्रम की सूचना	४३६-४३७
यू०पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४३७
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय--विवाद जारी) ..	४३७-४४५
विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना	४४५-४४६
उत्तर प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (विचार जारी) ..	४४६-४६२
सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव (जारी)	४६२-४६५
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (विचार जारी)	४६५-४७१
सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव (वापस लिया गया)	४७१
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (विचार जारी)	४७२-४७६
नत्थियां	४७७-४९७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती

राजेंद्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरुप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना विकास परिषदों का कार्य-काल समाप्त होना

**१—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आज प्रदेश के कितने जिलों में केन डेवलपमेंट कौंसिल अपना टर्म खत्म होने और नई न बनने के कारण काम नहीं कर रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—प्रदेश में अब तक केवल ६ जिलों की ६ गन्ना विकास परिषदों का कार्य-काल इसी मास के दिनांक ६ से लेकर ११ तक समाप्त हुआ है। इनके नवीनीकरण के संबध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

[गृह मंत्री द्वारा स्थगित १२ दिसम्बर, १९५८ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * *

हरिजन गृह-निर्माणार्थ अनुदान

*१४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साल सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में इस प्रदेश के हरिजनों के मकान बनाने के लिये केंद्रीय सरकार ने कितना धन स्वीकृत किया था ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सन् १९५६-५७ और सन् १९५७-५८ में क्रमशः ६.४५७ लाख तथा ८.६०७ लाख रुपये स्वीकृत किये गये ।

*१५—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त धन में से कितना धन उक्त कार्य के लिये व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त सब धन व्यय हुआ।

*१६—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दो वर्षों में केंद्रीय अनुदान के अलावा प्रदेशीय सरकार ने कितना धन हरिजनों के मकान बनाने हेतु स्वीकार किया था और उसमें से कितना व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त दो वर्षों में केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार ने निम्नलिखित धन हरिजनों के मकान हेतु स्वीकार किया :—

१९५६–५७	..	१,६०,००० रुपये।
१९५७–५८	..	२,००,००० रुपये।

कुल धन व्यय हुआ।

* * * *

*२८-२९—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

कथित जिला छात्रवृत्ति कमेटी

*३७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसके पास जिला छात्रवृत्ति कमेटी में पिछड़े वर्ग के विधायकों को पदेन सदस्य नियुक्त किये जाने की मांग आई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई कमेटी ही नहीं है। अतः निर्णय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

* * * *

बांदा जिले में कथित परिगणित जातीय छात्रावास

*५०—श्री गरीबदास (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कितने परिगणित जातीय छात्रावास हैं और उनको सरकार से कितनी-कितनी सहायता मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला बांदा में इस प्रकार का कोई भी छात्रावास नहीं चल रहा है ? अतः सहायता मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

* * * *

अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क करने के लिए अनुदान

*८८—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क करने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में पृथक-पृथक कितना पया शिक्षण संस्थाओं की क्षति-पूर्ति हेतु दिया है ?

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—

		रुपये
१९५५–५६ में	..	३६,१५,१८४
१९५६–५७ में	..	४०,६०,२६०
और		
१९५७–५८ में	..	५१,८२,९५५।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार ने रिइम्बर्समेंट की सतत वृद्धि को देखते हुए, अनुसूचित छात्रों को निःशुल्क करने के विषय में कोई प्रतिबन्धात्मक राजाज्ञा जारी की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रतिबन्धात्मक राजाज्ञा जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति की रकम दी जाती है। जो निःशुल्क किये जाते हैं उनका रुपया दिया जाता है। जितने विद्यार्थी निःशुल्क होते हैं उनका पैसा सरकार देती है। कभी-कभी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि बजट में पैसा नहीं रहता तो रकम में कमी हो जाती है।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार की भी राजाज्ञा जारी की गयी है कि २५० रुपये से अधिक जिनकी आमदनी हो उनके बच्चों की फीस माफ न की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, संभवतः ऐसा प्रतिबन्ध है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--इन वर्षों में जिनके बारे में सवाल किया गया है कितना ऐसा रुपया रहा जिसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी ? धन की कमी की वजह से ?

श्री इस्तफा हुसैन--इस संबंध में इत्तला इस वक्त नहीं है।

* * * *

गांधी ग्राम बरुवार कालोनी, जिला गोंडा पर व्यय

*९०--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कोई गांधी ग्राम बरुवार कालोनी सन् १९५१-५२ में बनायी गई थी ? यदि हां, तो कुल कितना धन व्यय हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। लगभग २१,५०० रुपये व्यय हुए थे।

*९१--श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)--इसमें कुल कितने मकान बनाये गये थे और उन मकानों की अब क्या दशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त बस्ती में कुल ४३ घर बनाये गये थे जिसमें अब केवल ६ घर रह गये हैं। और घर बरसात व निवासियों की लापरवाही के कारण गिर गये हैं।

*९२--श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)--उपर्युक्त कालोनी में अब कितने परिवार आबाद हैं ? क्या इनको कोई ट्रैक्टर भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी क्या दशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त कालोनी में अब केवल ६ परिवार आबाद हैं। वर्षा ऋतु में १५ परिवार और खेती करने के लिये आ जाते हैं।

बस्ती निवासियों के सामूहिक प्रार्थना पर १२,४८४ रुपये मूल्य का एक ट्रैक्टर जिले की तकावी धनराशि से खरीदा गया था। कालोनी निवासियों की लापरवाही से वह ट्रैक्टर न चल सका और खराब हो गया जो अब २,७०० रुपये में सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेंच दिया गया है।

* * * *

इटावा जिले में कूप निर्माणार्थ सहायता

*९६--श्री सुखलाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितनी परिगणित जातियों व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को हरिजन सहायक विभाग से कुओं के निर्माण की सहायता दी गई, उसमें अब तक कुल कितने बन कर तैयार हुए ?

श्री इस्तफा हुसैन—वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में इटावा जिले में परिगणित जातियों के २५ व्यक्तियों को जल-कूप निर्माण हेतु सहायता दी गई उस में से २२ जल-कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

पिछड़े वर्गों के लोगों को जल-कूप निर्माण हेतु सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८ में एटा में कितनी दरख्वास्तें सहायता के लिये दी गयीं जो नामंजूर हुईं और उसका क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दरख्वास्तों की सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन २५ को कुएं बनाने के लिये रुपया दिया गया था जिनमें से २२ पूरे हो चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जिन परिगणित जाति के लोगों को इम्दाद दी जाती है क्या उनसे पहले यह कहा जाता है कि पहले कुएं खोदकर तैयार कर लो।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो सहायता दी जाती है वह इतनी नहीं होती कि उससे पूरा कुआं बन सके। इसलिये पहले कुआं श्रमदान वगैरह से पूरा कर लिया जाता है। उसको पक्का करने के लिये सहायता दी जाती है।

* * * *

लखनऊ के धोबियों की मांगें

*१०६—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के धोबियों का कोई स्मृति-पत्र उन्हें फरवरी, १९५७ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें प्रस्तुत की गई थीं ?

*१०७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। उसमें निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई हैं :—

१—कपड़े धोने के लिये घाट बनाये जायें तथा उन्हें सुखाने के लिये स्थान की व्यवस्था की जाय।

२—लाण्ड्रीज में काम करने वाले धोबियों के काम की हालत की जांच कराई जाय तथा उनके लिये फैक्ट्रीज ऐक्ट लागू किया जाय।

३—उन्हें लाण्ड्रीज की स्थापना के लिये अनुदान तथा ऋण दिया जाय।

४—धोबियों के बालकों के लिये उन स्कूलों में जहां रंगरेजी, ड्राईक्लीनिंग तथा छपाई का कार्य सिखाया जाता है, छात्रवृत्तियां प्रदान की जायं।

५—कपड़ा धोने के कार्य को "कुटीर उद्योग" घोषित किया जाय।

६—गांव पंचायतों को आदेश दिये जायें कि धोबियों से लिये जाने वाले कर में कमी की जाय।

७—हरिजन सहायक उप-समिति में धोबियों का एक प्रतिनिधि भी रक्खा जाय।

विभिन्न मांगों पर सम्बन्धित विभागों से परामर्श किया गया है।

* * *

इटावा जिले में उद्योगों के लिए हरिजन सहायक विभाग से सहायता

*११८—श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हरिजन सहायक विभाग से इटावा जिले में वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में कितने उद्योगों के लिये सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—६ उद्योगों के लिये सहायता दी गई।

* * *

बाराबंकी जिले की विमोचित जातियों के गृह-निर्माणार्थ अनुदान

*१२९---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी, ग्राम सफदरगंज में अनुसूचित जातियों (कंजड़ों) के लिये जो नियोजन विभाग द्वारा मकान बनवाने हेतु अनुदान दिया गया है उसमें कितने रुपये की स्वीकृति है और कुल कितने मकान बनवाये जावेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन---नियोजन विभाग द्वारा जिला बाराबंकी, ग्राम सफदरगंज में अनुसूचित जातियों (कंजड़ों) के मकान बनवाने हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया। परन्तु हरिजन सहायक विभाग द्वारा बाराबंकी जिले को विमोचित जातियों के मकानों के लिये और उनके सुधार के लिये २,५०० रुपयों का अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस धन से १५ मकानों के सुधार किये जाने की योजना है।

*१३०---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कुल कितने मकान कुल कितनी लागत के बन चुके हैं और कितने बाकी हैं ? प्रत्येक मकान पर कितना खर्च हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन---अभी कोई मकान नहीं बना।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह २,५०० रुपये कब दिये गये थे ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह जो योजना का मैंने जिक्र किया, वह मार्च, १९५५ से आरम्भ हुई थी और उसी योजना के अन्तर्गत ५०० रुपये फी मकान के लिये रखे गये थे जिनमें से १६६ रुपये फी मकान जिसका मकान बनना है, वह सरकार को देना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २५ मकान जो बनाये गये हैं उनमें से कंजड़ों के लिये भी कोई मकान था ? यदि था, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---केवल मकानों की मरम्मत के लिये ये रुपये खर्च हुए हैं, मकान कोई नये अभी बने नहीं हैं। अब उसमें कंजड़ों का भी था या नहीं, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये रुपये सफदरगंज के कंजड़ों के मकान बनाने के लिये रखे गये थे जिनके लिये अन्तरिम जिला परिषद् में सवाल किया गया था। परन्तु सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से कोई मकान वहां कंजड़ों के लिये अभी तक नहीं बन सका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि अनुसूचित जातियों के मकानों की मरम्मत के लिये ये रुपये रखे गये थे और दिये गये थे। कुछ मकानों के सुधार किये गये और कोई नया मकान बना नहीं है। अब उनमें कंजड़ों का भी कोई मकान था या नहीं, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्रश्न में विशेष तौर से कंजड़ों का नाम उल्लिखित है तो प्रश्न में उस नाम के होते हुए भी सरकार ने यह सूचना क्यों नहीं प्राप्त की कि कंजड़ों के लिये कोई मकान बनाया गया है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर में यह स्पष्ट लिखा है कि कंजड़ों के मकान बनाने हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

* * * *

प्रतापगढ़ जिले में हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१३८---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में हरिजन व पिछड़े वर्ग तथा अन्य विद्यार्थियों को अलग-अलग प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सन् १९५७-५८ में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

श्री इस्तफा हुसैन---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नन्दराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी और एकत्रित सूचना माननीय मंत्री जी सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सूचना मिलने पर बतला दी जायगी और जल्दी ही एकत्रित हो जायगी। कुछ सूचना एकत्रित हो भी गयी है, लेकिन उसके वेरिफिकेशन में कुछ समय लगेगा। दूसरी नोटिस मिलने पर उसे पेश कर दिया जायगा।

आजमगढ़ जिले में हरिजन कल्याणार्थ व्यय

*१३९---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में हरिजन कालोनी एवं हरिजन कुओं के निर्माण के हेतु अलग-अलग कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गयी है।
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७७-४७९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि सूची के पृष्ठ संख्या १ पर जो अनुदान दिया गया है उसमें १ से लेकर ५ तक और ६ से ९ तक वित्तीय वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्यों सहायता नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सम्भवतः १९५६-५७ और १९५७-५८ में नियोजन विभाग के पास रुपया काफी था इसलिये नियोजन विभाग से एक अच्छी रकम मिल रही थी, इसलिये इधर से कदाचित् सहायता नहीं दी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या हरिजन कल्याण मंत्री पृष्ठ संख्या ४ को देखेंगे जिसमें कूप निर्माण के लिये २४,७५० रुपये तथा भवन निर्माण के लिये ७५ हजार रुपया रखे गये थे, लेकिन इनमें से १२ हजार रुपये कूप निर्माण के लिये और ३७,५०० रुपये भवन निर्माण के लिये व्यय हुये ? दोनों में आधी-आधी रकम व्यय की गयी तो यह आधी रकम व्यय होने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी तफसील के सम्बन्ध में आप पुनः प्रश्न कर दें तो मैं उत्तर दे सकूंगा। बड़ी लम्बी तफसील है।

अतारांकित प्रश्न

* * * *

५---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये निर्धारित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी

*१---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं कि जिन्हें अभी तक "परमानेन्ट" (स्थायी) नहीं किया गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—नैनीताल—१९।

ज्ञानपुर—१०।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कब तक उक्त कालेजों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन—नैनीताल—१६ कर्मचारी आवश्यक छानबीन के पूरा होने तथा शेष ३ पदों के स्थायी होने पर।

ज्ञानपुर—२ का परीक्षण-काल समाप्त होने पर, ४ कर्मचारियों के कार्य का संतोष-जनक विवरण प्राप्त होने पर, तथा शेष ४ पदों के स्थायी होने पर।

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कालेजों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितनों को क्वार्टर दे दिये गये हैं और कितनों को नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन—नैनीताल—२५ को क्वार्टर दिये गये हैं और १८ को नहीं।

ज्ञानपुर—४ को क्वार्टर दिये गये हैं और २६ को नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों की छानबीन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश देने की कृपा करेंगे कि छानबीन कर के जल्द उनको स्थायी किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जरूर, हां जल्द स्थायी किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नैनीताल में १८ और ज्ञानपुर में २६ लोगों को क्वार्टर्स नहीं मिले हैं तो क्या उनको क्वार्टर एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे खयाल से एलाउंस सम्बन्धी कोई नियम तो नहीं है, लकिन मुझे पूरा पता नहीं है। इस विषय में सूचना मिलेगी तो जवाब दे दूंगा।

छितवापुर चौकी, लखनऊ गोली काण्ड में मृत श्री रामस्वरूप के परिवार को सहायता

*४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २ अगस्त को छितवापुर चौकी (लखनऊ) के सामने विद्यार्थियों के जुलूस पर हुई फायरिंग में कितने व्यक्ति हत या आहत हुए ?

श्री इस्तफा हुसैन—४ व्यक्ति आहत हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

*५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि मृत व्यक्तियों (गोलीकांड से सम्बन्धित) के परिवार को कोई मुआवजा देने जा रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—मृत व्यक्ति के परिवार को २०० रुपये सहायता रूप में दिये गये हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी उन कारणों को बतायेंगे जिन कारणों से वहां फ़ायरिंग करनी पड़ी थी और मृत व्यक्ति की उम्र तथा व्यवसाय क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारणों पर तो यहां हाउस में बड़ा लम्बा-चौड़ा विवाद हो चुका है कार्य-स्थगन प्रस्ताव द्वारा। उस चौकी को लोगों ने घेर लिया था और ढेले फेंकने शुरू किये थे. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप दूसरे हिस्से का जवाब दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--राजा साहब कोटला के यहां काम करते थे रामस्वरूप जी और अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। उम्र सम्बन्धी सूचना तो नहीं है।

श्री मदन पांडेय--उनके आश्रितों की संख्या क्या थी और जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। कोई मुआवजा दिया नहीं गया। उनके परिवार को सहायतार्थ उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कोष से कुछ सहायता कर दी थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि जो ४ व्यक्ति हताहत हुए उनमें विद्यार्थी कितने थे और दूसरे लोग कितने थे और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह विद्यार्थी था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी, वह विद्यार्थी नहीं थे और जो लोग घायल हुए उसमें केवल एक विद्यार्थी था गोमती प्रसाद, लालबाग हायर सेकेन्ड्री स्कूल का। उसके साधारण चोट थी और वह अच्छा हो गया भगवान् की कृपा से।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि जुलूस तो विद्यार्थियों का था। तो जो विद्यार्थी नहीं थे वे क्यों घायल हुए और क्या सरकार ने इस बात की जांच करायी कि गोली को इस ढंग से चलाया गया जो जलूस में नहीं थे उन लोगों के अलावा जो इधर उधर खड़े थे उनके गोली लगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें सजेशन्स और कारण आप पूछते हैं उस चीज का कि गोली विद्यार्थी को छोड़ कर दूसरों को क्यों लगी। भीड़ में अन्य लोग भी होते हैं। आप अपना प्रश्न स्पष्ट कीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रश्न यह है कि सरकार ने इस बात की जांच करायी कि गोली जो दूसरे लोगों को लगी उनके लिये अनिवार्य था या वह गोली चलाने वालों की गलती से लगी ? इस बात की सरकार ने जांच करायी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। उस समय मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी करायी थी और जब विवाद हुआ था तब उस समय भी इस बात का यहां उल्लेख हुआ था और उसका उत्तर दिया जा चुका है। गोली चलाना उस समय जायज समझा गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि जो लोग घायल हुए उनको कोई मुआवजा दिया गया ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--वह उत्तर दे चुके हैं कि मुआविजे का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रश्न यह है कि कोई मुआवजा दिया गया। उसके उत्तर में यह कहा गया कि २०० रुपये सहायता दी गई। तो अगर सहायता शब्द का पूरक प्रश्न में प्रयोग करना आवश्यक हो तो मैं पूछता हूं कि घायलों को कोई सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, किसी को कोई सहायता नहीं दी गई।

डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट कम्प्लेंट्स, शाहजहांपुर के पास शिकायतें

*६--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस कम्प्लेण्ट्स को १ जनवरी, १९५८ से १५ अगस्त, १९५८ तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? उनमें से कितनी शिकायतों की उन्होंने

जांच की तथा उनमें से कितनी सत्य पायीं गयीं ? जो शिकायतें सत्य पायी गयीं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८० पर)

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि जब ४५ पुलिस कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न सजाएं दी गयीं, जिनमें ७,८ सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, तो क्या सरकार ने सजाओं की कोई मुश्तहरी जिले में करायी और थानों में करायी, जिससे दूसरे कर्मचारी शिक्षा ग्रहण करें ?

श्री इस्तफा हुसैन---कोई मुश्तहरी नहीं कराई गई । जो सजाएं किसी को मिलती हैं वे सब को मालूम हो जाती हैं और उसी से लोग सबक लेते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार इस की मुश्तहरी नहीं कराती तो कैसे सब को सूचना हो जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी शिकायतों के बारे में लोगों को तशवीश रहती है कि आखिर में क्या होता है और जब लोगों को जानकारी करने के लिये खुद ख्वाहिश रहती है तो उन को सब कुछ मालूम हो जाता है और लोग उसी से सबक लेते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बढ़त हुये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो इस तालिका से प्रमाणित होता है इस बात की आवश्यकता समझती है कि जिले के अन्य थानों में भी इस बात की सूचना भेज दी जाय कि किस को क्या सजा दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जैसा कि अभी उत्तर में बताया गया कि लोगों को वैसे ही सूचना हो जाती है और खास तौर से पब्लिसिटी करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उस पर हम विचार करगे ।

थाना कांठ, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*७---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना कांठ में १ जनवरी, १९५८ से १५ अगस्त, १९५८ तक कत्ल, डकैती, राहजनी व चोरी की कितनी वारदातें हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री इस्तफा हुसैन---उक्त अवधि में जिला शाहजहांपुर के थाना कांठ में कत्ल की ४, राहजनी की ५ और चोरी की ४५ घटनाएं रिपोर्ट हुईं । डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

उपरोक्त कत्ल, राहजनी और चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८१ पर)

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ राहजनी और ४५ चोरियों---कुल ५० जुर्मों में से केवल १ राहजनी और १ चोरी में सजा हुई है ? क्या इस स्थिति को सरकार संतोषजनक समझती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उन की राय पूछ रहे हैं, कुछ अन्य बात पूछिये ।

श्री देवनारायण भारतीय---यह चोरी और राहजनी के अधिकांश मामले बगैर इन्क्वायरी और सजा के छूट गये इस का क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह सत्य नहीं है कि चोरियों की जो ४५ वारदातें हुईं उन में जांच नहीं हुई। उन में से ४४ में अनुसंधान हुआ, १४ का चालान हुआ और १ को सजा हुई और कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन की तादाद भी १३ है। इससे तो सन्तोष-जनक स्थिति का ही पता चलता है।

*८-१०---श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना-पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१२---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

हिन्दी समिति के कार्यों पर व्यय

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने जो हिन्दी समिति बनाई है उसने १ जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक कौन-कौन से कार्य हिन्दी की प्रगति के लिये किये ?

श्री इस्तफा हुसैन---कार्य विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४८२ पर)

*१४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हिन्दी समिति में प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है तथा इसकी कमेटी में कौन-कौन लोग हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---हिन्दी समिति में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में २,१९,८४३ रु० का व्यय हुआ। समिति के सदस्यों के नाम संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८३ पर)

*१५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हिन्दी समिति जब से स्थापित हुई है उसने कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित कीं ?

श्री इस्तफा हुसैन---समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नाम संलग्न परिशिष्ट 'ग' में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८४ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---श्रीमन्, इसमें यह दिया हुआ है कि ५७,६०० रुपये पुरस्कार में दिये गये, तो वह एक पुस्तक पर दिये गये या कई पुस्तकों पर दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो ११७ पुस्तकों पर इतनी रकम दी गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि समिति की ओर से जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वह समिति के सदस्यों की स्वीकृति से की जाती हैं या किसी व्यक्ति विशेष की स्वीकृति से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विषयों का चयन समिति के सदस्य करते हैं और लेखकों को पुस्तकें लिखने के लिये निर्धारित करते हैं। फिर पांडुलिपियां आती हैं तो उनका सम्पादन होता है और जब स्वीकृत हो जाती हैं तो प्रकाशनार्थ भेजी जाती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह समिति कब बनायी गयी थी और उसने अपना काम कब से शुरू किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह पहले एक हिन्दी परामर्श-दात्री समिति थी जिसका विशेष रूप से काम था उस वर्ष में नयी प्रकाशित पुस्तकों पर कुछ पुरस्कार देना। फिर यह हिन्दी समिति जिसमें कि पुस्तकों के प्रकाशन की भी योजना चलायी गयी, उसका नाम १९५७ से हुआ, दूसरा वर्ष उसका चल रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस समिति को कोई वार्षिक अनुदान दिया जाता है ? अगर हां, तो कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन की एक योजना है, जिसे कि सदन ने स्वीकार किया अपने बजट में। ५ वर्षों में कुल ३० लाख रुपये की योजना थी कि इससे ऐसे ग्रंथ हिन्दी में प्रकाशित किये जायं जो उच्च कोटि के हों और ऐसे विषयों पर हों जिन पर नहीं हैं। उस योजना के अनुसार प्रति वर्ष कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। २१-२२ हो चुकी हैं। ५-६ प्रेस में हैं और बाकी पुस्तकें लिखायी जाती हैं और विषय दार्शनिक होते हैं और वैज्ञानिक जिन पर हिन्दी में कम पुस्तकें हैं। उसकी यह भी चेष्टा है कि ऐसी पुस्तकें लिखी जायं जो बी० ए० और पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हो सकें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि ये पुस्तकें गवर्नमेंट प्रेस में छपी हैं या बाहरी प्रेसों में भी छपी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रकाशन हिन्दी समिति की ओर से होता है। पूरी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं यह गवर्नमेंट प्रेस के अलावा दूसरे प्रेसेज में छपा है। गवर्नमेंट प्रेस को इतना अवकाश ही नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है और ये चुने हुये होते हैं या किसी के द्वारा नामांकित किये जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनकी संख्या इस समय १७ है और ये सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

*१६-१७--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-१९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

बलिरामपुर, जिला मैनपुरी में डकैती

*२०--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी जिले में थाना कुरावली में बलिरामपुर ग्राम में अगस्त, सन् १९५८ में कोई डकैती हुई, जिसमें कि कत्ल भी हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

नहर आन्दोलन सम्बन्धी डाक्टर राममनोहर लोहिया के मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील

*२१--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार सन् १९५४ में नहर आंदोलन के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों पर स्पेशल पावर्स ऐक्ट के मातहत जो जुर्माना हुआ था हाई कोर्ट द्वारा उक्त ऐक्ट को अवैध घोषित होने के कारण सत्याग्रहियों को वापस करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है अपील का निर्णय होने तक इस मामले में विचार करना न उचित है न संभव है ।

*२२—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमें में (सन् १९५४ के नहर रेट आंदोलन के सम्बन्ध में) स्पेशल पावर्स ऐक्ट अवैध घोषित होने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*२३—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के मुकदमे में स्पेशल पावर्स ऐक्ट अवैध घोषित होने के बाद जो अपील सुप्रीम कोर्ट में की है वह कब हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१० मई, १९५६ ।

सीतापुर जिले में बड़ा गांव निवासी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता, श्री रामेश्वरदयाल की हत्या की जांच

*२४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—१ सितम्बर, सन् १९५८ के प्रश्न संख्या ८१ के लिखित उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री रामेश्वर-दयाल की हत्या की जांच महोली थाने के थानाध्यक्ष से न करा कर सर्किल इन्सपेक्टर से कराई गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी हां । उक्त हत्या के मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर के अधीन की गई थी ।

*२५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष महोली से जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—उक्त मामले से संबंधित व्यक्तिगत का विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध होने के फलस्वरूप हत्या की घटना को राजनीतिक रूप देने की असफल चेष्टा की गई थी । इसके अतिरिक्त अपराध की विशेषता को दृष्टि में रखते हुये मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर के अधीन होना उचित समझा गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा जांच किये जाने के सिलसिले में कोई प्रार्थना-पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास तो कदाचित् कोई प्रार्थना-पत्र आया नहीं, और कहीं गया हो तो मैं उसे जानता नहीं । पर इस मामले में सर्किल इंस्पेक्टर की जांच सुपुर्द की गयी इस कारण कि झगड़ा तो वैसे आपसी था, नहर के पानी के सम्बन्ध में, लेकिन इसमें ऐसे लोग थे जिनका सम्बन्ध राजनीतिक दलों से था, वे कार्यकर्ता थे, तो यह ध्यान हुआ कि एक बड़े अफसर से इसकी जांच करा ली जाय ।

श्री प्रतापसिंह—सर्किल इंस्पेक्टर की जांच के बाद इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुकदमा सेशन्स में चल रहा है ।

गोरखपुर जिले में संस्कृत व अरबी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*२६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितनी संस्कृत पाठशालाओं, अरबी स्कूलों तथा मकतबों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

१--संस्कृत पाठशालाएं	३३	
आवर्त्तक सहायता	३८,४७२	रुपये
पूरक सहायता	८,४५०	रुपये
पुस्तकालय सहायता	१,३५०	रुपये
जमींदारी उन्मूलन सहायता	९००	रुपये
२--अरेबिक स्कूल	२	
आवर्त्तक अनुदान	१,४७६	रुपये
३--मकतब		शून्य

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिले में कितनी संस्कृत पाठशालाएं, मकतब और अरेबिक स्कूल हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--जहां तक मकतबों का सम्बन्ध है वह ४० हैं, संस्कृत पाठशालाएं ३३ हैं और अरेबिक मदरसे २ हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सहायता किस आधार पर दी जाती है और मकतबों को इस तरह की सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मकतबों को सहायता जिला परिषद् देती हैं जैसे वह प्राइमरी स्कूलों को ती हैं। लेकिन संस्कृत पाठशालाओं तथा अरेबिक मदरसों को, जिन नियमों से और स्कूलों को सहायता मिलती है उनके अनुसार इनको भी मिलती है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी जिला परिषदों की हालत को जानते हुए इनको मदद करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला परिषदों को जो रुपया जाता है वह सरकारी कोष से ही तो जाता है। उनके पास कौन-सा रुपया है जो वह खर्च करते हैं। हमारे यहां से लम्बे लम्बे अनुदान जाते हैं, जिससे वह जहां तक सम्भव होता है शिक्षा की व्यवस्था करती हैं।

*२७-२९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

वजीरगंज बाजार, जिला गोंडा में श्रीमती कमलादेवी का पीटा जाना

*३०--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि थाना वजीरगंज, जिल गोंडा में वजीरगंज बाजार में २७ जुलाई, १९५८ को गुन्डों द्वारा उपद्रव किये गये, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन पुलिस को की गई तथा उस घटना की सूचना पुलिस कप्तान एवं गृह मन्त्री को दी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन--जिला गोंडा के थाना वजीरगंज के अन्तर्गत वजीरगंज बाजार में २७-७-१९५८ को श्रीमती कमलादेवी को उसकी पान की दूकान पर धोलर अहीर ने पीटा। इस संबंध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था [× ×] इसकी रिपोट प्रार्थी द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। अपराध नाकाबिल दस्तन्दाजी (non-cognizable) पाये जाने फलस्वरूप पुलिस द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया।

[× ×] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि २७ तारीख को वजीरगंज बाजार में जो श्रीमती कमलादेवी के मारने का उपद्रव हुआ उसके संबंध में बाजार में हड़ताल हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हड़ताल की कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार को पता है कि श्रीमती कमलादेवी को जो पान की दूकान पर पीटा गया उसके संबंध में पहले से भी थाने में कोई शिकायत थी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पीटने के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी । [**]

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि सरकार को जो सूचना [**] मिली तो यह सूचना अदालत के किसी फैसले के आधार पर थी या पुलिस के अधिकारियों के जांच के आधार पर थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई मुकद्दमा ऐसा नहीं चला था । पुलिस के सूत्रों से तथा अन्य लोगों से पता चला है जो वहां के रहने वाले हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबध में एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । वह यह है कि परम्परा और विधि यह है कि सदन के माननीय सदस्य इस बात से वर्जित हैं कि वह कोई डिफेमेटरी सवाल किसी के बारे में करें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा इस तरह की डिफेमेटरी की बात[**] कहां तक उचित और ठीक है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हू कि यह काफी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जो पालीवाल जी ने उठाया है । मैं भी समझता हूं कि जब तक पूरी जांच न हो तब तक इस तरह के उत्तर इस सदन में आइन्दा न दिये जायं तो उचित होगा और जब किसी स्त्री के विषय में ऐसा प्रश्न हो जैसा यह प्रश्न है, तो आप जवाब दे सकते थे कि काबिल दस्तंदाजी नहीं था इसलिये हमने दस्तंदाजी नहीं की और न मुकदमा चलाया, वह लोग जानें कि झगड़ा क्यों हुआ । ऐसा गोल जवाब देना उचित होगा ।

यह बात सही है कि जब इस आदरणीय सदन में किसी के ऊपर लांछन लगाने का अधिकार हमें नहीं है, तो किसी बाहर के व्यक्ति के संबंध में यदि कोई प्रश्न पूछा जाय और उस पर अथारिटीज की ओर से सरकारी जांच हो, और उसके फलस्वरूप उसमें कुछ गलती हो कर किसी स्त्री के ऊपर गलत तोहमत लगायी जा सकती हो, तो परिणाम में जो लोग उसकी जाति के हों ऐसी बात सुन कर उसके ऊपर कोई कार्यवाही करें यही समस्या पैदा हो सकती है । मैं आइन्दा के लिये यह निर्णय देता हूं कि इस प्रकार का उत्तर देना अनुचित होगा जब तक कि किसी न्यायालय का फैसला ऐसे विषय पर न हो । मैं समझता हूं कि शायद गलतफहमी में इस तरह का जवाब दिया गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मुझे खेद है और मैं समझता हूं कि पालीवाल जी ने जो प्रश्न उठाया वह सर्वथा उचित बात है । यह उत्तर कुछ असावधानी का ही द्योतक है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं उसमें उतना हिस्सा अलग कर दूंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---हां, वह निकाल दिया जाय । भविष्य में इस बात का जरूर ध्यान रखा जायगा कि इस प्रकार के उत्तर न आने पायें ।

गोंडा जिले के वजीरगंज थाने में चोरी और राहजनी

*३१---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, थाना वजीरगंज में १ मई, १९५८ ई० से लेकर ३१ जुलाई, १९५८ ई० तक कितनी रिपोर्टें चोरी, डकैती और राहजनी, कत्ल की हुईं उनके सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ ?

[**]माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री इस्तफा हुसैन---उक्त अवधि में जिला गोंडा के थाना वजीरगंज के अन्तर्गत चोरी की छः और राहजनी की एक रिपोर्ट हुई। डकैती अथवा कत्ल की कोई घटना नहीं हुई।

उपरोक्त चोरी और राहजनी की घटनाओं की संबंध में कुल १४ व्यक्तियों का चालान कया गया।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये वे चोरी में गिरफ्तार किये गये या जबरदस्ती उन्हें बन्द कर दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---जबर्दस्ती बन्द करने की कोई बात नहीं है। उनके खिलाफ रिपोर्ट थी अनुसंधान के फलस्वरूप उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री गंगाप्रसाद--- क्या सरकार को यह पता है कि यह १४ व्यक्ति जो कि वहां पर भीख मांगने आये थे उनको गिरफ्तार करके बन्द कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो वह कृपा करके मुझे दे दें। मैं इस विषय में जांच करा लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन १४ व्यक्तियों का चोरी के सिलसिले में चालान हुआ है उन के सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसमें दस अभियुक्त चोरी के हैं, तीन मामलों में। राहजनी के एक मामले में चार अभियुक्त हैं। इन चौदहों का चालान किया जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। विशेष प्रश्न तो इस पर कदाचित् ठीक नहीं होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके खिलाफ रिपोर्ट में नाम हैं ?

श्री अध्यक्ष---जब अदालत में मामला है तो यह सब ब्योरा उसमें होगा ही।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मन्त्री जी के पास कोई ऐसी दरख्वास्त आई है जिसमें यह लिखा गया हो कि डकैती की रिपोर्ट डकैती में न लिखकर चोरी में लिखी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोंडा जिले से ऐसी खास शिकायत आई हो यह इस समय बताना मुश्किल है। अक्सर चिट्ठियां आती रहती हैं। बहुत सी जगह ऐसी शिकायतें होती हैं कि जो रिपोर्टें होती हैं वे ठीक ढंग से नहीं लिखी जाती हैं। गोंडा से ऐसी दरख्वास्त आई या नहीं मुझे यह स्मरण नहीं है।

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*३२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को मिलने वाली छात्रवृत्ति १९५७-५८ में कितने नये विद्यार्थियों को दी गई और कितने पुराने छात्रवृत्ति पाने वालों की छात्रवत्ति renew की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---सन् १९५७-५८ में ४०९ नये छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और ३७५ पुराने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पुनः चालू की गई।

कुल योग---७८४।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित, जिनको इस प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, उनके सम्बन्ध में भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विचार तो क्या कर रहे हैं कुछ प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं, क्योंकि अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती ।

*३३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

इलाहाबाद जिले में कत्ल

*३४--श्री जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में १ जनवरी, १९५७ से अब तक कितने कत्ल हुए तथा उनमें कितने व्यक्तियों की जानें गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक जिला इलाहाबाद में ८८ कत्ल की घटनाएं हुईं जिनमें ९१ व्यक्तियों की जानें गईं ।

*३५--श्री जवाहरलाल (अनुपस्थित)--[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया है ।]

मुरादाबाद जिले में कत्ल व डकैतियां

*३६--श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५७ से अगस्त, १९५८ तक मुरादाबाद जिले में कितनी कत्ल व डकैती की वारदातें हुई हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--जनवरी, १९५७ से अगस्त, १९५८ तक जिला मुरादाबाद में कत्ल की १०३ और डकैती की ३६ घटनाएं हुईं ।

*३७--श्री सुक्खनलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में जनवरी, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक कितने थानों में थाना इन्चार्ज के यहां चोरी की घटनाएं घटी हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--जनवरी, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक मुरादाबाद जिले के दो थानों में थाना इन्चार्ज के यहां चोरी की घटनाएं घटीं ।

श्री सुक्खनलाल--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो १०३ कत्ल हुए और ३६ डकैतियां हुईं इनमें एस० पी० ने कितने मामलों की घटनास्थल पर जाकर जांच की ?

श्री इस्तफा हुसैन--इस बात का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता कि इन घटनाओं में कितने मामलों में एस० पी० खुद जांच के लिये घटनास्थल पर गये ।

श्री सुक्खनलाल--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन कत्लों में कितने केसेज अदालत में हैं और कितने छूट गये और कितने इन्क्वायरी में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१०३ में ६४ घटनाओं की जांच की गई । २८६ अपराधी पकड़े गये । १३ अपराधियों को न्यायालय से दंड मिल चुका है । ११ बिना अपराध के न्यायालय से छोड़े जा चुके हैं । अब ४० केसेज अदालत के विचाराधीन हैं । १२ में अभी पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन दो थानेदारों के यहां चोरी हो गई वे थानेदार मुअत्तल रखे गये या उनको कोई और सजा दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब जिसके यहां चोरी हो उसी को मुअत्तल कर दें, ऐसा तो नहीं हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिन थाना इन्चार्जों के यहां चोरी हुई है, क्या उसमें उनके कुछ अस्लहा भी चोरी हुए हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—ऐसी बात नहीं है । केवल जेवर और दूसरा सामान चोरी गया है ।

श्री जगवीर सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इन ३६ डकैतियों में कत्ल कितने हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अलग से बताना मुश्किल है, लेकिन कत्लों की संख्या दी हुई है । मुमकिन है कि उसमें वह भी हों कि जो डकैती में मारे गये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस समय इन थानेदारों के यहां चोरी हुई, उस समय वह थाने में हाजिर थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह बेचारे अपने घरों में सोये हुए थे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इन १०३ केसेज में केवल ६४ की जांच हुई, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बकिया की जांच क्यों नहीं हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहा कि १२ केसेज में पुलिस की तफतीश जारी है और ४० केसेज अभी अदालत में चल रहे हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैतियों में कितने रुपये का माल डाकू लोग ले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*३८-४०—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

हेड कान्स्टेबिलों से पदोन्नत अस्थायी सब-इन्स्पेक्टर्स

*४१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—हेड कांस्टेबिल से पदोन्नत सब-इन्स्पेक्टरों को सब-इन्स्पेक्टर पद पर स्थायी करने के नियम के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है जिससे यह जाना जा सके कि इस समय प्रदेश में कितने ऐसे स्थानापन्न सब-इन्सपेक्टर हैं जो दो से दस वर्षों तक से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या निम्न प्रकार से है—

२ या २ वर्ष के ऊपर	२३
३ या ३ वर्ष के ऊपर	१५
४ या ४ वर्ष के ऊपर	२६

५ या ५ वर्ष के ऊपर	..	..	..	८
६ या ६ वर्ष के ऊपर	..	..	..	७
७ या ७ वर्ष के ऊपर	..	..	..	१३
८ या ८ वर्ष के ऊपर	..	..	..	५
९ या ९ वर्ष के ऊपर	..	..	..	१५
१०या १० वर्ष के ऊपर	..	..	..	३८

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष पूर्व प्रदेश के जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने इन स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टरों के नाम की लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर को इन्हें स्थायी करने के लिये भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व पुलिस कोड की धारा ४४७ के अनुसार तीन वर्ष तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के बाद ऐसे सब-इन्स्पेक्टर स्थायी कर दिये जाते थे और अब ऐसा नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब इसके लिये एक बोर्ड बना दिया गया है आई० जी० की अध्यक्षता में, और यही उचित समझा गया । यह बोर्ड शीघ्र ही अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा और उस के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*४२---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४५---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४८---श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९---श्री गंगा प्रसाद---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा-मैनपुरी सड़क पर कोठरा ग्राम में चावल भरी ट्रक की लूट

*५०---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ सितम्बर, १९५८ को इटावा-मैनपुरी सड़क पर करहल ग्राम के पास कोठरा ग्राम में चावलों से भरी हुई एक ट्रक किसानों द्वारा लूट ली गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

श्री इस्तफा हुसैन---दिनांक ९ सितम्बर १९५८ को नहीं परन्तु ७ सितम्बर १९५८ को किसानों द्वारा ट्रक से चावल उठा ले जाने की एक घटना हुई थी । इसमें २० व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । ६६ व्यक्ति अदालत में स्वयं उपस्थित हो चुके हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो ट्रक लूटी गयी उसमें कितना माल लदा हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---६५ बोरे सेला चावल था और १७० मन वजन था ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उस महीने में इटावा और मैनपुरी में इस तरह की ट्रकों और अनाज की कितनी दूकानें लूटी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो ट्रक लूटी गयी वह किसकी थी और उसकी नामजद रिपोर्ट में कितने व्यक्तियों का नाम लिखाया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह ट्रक मेसर्स दौलतराम प्रीतम सिंह की थी । कहा जाता है कि ८०-९० व्यक्ति चावल उठा कर ले गये थे । ५३ के घरों से वह चावल प्राप्त हुआ और २० अपराधी गिरफ्तार किये गये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस ट्रक को लूटने के विशेष क्या कारण थे, क्या इसकी भी जांच करायी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिन परिस्थितियों में यह लूट पाट हो गयी थी उनसे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं । उस समय गल्ले की कमी हो गयी थी और कदाचित् और कुछ कहना उचित न हो इसलिये केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि उनसे थोड़ा-सा उभाड़ भी आया था और जिसके कारण यह लूटपाट हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस ट्रक को लूटने के सिलसिले में यह बताने की कृपा करेंगे कि साहजनों ने उसको लूटा था या उन लोगों ने लूटा था जो भूख से पीड़ित थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस वक्त जो थोड़ी बहुत लूटपाट हो गयी थी उस के बहुत से कारण हैं । एक-आध कारण ऐसे हैं जिनको बताने से व्यर्थ में कटुता हो सकती है । बीत गयी सो बीत गयी ।

*५१---श्री गनेशचन्द्र काछी---[४ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ८७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*५२-५३---श्री किशन सिंह (जिला मुरादाबाद)---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५-५६---श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७-५८---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बाराबंकी जिले में माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण

*५९---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी के डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल ने वर्ष १९५७-५८ में कितने माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया और उनमें से कितनों की आर्थिक दशा खराब पाई तथा उनका उन्होंने क्या प्रबन्ध करवाया ?

श्री इस्तफा हुसैन---विद्यालय उप-निरीक्षक, बाराबंकी ने २२ माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया । सामूहिक रूप से उनकी दशा संतोषप्रद है । १३ में वैज्ञानिक उपकरणों

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

तथा सात में भवन की कमी पाई गई। जिसके सुधार हेतु प्रबन्धकों को परामर्श दिया गया।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि भिटौली का विद्यालय भी उनमें से एक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--भिटौली का नहीं है, रसौली का है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्थिक दशा को सुधारने के लिये उक्त स्कूल को उपर्युक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आर्थिक दशा तो ऐसी ही सभी स्कूलों की है जो अब धन की मांग करते हैं और सभी स्कूलों के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार उदारतापूर्वक विचार कर रही है।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर मारपीट

*६०--डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २५ अगस्त की रात को १० बजे रेलवे स्टेशन, सहारनपुर पर गुन्डों ने मारपीट की जिससे स्टेशन पर भगदड़ मच गई ? क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस ने इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सहारनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर ४ पर उक्त तिथि को लगभग ९ १/२ बजे रात्रि में पंजाब जी० आर० पी० के कुछ कानिस्टेबिलों और कुछ गुन्डों के बीच मारपीट हुई, पर इस घटना से यात्रियों में भगदड़ नहीं मची। इस घटना की रिपोर्ट जी० आर० पी० सहारनपुर के थाने में लिखी गई है।

*६१--डाक्टर जयगोपाल--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त स्टेशन पर ऐसे वाकये पिछले तीन सालों में कितनी बार हो चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी पांच घटनाएं हुई हैं।

उन्नाव जिले के मोतीखेड़ा ग्रामवासी शिवप्रकाश अहीर की हत्या

*६२--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले में सितम्बर, १९५८ में असोहा थाने के अन्तर्गत मोतीखेड़ा ग्राम में किसी व्यक्ति की दिन दहाड़े घर से घसीट कर हत्या कर दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सितम्बर, १९५८ में जिला उन्नाव के उक्त ग्राम में एक व्यक्ति शिवप्रकाश अहीर की हत्या दोपहर के समय उसे घर से घसीट कर एक बाग में ले जा कर की गयी।

*६३--श्री भीखालाल तथा श्री मोतीलाल अवस्थी--[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६४--श्री रामशरण यादव--[नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६५-६६--श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६८--श्री मुक्तिनाथ राय--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*६९—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनीतिक पीड़ित पेन्शन या राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को वजीफ दिय जाने क लिय सामाजिक स्तर या व्यक्तिगत आमदनी को आधार माना गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। सामाजिक स्तर अथवा व्यक्तिगत आमदनी को आधार नहीं माना गया है।

*७०—श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि राजनीतिक पीड़ित पेन्शन पाने वालों में कितने भूतपूर्व एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १९ भूतपूर्व एम० एल० ए० तथा २ भूतपूर्व एम० पी० भी पेंशन पा रहे हैं।

*७१—कुंवर महमूद अली खां (जिला मेरठ)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२-७३—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४-७६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७७—श्री नत्थू सिंह (जिला मैनपुरी)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७८-७९—श्रीमती गेंदा देवी—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में कत्लों के सम्बन्ध में चालान

*८१—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जुलाई, सन् १९५८ से लेकर १५ अक्तूबर, १९५८ तक कितने व्यक्तियों का कत्ल हुआ और किन-किन थानों के क्षेत्र में ? कत्ल के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ और उनका नाम और पता क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में गोंडा जिले में १२ व्यक्तियों का कत्ल हुआ जिनकी थानेवार संख्या निम्नांकित है —

१—	थाना कोतवाली	४
२—	,, धोनपुर	२
३—	,, तुलशीपुर	१
४—	,, छपिया	१
५—	,, इटियाथोक	१
६—	,, वजीरगंज	१

७— ,,	नवाबगंज	..	..	..	१
८— ,,	मनकापुर ..	..	..	..	१
					१२

उपरोक्त १२ व्यक्तियों के कत्ल के सम्बन्ध में कुल ३२ व्यक्तियों का चालान किया गया जिनका नाम व पता संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८५–४८६ पर)

*८२–८३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८४–८६—श्री मदन पांडेय—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८७—श्री नारायणदत्त तिवारी—[बारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नाविकों की हड़ताल के संबंध में दोहरीघाट, बड़हलगंज व बरहज बाजार में गिरफ्तारियां

*८८—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ के दोहरीघाट, जिला गोरखपुर के बड़हलगंज व बरहज बाजार में हड़ताल करने वाले नाविकों पर १५ अगस्त व उसके पश्चात् पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुईं ? अगर हां, तो कितनों को चोटें लगीं और कितने गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हड़तालकारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, अतः किसी को चोट लगने का प्रश्न नहीं उठता। आजमगढ़ में ५३ तथा गोरखपुर में १९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। बरहज बाजार में कोई हड़ताल नहीं हुई।

*८९—श्री प्रताप सिंह—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक, श्री बंशीधर पन्त का अल्मोड़ा जिला बोर्ड में अधिक समय रहना

*९०—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि अल्मोड़ा जिला बोर्ड में कौन-कौन से सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल हैं जो इसी जिले के रहने वाले हैं और ८, ९ वर्षों से अधिक काल से इसी जिले में कार्य कर रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल एक विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक श्री बंशीधर पंत हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं और ८, ९ वर्ष स अधिक से उसी जिले में कार्य कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

राजकीय विद्यालय नैनीताल, ज्ञानपुर, तथा रामपुर

*९१—श्री प्रताप सिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय विद्यालय, नैनीताल, ज्ञानपुर, रामपुर के दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन हेतु कोई समिति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

विधान परिषद् भवन के नये फर्नीचर पर व्यय

*९२--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान परिषद् के सभा भवन में जो नया फर्नीचर डाला गया है उसमें कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विधान परिषद् के सभा भवन में नया फर्नीचर लगाने में कुल ३०,६५० रुपया व्यय हुआ है।

*९३--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विधान परिषद् के सभा भवन में जो २ नई गैलरियां बनाई गई हैं उसमें सरकार का कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दो नई गैलरियों के बनाने में कुल ५,००० रुपया व्यय हुआ है।

बन्दूक लाइसेन्स से मुक्त रखने की प्रार्थना

*९४--श्री टीकाराम--क्या गृह मंत्री ग्राम जनता को बन्दूक रखने के लाइसेंस से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- बन्दूक रखने के लाइसेंस से मुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

*९५-९६--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९७-९८--श्री जंगबहादुर वर्मा--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न अपराध

*९९--श्री नन्दराम--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में १९५६ व १९५७ में कितने कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी तथा बलवे हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४८७ पर)

जालौन जिले के बालनी ग्राम में एक शाक विक्रेता की हत्या

*१००--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह अगस्त, १९५८ के आरम्भ में ग्राम बालनी, थाना कुनेंद, जिला जालौन में क्या किसी साग बेचने वाले दुकानदार की हत्या हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*१०१--श्री रामसुन्दर पांडेय--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बाबूगंज, एटा में हत्या काण्ड

*१०२--श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १०-८-१९५८ को एटा नगर में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्यायें कर दी गई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१०-८-१९५८ को एटा नगर के मुहल्ला, बाबूगंज में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या हुई। इस सम्बन्ध में अनुसंधान के पश्चात् दो व्यक्तियों का चालान किया गया जिनमें से एक का चालान मफरूरी में हुआ। जो बाद में न्यायालय में उपस्थित हो कर जेल चला गया। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

*१०३---श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुदौली, जिला जौनपुर का अनुदान

*१०४---कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में "सर्वोदय उच्चतर माध्यकि विद्यालय", खुदौली को सालाना कितनी ग्रान्ट दी जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह विद्यालय अभी आवर्तक अनुदान की सूची पर नहीं है।

सुपरिण्टेंडेंट पुलिस, बांदा के कार्यालय में परिगणित जाति के क्लर्क

*१०५---श्री गरीब दास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा, में सुपरिण्टेण्डेन्ट पुलिस के कार्यालय में कितने क्लर्क हैं और उनमें परिगणित जाति व पिछड़े जाति के कितने व्यक्ति हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सुपरिण्टेण्डेन्ट पुलिस, बांदा के कार्यालय में १५ क्लर्क हैं, जिनमें तीन पिछड़ी जाति के हैं। परिगणित जाति का कोई नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में बन्दूक के लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०६---श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में इस समय बन्दूक के लाइसेंस के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं? और वे किस सन् तक के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुल २१५ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें ३, १९५६ के, ३० सन् १९५७ के तथा शेष १९५८ के हैं।

बीरुगांव, जिला गोरखपुर में नायब तहसीलदार के घर कथित चोरी

*१०७---श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या नायब तहसीलदार, बोरुगांव (गोरखपुर) के घर १६/१७ अप्रल, १९५८ की चोरी के सम्बन्ध में उक्त नायब तहसीलदार द्वारा आवेदन करने पर जिलाधीश, गोरखपुर ने कोई मजिस्ट्रियल जांच करायी थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त नायब तहसीलदार ने कथित चोरी के संबंध में कोई प्रार्थना मैजिस्ट्रीरीयल जांच के लिये नहीं की, अतः कोई मजिस्ट्रीरीयल जांच नहीं की गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में पुस्तकालयों व वाचनालयों को सहायता

*१०८---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के कुल वाचनालयों और पुस्तकालयों में से प्रत्येक को अलग-अलग गत ४ वर्षों में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४८८-४८९ पर)

*१०९--श्री प्रताप सिंह--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले से नार्मल ट्रेनिंग में हरिजनों की भर्ती

*११०--श्री सुखलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में इस वर्ष नार्मल ट्रेनिंग में कुल कितने उम्मेदवार चुने गये और उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस वर्ष जिला इटावा से नार्मल ट्रेनिंग के हेतु इटवा नार्मल स्कूल में १९ अभ्यर्थी चुने गये जिनमें ५ हरिजन हैं।

*१११--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में एडेड हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अनुदान

*११२--श्री गरीबदास--क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि उसने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जालौन में स्कीम नं० २१ द्वारा एडेड (Aided) हायर सेकेण्डरी स्कूल जालौन, रामपुर माधौगढ़, गांधी इंटर कालेज, उरई को कितनी आर्थिक सहायता किस वर्ष देने का विचार किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त स्कीम के अन्तर्गत गांधी इण्टर कालेज, उरई, जालौन को वर्ष १९५७-५८ में १०,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत हो चुका है। अन्य संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र पर उस वर्ष एवं भविष्य में विचार होगा।

एटा, इटावा तथा फर्रुखाबाद जिलों में विभिन्न अपराध

*११३--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा, जिला फर्रुखाबाद व जिला इटावा में सन् १९५७ व अगस्त, १९५८ तक ३६३ व ३६६ तथा ३६८ धारा ताजीरात हिन्द के अनुसार कितनी वारदातें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४९० पर)

सूचना केन्द्र बाराबंकी पर व्यय

*११४--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत सूचना विभाग के केन्द्र किन-किन स्थानों पर खुले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला बाराबंकी में सूचना विभाग द्वारा एक सूचना केन्द्र स्थापित है जो जिले के मुख्यालय पर स्थित है।

*११५--श्री जंगबहादुर वर्मा--प्रत्येक केन्द्र पर १९५५-५६ व १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना-कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में इस केन्द्र पर कोई व्यय नहीं हुआ था। १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में इस केन्द्र पर क्रमशः ५३१ रुपये तथा २८० रुपये व्यय हुए।

खुर्जा तहसील में विभिन्न अपराध

*११६--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में १ जनवरी, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५८ तक कुल कितनी चोरियां, डकैतियां तथा फौजदारियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में तहसील खुर्जा में ५२० चोरियां, १३ डकैतियां तथा १३६ फौजदारियां हुईं।

*११७--श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मीरापुर पुलिस स्टेशन, जिला मुजफ्फरनगर के सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध शिकायत

*११८--श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार एवं आई० जी० पुलिस के पास यह शिकायत आई है कि जून, १९५८ में मीरापुर पुलिस स्टेशन, जिला मुजफ्फरनगर के सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने किन्हीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की लाल टोपी को छीन कर पैरों से रगड़ कर तथा जबर्दस्ती ७५ रुपये लेकर ही छोड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। वास्तविकता इस प्रकार है कि जून, १९५८ के मास में सर्वश्री जय प्रकाश शर्मा तथा श्री अकबर नाई के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। उक्त दोनों आवेदन-पत्रों में एस० ओ० द्वारा ७५ रुपये अकबर से लेकर छोड़ने का ही उल्लेख है और लालटोपी को छीन कर पैरों से रगड़ने का कोई भी उल्लेख नहीं है।

*११९--श्री गयूर अली खां--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस घटना को लेकर मुजफ्फरनगर में ४१ सत्याग्रही गिरफ्तार भी हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

*१२०--श्री गयूर अली खां--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त पुलिस अधिकारी के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मजिस्टीरियल जांच के आधार पर सब इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।

बदायूं जिले के ग्राम केरई सरई में बिहारी की गुमशुदगी तथा देवहरी ग्राम में गुलफाम का कत्ल

*१२१--श्री टीकाराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं, थाना जरीफ नगर में साल १९५८ में केरई सरई गांव में जो कत्ल हुआ उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस गांव की कत्ल की कोई रिपोर्ट १९५८ में थाने पर दर्ज नहीं हुई। बिहारी पुत्र गिरधारी पटवा की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज हुई। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। कत्ल होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला। अभी अनुसंधान जारी है।

*१२२--श्री टीकाराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं थाना जरीफ नगर के गांव देवहरी में इस साल १९५८ के जो कत्ल हुआ उसमें पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५८ में बदायूं जिले के थाना जरौलनगर के अन्तर्गत ग्राम देवहरी के एक व्यक्ति गुलफाम पुत्र मिट्ठू के कत्ल की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

ललितपुर तहसील की डकैतियों में सर्वश्री हजारीलाल व रामदयाल की हत्या

*१२३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम करेंगा, ग्राम बिजरौठा, (मजरा टपरियन) ग्राम पठा गोरी, ग्राम भरतपुरा, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में २५ अगस्त, से २७ अगस्त, १९५८ तक कुछ डकैतियां पड़ी हैं? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में किस-किस समय पर और उनमें कितने आदमी डाकुओं द्वारा घायल किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४९१ पर)

*१२४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार को यह भी पता है कि ग्राम बमोरी पठार परगना बाला बेहट, तहसील ललितपुर जिला झांसी में अगस्त, १९५७ में उक्त गांव के श्री हजारीलाल व रामदयाल को गोली से डाकुओं द्वारा मारा गया था और डाकू गांव वासियों को गांव खाली करने की धमकी दे गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह सही है कि श्री हजारी लाल व श्री राम दयाल को डाकुओं ने गोली से मार डाला। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि डाकुओं ने ग्रामवासियों को गांव खाली करने की धमकी दी थी।

*१२५--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार को पता है कि डाकुओं की धमकी के भय के कारण उक्त गांव के समस्त निवासी गांव को छोड़ कर चले गये और उस गांव की एक इंच भूमि भी जोती व बोई नहीं गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सही नहीं है कि सब निवासी गांव छोड़कर चले गये हैं। इस गांव में खरीफ और रबी दोनों फसलें बोई व काटी गई थी।

नार्मल ट्रेनिंग के लिए चुनाव

*१२६--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितने सरकारी उम्मीदवार (nominee) नार्मल (एच० टी० सी०) की ट्रेनिंग के लिये इस वर्ष भेजे गये हैं और कितने-कितने अलग-अलग प्रार्थना-पत्र आये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तालिका "अ" तथा "ब" संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४९२--४९३ पर)

*१२७--श्री राजकुमार शर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ट्रेनिंग के लिये सरकारी नामिनी का चुनाव जन संख्या के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर विभिन्न जिलों में न्यूनाधिक संख्या में हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चुनाव अभ्यर्थियों की योग्यता तथा आवश्यकता के आधार पर किया गया।

*१२८--श्री धनुषधारी पांडेय--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिय स्थगित किया गया।]

*१२९--१३०--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३१--श्री राम सुन्दर पांडेय--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पीलीभीत जिले में लुहिचा निवासी श्री कुंजबिहारीलाल का कत्ल

१--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुन्जबिहारी लाल, पुत्र रघुवर दयाल, निवासी लुहिचा, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत का कत्ल कठिना नदी के समीप रास्ते में हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में थाना इंचार्ज निगोही, जिला शाहजहांपुर तथा थाना इंचार्ज बीसलपुर, जिला पीलीभीत ने क्या जांच की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिनांक २८ फरवरी, १९५८ को श्रीमती विधावती पत्नी श्रीकुंज बिहारीलाल ने बीसलपुर थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसका पति एक मुकदमे के सिलसिले में १० फरवरी, १९५८ को पीलीभीत गया हुआ था। २८ फरवरी, १९५८ को गांव के चौकीदार ने उससे आकर कहा कि कठिना नदी में एक लाश पड़ी है जो कदाचित् उसके पति की मालूम होती है। यह सूचना मिलने पर वह मौके पर गई और पहचान लिया कि लाश उसके पति की है। उक्त रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई और थानेदार बीसलपुर ने सी० आई० डी० के अधीन मामले की जांच की। रिपोर्ट में लिखाये गये संदिग्ध व्यक्तियों के मकानों की तलाशी ली गई परन्तु उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला।

पोस्ट मारटम रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि मृतक के फेफड़े व जिगर पर चोटों के कारण मृत्यु हुई और यह चोटें १-२ हफ्ते पुरानी पाई गईं।

२--श्री हरदयाल सिंह--क्या यह सही है कि १३ फरवरी को कत्ल होने के समय से अब तक लगभग पांच महीने हो चुके हैं? न्यायिक कार्यवाही की शिथिलता में सरकारी कर्मचारियों का पूरा हाथ रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पता लगाने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया गया, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

३--श्री हरदयाल सिंह--स्वर्गीय कुंजबिहारी की पत्नी द्वारा नामजद रिपोर्ट देने के बावजूद भी अपराधियों पर सख्त कार्यवाही न करने का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त रिपोर्ट में नामजदगी नहीं थी। केवल ४ व्यक्तियों पर शुबह किया गया था जो अपने मकान से लापता थे। उनके मकानों की तलाशी पर कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई और न कोई गवाह अथवा circumstantial evidence मिल सकी। इस कारण मुकदमा चालान नहीं हुआ।

बाराबंकी जिले की कन्या पाठशालाएं

४--श्री जंग बहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में किन-किन स्थानों पर कन्या पाठशालाएं चल रही हैं और प्रत्येक स्कूल में कितनी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४९४-४४५ पर)

५--श्री जंगबहादुर वर्मा--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन पुस्तकालय, गोंडा को सहायता

६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार जिला गोंडा के सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालय की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला गोंडा में केवल एक हरिजन पुस्तकालय, गोंडा को सरकारी सहायता दी जाती है ।

७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उन पुस्तकालयों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता किन-किन रूपों में दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

		रु०	
वेतन लाइब्रेरियन	.. ..	१२	प्रतिमास
मंहगाई भत्ता	.. ..	१०	,,
किराया मकान	.. ..	८	,,
खर्चा समाचार-पत्र	.. ..	११	,,
तल इत्यादि सायर खर्च	.. .. ..	३	,,
पुस्तक क्रय करने केलिये १९५७-५८ में	.. ..	१५०	,,

बन्दुकों के लाइसेन्स

८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश में १ जनवरी, १९४६ ई० को जनता को दिये गये बन्दूकों के लायसेंसों की क्या संख्या थी और ३१ दिसम्बर, १९५७ को कुल क्या संख्या हो गई है ?

श्री कमलापपि त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भारतीय दंड विधान की धारा १०७, १०९, ११० के अन्तर्गत मुकदमे

९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में अलग-अलग जिलावार धारा १०७,१०९,११० भारतीय दंड विधान संग्रह के अन्तर्गत कितने मुकदमे पुलिस द्वारा चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४९६-४९७ पर)

मेरठ जिले की चीनी मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा का एक कामरोको प्रस्ताव मेरठ जिले में गन्ना मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में है जो श्री आनन्द प्रकाश द्वारा भेजे हुये एक तार के आधार पर । वह तार इस तरह से है :—

"All kisans totally stopped sugar-cane supply whole district mills Standing idle detained kisans demonstrating."

इस पर श्री रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है—"सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों की मांगों पर कोई ध्यान न दिये जाने के कारण आज प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध है । मेरठ में सातों चीनी की मिलों में आज से पूर्ण हड़ताल होने के कारण वहां की जनता में भीषण असन्तोष छाया हुआ है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः यह सदन इस सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

[श्री अध्यक्ष]

इसमें मुख्य विषय यह है कि सरकार ने गन्ना उत्पादकों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह आक्षेप मात्र है पर उस कारण से यह निश्चित विषय नहीं हो सकता है। इसका सरकार से क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट नहीं है। एक तार के आधार पर एक अनिश्चित विषय पर यह कामरोको प्रस्ताव आया है। लेकिन यह बात अवश्य है कि ये मिलें जैसा कि तार बताता है बन्द हो सकती हैं। तो कोई सूचना संबंधित मंत्री जी के पास हो तो वे दे सकते हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अभी तक सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि मिलें बन्द हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...।

श्री अध्यक्ष—मैं बहस की इजाजत नहीं देता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, इसकी निश्चितता के मुताल्लिक मैं बतला देना चाहता हूं कि यह निश्चित है कि मिलें बन्द हैं। तो उस सम्बन्ध में सरकार को चाहिये ....।

श्री अध्यक्ष—बन्द होने ही से सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, श्रीमन्, वहां डिमांस्ट्रेशन भी हो रहा है।

क्रिकेट टेस्ट मैच के सिलसिले में कानपुर में अदालतें बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव यह है—

"दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ को कानपुर के कई मैजिस्ट्रेटों ने अदालत का काम न करके क्रिकेट मैच देखने में समय बिताया। जिसके फलस्वरूप अदालत में आने वाले लोगों को बहुत निराश एवं परेशान होना पड़ा। आमतौर पर मुकदमों में तारीखें बढ़ा देने के कारण अनेकों लोगों को आर्थिक तथा मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ा। इससे जनता में भीषण असन्तोष छा गया है।

अतः यह सदन इस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

ये सब फुटकर-सी बातें हैं और विशेष महत्त्व की नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत से मुकदमे वाले भी मैच देखने के लिये बैठ गये हों, तो उनका समय अच्छा ही कटा होगा, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह बहुत ही आवश्यक विषय है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना दे दें कि क्या कोई स्पेशल छुट्टी उस दिन के लिये ग्रांट हुई थी ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, ९ दिसम्बर, को प्रादेशिक सरकार की तरफ से एक सर्कुलर गया था कि कोई मैजिस्ट्रेट या सरकारी आफिसर टेस्ट मैच देखना चाहें तो उनको स्पेशल कैजुअल लीव दे दी जाय बशर्ते कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का सन्तोष हो कि काम बहुत ज्यादा हर्ज नहीं होगा।

जिला प्रतापगढ़ में परियांवा माइनर में पानी की कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री गया प्रसाद का है "जिला प्रतापगढ़ में स्थित परियांवा माइनर में पानी न आने के कारण परगना मानिकपुर के बजहामीठ, चौरही, बरियांवा, नटवी, रामपुर, गडौली, मिरगढ़वा, अतौलिया आदि गांवों की कई हजार एकड़ की फसल सूख रही है और अगली फसल की सम्भावनाएं नष्ट हो गई हैं। सरकारी अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करने पर भी कोई कार्यवाही न होने के कारण जनता में अपार कष्ट है और परिस्थिति विषम हो गई है।"

इसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि माइनर में पानी कब से नहीं आया, हो सकता है कि उसमें बहुत पहले से ही न आया हो। तो प्रथम दिन ही इस विषय को सामने लाना चाहिये था। अनावश्यक होने के आधार पर मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

बाराबंकी जिले में बड़नपुर की दो स्त्रियों की जीप से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर शर्मा जी का है "जिला बाराबंकी थाना रामनगर के अन्तर्गत सड़क के पास बड़नपुर ग्राम की दो स्त्रियों की मृत्यु १४ दिसम्बर, १९५८ को एक जीप द्वारा कुचल जाने से हो गई जिसमें इसी सदन के ४ विधायक बैठे थे। असावधानी से जीप चलाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।"

यह आरोप ऐसे हैं जिन पर अदालती कार्यवाही हो सकती है। आज ही अखबार में पढ़ कर माननीय सदस्य ने इसको दे दिया है। अनावश्यक तथा अनिश्चित होने से अस्वीकृत करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--मैं दस बजे रेल से वापस आया हूं। रुदौली गया था।

श्री अध्यक्ष--उसकी जांच वहां होगी। इसमें यह चार्ज नहीं है कि किसी को मार डाला।

श्री जंगबहादुर वर्मा--वहां के पुलिस अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह से यहां माननीय सदस्यों के ऊपर आप चार्ज लगा रहे हैं। उनकी असावधानी से हो या किसी वजह से लेकिन इसके ऊपर यहां जिक्र होगा तो वे आप पर लांछन लगा सकते हैं कि आपने खुद तहकीकात नहीं की है। फिर यह अदालती मामला भी हो सकता है जिसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है। मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उसी को यहां खत्म कर रहा हूं। इस तरह से आदरणीय सदन के सदस्यों पर चार्ज लगा देना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वह अदालती मामला हो सकता है।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों व मथुरा जिल में गुड़ तथा गल्ले के भावों में संतुलन न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री टीकाराम पुजारी का है "पूरे उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी जिलों व मथुरा में इस समय गुड़ का भाव १२ रुपये मन तथा मोटे अनाज का भाव १६ से १७ रुपये मन है। गरकी के कारण इस क्षेत्र का किसान पीड़ित व सताया हुआ है

[श्री अध्यक्ष]

और इससे कम दामों में गुड़ बेचने को मजबूर है। सरकार की ओर से गन्ने का दाम कम करके गुड़ आदि वस्तुओं, जिनकी इस समय फसल है, के दामों के साथ सन्तुलन स्थापित नहीं किया जा रहा है और किसान लुट रहा है, इससे जनता में अपार क्षोभ व संकट है।

अतः इस आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब पुजारी जी ५ मिनट में यह बतला दें कि किस तरह से वे समझते हैं कि यह निश्चित विषय है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---आज से दो, ढाई महीने पहले गुड़ का भाव २३, २४ रुपये था। दो महीने बाद जब पश्चिमी जिलों में गरकी तथा बाढ़ आई.....।

श्री अध्यक्ष--- गरकी का क्या मतलब है?

श्री टीकाराम पुजारी---गरकी के मानी बाढ़ के हैं। एक सेला पानी होता है दूसरा चोया पानी होता है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है कि उससे किसान सताया कैसे जाता है?

श्री टीकाराम पुजारी---आप शायद इसी से नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग हिन्दी वाले हैं और आप लोग अंग्रेजी वाले।

श्री अध्यक्ष--- यह बात नहीं है। बात सिर्फ यह है कि क्षेत्रों की भाषाओं में फर्क है। आपके क्षेत्र में गरकी कहते हैं और दूसरे क्षेत्र में कुछ और कहते होंगे।

श्री टीकाराम पुजारी---हमारे यहां गरकी कहते हैं। गरकी को सैला कहते हैं, चोया कहते हैं। वहां १, २ बीघे में किसान की ऊख है उसको पेर रहे हैं। तो १२, १३ रुपये मन गुड़ जा रहा है और १६, १७ रुपये मन मोटा अनाज मिल रहा है। तो श्रीमन्, वह किसान कैसे बचेगा जहां पर न चारे का प्रबन्ध है, न खाने का प्रबन्ध है, न मकान का प्रबन्ध है, न स्वास्थ्य का है और न मरने का कोई प्रबन्ध है.....।

श्री अध्यक्ष--- अब आप बैठें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वे कुछ जानकारी दे सकते हैं। १२ रुपये मन गुड़ और १६ रुपये मन अनाज यह क्या बात है?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कामरोको प्रस्ताव दिया गया है उसमें तो आपने बहुत कम गुड़ का भाव बताया है। मगर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें तो देहरादून में १४.७५ नये पैसे फी मन, सहारनपुर में १४.५० नये पैसे, शामली में १४.५० नये पैसे, मेरठ में १४.७५, हापुड़ में १४.७५, बुलन्दशहर में १५ रुपये, मथुरा में १५ रुपये, आगरा में १५ रुपये, अलीगढ़ में १४ रुपये, और मैनपुरी में १४.२२नये पैसे फी मन का दाम है। तो कहीं भी दाम कम नहीं है। मैंने १९५४-५५ की रिपोर्ट देखी जिस समय प्राइस सपोर्ट स्कीम चालू की गई थी तो उस वक्त १० रुपये मन से नीचे गिर गया था भाव। इसलिये इस वक्त कोई खास गिरावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अनाज के बारे में क्या बात है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उसके बारे में अभी हाल में बहस में जो तीन-चार दिन पहले हुई थी, स्पष्ट कह चुका हूं कि ९ रुपये ७० नये पैसे से नीचे मोटे से मोटे धान का भी भाव नहीं गिरा है।

श्री अध्यक्ष---नहीं माननीय टीकाराम पुजारी जी का कहना है कि भाव इतना बढ़ा है कि १६ रुपये मन मोटा अनाज हो गया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह उनकी गलत धारणा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह विषय निश्चित नहीं है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--- मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार ने प्रदेश के बाहर गुड़ जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्या इसके संबंध में पुनर्विचार करने जा रही है सरकार, ताकि किसानों को गुड़ के ज्यादा दाम मिल सकें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस विषय पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता विचार के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय जंगबहादुर वर्मा जी का है वह भी गन्ने के सम्बन्ध में है और इस विषय में मैं पहले भी गन्ने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नामंजूर कर चुका हूं। इसलिए यह काम रोको प्रस्ताव का विषय आज भी नहीं है।

साहू-जैन सोडा ऐश फैक्ट्री को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में नियम १०७ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रक्रिया नियमावली के नियम १०७ के अनुसार एक प्रश्न उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं। वह यह है कि ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट १९५६-५७ का जो आज सदन के सामने पेश है उसमें एक अत्यन्त खेदजनक अनियमितता हो गई है कि सरकार ने १,४५,००,००० रुपये का कर्जा साहू जैन सोडा ऐश फैक्ट्री को दिया। और अत्यन्त ताज्जुब की बात यह है कि एक भी शर्त उन्होंने पूरी नहीं की है और सरकार ने २६ मार्च, १९५६ को ही रुपया दे दिया है जब कि दिसम्बर, १९५६ में लाइसेंस लिया गया....।

श्री अध्यक्ष---आपने तो उसको ११.५० पर भेजा है।

श्री गौरीशंकर राय---यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। उसको पढ़ने के लिये भी तो समय चाहिये। मुझे देखना पड़ेगा कि इसको मैं ऐडमिट करूं या नहीं। नियम की जो शर्तें हैं उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो एक दम से आयेंगे, मेरे दफ्तर में आ जाने चाहिये.....।

श्री गौरीशंकर राय---आज के बाद तो सदन उठ जायगा। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिये आप समय दें ताकि सदन में चर्चा हो सके..।

श्री अध्यक्ष---मुझसे आप ३ बजे मिल जायं मेरे कमरे में, उस वक्त आप मुझे इसकी आवश्यकता बतायें तो मैं देखूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---फिर तो श्रीमन्, सदन उठ जायगा.....।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो अभी कोई एलान नहीं किया है कि सदन कल उठजायगा। इसके अलावा अभी तो आपने यह चीज पेश की है, पहले से आपने नोटिस नहीं दिया, तो अभी तो मैं देखूंगा कि वह एडमिट हो सकता है या नहीं, फौरन ही उस पर मैं निर्णय दे दूं यह नहीं हो सकता।

भावी कार्य-क्रम की सूचना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि क्या सदन आज ही उठ जायगा यह मुख्य मंत्री जी कृपया बता दें।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी काम के सम्बन्ध में सदन को सोमवार के दिन जो सूचना देते हैं वह दे दें कि इस सप्ताह में क्या कार्य लिया जायगा।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह में अब केवल एक काम होना है, कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर विचार होगा और वह पारित होगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं होना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह भी पता लग जाता कि अब अधिवेशन इसके बाद कब होगा। संसद में तो पहले से.....।

श्री अध्यक्ष---नई नियमावली में भी यह चीज नहीं है कि संसद की तरह से पहले से अधिवेशन की तिथि सरकार बता दे.....।

श्री मोतीलाल अवस्थी---नियमावली में श्रीमन्, यह न भी हो लेकिन पहले से मालूम हो जाय तो अच्छा है, क्योंकि हम भी पहले से तैयारी कर सकते हैं और एक कार्यक्रम बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी अगर अन्दाजे से बता सकें कि वह आगे कब सदन बुलाना चाहते हैं तो वह बता दें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---यह कार्यवाही कितने दिन तक चलेगी?

श्री अध्यक्ष---यह तो वही बता सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय विधेयक के लिये कितना समय निश्चित किया गया है?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये कोई समय निश्चित नहीं हुआ है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२६ जनवरी के बाद हम चाहते हैं कि २८ या २९ से सदन की बैठक बुलायें, लेकिन अगर उसमें किसी वजह से दिक्कत हुई तो यह आशा है कि १ या २ फरवरी से बैठक होगी।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम में एक तो कृषि विश्वविद्यालय विधेयक छपा है और दूसरा कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक छपा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक ३-४ तारीख के एजेंडे में आया था तो उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि वह सब समाप्त किया जायगा, लेकिन आज की बात से मालूम हुआ कि अब वह इस सेशन में नहीं लिया जायगा...।

श्री अध्यक्ष---तो जानकारी तो आप को है, जब उन्होंने कह दिया कि इस सप्ताह में केवल कृषि विश्वविद्यालय विधेयक लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---मैं श्रीमन्, जानना चाहूंगा कि उसे क्यों ड्राप कर दिया गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में जाकर काम करना चाहते हैं और उनकी सुविधा का खयाल करके हम यह बैठक जल्द समाप्त करना चाहते हैं। इस विषय को हम अगली बार ले सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन् आप को मालूम है कि कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक के बारे में बिजनेस कमेटी ने एक टाइम लिमिट की थी, लेकिन अब उसकी सारी कार्यवाही को खत्म करके दूसरा विधेयक ले लिया गया है. . . . ।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर का विषय नहीं है, सरकार को अधिकार है कि वह चाहे जिस क्रम से कार्य को ले और जिस चीज को वह प्राथमिकता देना चाहे दे। जब कोई विधेयक लिया जायगा तो अधिक से अधिक समय कार्य समिति निश्चित करती है। अब जिस वक्त वह लिया जायगा तो सदन द्वारा पूर्व निश्चित समय में ही वह पारित होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आपके द्वारा एक प्रार्थना करना चाहता था मुख्य मंत्री जी से कि जिला परिषद् विधेयक पहले एजेंडे में आया था, फर उसके बाद बदल गया, तो वह काट दिया गया। क्या हम आशा करें कि जिला परिषद् विधेयक अगली बार आयगा. . . .

श्री अध्यक्ष---प्रोग्राम आपको बाद में भेजा जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उसकी, विधेयक की, प्रति मुझे भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं यह नहीं चाहता कि भविष्य के सम्बन्ध में उनसे एक-एक बात के बारे में आप वादा करावें और फिर कुछ पूरे हो सकें कुछ न हो सकें। इससे कुछ नतीजा नहीं है, आपके पास नोटिस पहुंच जायगा।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन††

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७२९/३३---२७९-५८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को यू० पी० पंचायत राज एक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८*

(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, इस पर विवाद जारी होगा। अब श्री मोतीलाल अवस्थी भाषण देंगे।

(शोर)

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो बाहर जाना चाहें वह शान्ति पूर्ण तरीके से जायं तो अच्छा ? जिससे अवस्थी जी का भाषण सुनाई दे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली दफा इस सम्बन्ध में कुछ विशेष दिक्कतों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि यह कृषि विश्वविद्यालय विधेयक जिस बड़ी आशा को लेकर हमारे सामने आया है अगर उसी निगाह से हम देखें तो हमें निराश होना पड़ रहा है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन हमारे सामने है उसमें कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी डिसेंट टिप्पणी भी दी है और उस टिप्पणी को मैंने गौर से देखा है और मुझे यह कहने का अधिकार है कि उस विमति से भी मुझे विमति है।

---

†† छापे नहीं गये।

* ९-१२-१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

† १३-१२-१९५८ की कार्यवाही ही से।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इस कृषि विश्वविद्यालय को दो निगाह से लोगों ने देखा है। कुछ तो इसे एक दूसरा ही नया विश्वविद्यालय, जैसे कि प्रान्त में हैं, उसी में एक बढ़ने वाला समझते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें वही सब बातें मौजूद हैं या नहीं। विमति देने वालों में हमारे आदरणीय एक सदस्य रामपुर के ऐडवोकेट हैं। उन्होंने तो इसके नाम के साथ "रूरल" शब्द रखना ही नापसन्द किया और वह नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी में रूरल की अधिकता या रूपता हो और उस प्रदेश के पिछड़े हिस्से में कृषि के आधार पर कोई विश्वविद्यालय सरीखी चीज बढ़ायी जाय, योजना बनायी जाय, उसमें उनको एतराज था। फिर दूसरे हमारे बहुत से विद्वान् आदरणीय सदस्यों ने जिनमें हमारे श्री नारायणदत्त जी तिवारी अधिक प्रमुख हैं उन्होंने इस विश्वविद्यालय को अपनी नुक्ते निगाह से देख कर यह चाहा कि इसमें करीब-करीब देश के जो अन्य विश्वविद्यालय अपने प्रदेश में हैं उनके ही अनुरूप बहुत-सी बातें होतीं और अपनी तर्कना में उन्होंने चाहा कि इसमें भी सिनेट और कोर्ट आदि की बातें नहीं हैं, अतः यह बहुत कुछ अपंगु-सा बन रहा है। मैं अपनी निजी राय रखते हुये यह कहना चाहता हूं, वैसे मेरा अनुभव कम हो सकता है क्योंकि वैसे तो मैं एम० ए० हूं, लेकिन जिन यूनिवर्सिटियों से मेरा सम्पर्क नहीं रहा उनसे मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं, फिर भी ऐसी आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती कि इन यूनिवर्सिटियों के अनुरूप ही आगे भी यूनिवर्सिटियां कायम की जायं। अभी सैडलर कमीशन वगैरह के उद्धरण पेश किये गये। लेकिन ये सैडलर कमीशन और उस समय के ब्रिटिश राज्य के दूसरे कमीशन जिन्होंने हिन्दुस्तान में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सलाह दी वे वेस्टर्न एजुकेशन के समान ही सोचते थे और कभी भी उन्होंने हमारे देश में नालन्द विश्वविद्यालय या प्राचीन हिन्दू काल के समरूप विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात नहीं सोची। यही वजह है कि जो विश्वविद्यालय आज यहां हैं उनसे हमारे देश की संस्कृति मेल नहीं खाती और वे देश के लिये उपयुक्त होने की जगह अनुपयुक्त होते जाते हैं।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे सामने जो नये विश्वविद्यालय की बात है और जिसके निर्माण में आधारभूत वह समिति है जो भारत-अमरीकी मंडल है और जिसके सुझाव पर यह सब काम हो रहा है हमें उनसे कुछ भ्रम-सा पैदा हो रहा है। यदि अमरीका के समान हम अपनी कृषि की उन्नति कर सकें, उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने पिछड़े हुये ग्रामीण क्षेत्रों में यह भावना पैदा कर सकें कि वह कृषि की उन्नति की ओर रुझान दें तो जरूर उन्नति हो सकती है। लेकिन अमरीका और हिन्दुस्तान, इन दोनों की सचमुच दो प्रकार की समस्याएं हैं। जो बातें अमरीका में सम्भव हों वे अपने देश में भी सम्भव हों ऐसा जरा समझ में नहीं आता। इस देश में अमरीका के मुकाबले कहीं ज्यादा निर्धनता है, कहीं ज्यादा कृषि में पिछड़ापन है और कहीं ज्यादा पुराने तरीकों से चलने की वृत्ति भी है। ऐसी दशा में जो हमारे विश्वविद्यालय बनेंगे उनसे देश की कमी की पूर्ति हो सकेगी इसमें मुझे शंका है।

इस विश्वविद्यालय की जो रचना की गयी है उसमें दो बातें बहुत आधारभूत हैं। एक तो यह कि यह नैनीताल तराई में बनेगा और उसके कैम्पस में ४–५ कालेजेज होंगे जो निकट भविष्य में नहीं, बल्कि ३–४ साल के बाद बन कर तैयार होंगे। तब लैंड ग्रांट कालेज के सदृश कोई चीज हमारे सामने आयेगी। दूसरे जो नये विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट बोर्ड रखा गया है उसके बारे में दोनों तरफ से आलोचनाएं हुईं। इसके नाम में चाहे फर्क हो, लेकिन यह एक प्रकार की प्रबन्धक कमेटी है। इसके निर्माण में कुछ कांस्टीटुएंट पार्ट्स नये अवश्य हैं। इसके अलावा एकेडेमिक कौंसिल या फैकल्टीज हैं और वह नहीं है जो अन्य यूनिवर्सिटियों में विशेषकर होता है। बोर्ड की कुछ बातें तो अवश्य अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों को एतराज है कि इस बोर्ड का सभापति वाइस चांसलर ही होना चाहिये और यह एतराज उन्हीं लोगों से है जो प्रचलित विश्वविद्यालयों की निगाह से ही हर बात को सोचते। उनके लिये यह सोचना ही असम्भव है कि वाइस चांसलर के इक्वीवैलेंट कोई सदस्य बोर्ड का सभापति हो लेकिन वाइस चांसलर के प्रति पूरा-पूरा आदर रखते हुये भी मुझे

कुछ ऐसा कहने का साहस हो रहा है कि वाइस-चांसलर अपनी शिक्षा-दीक्षा से कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उनको देश के नये विचारों को ग्रहण करना ही असम्भव हो जाता है। अतः यदि उनसे अलग होकर कोई बोर्ड का सभापति हो जो नये विचार रख सके तो यह एक उत्तम चीज होगी और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि वाइस-चांसलर को इस बोर्ड का सभापति होना अनिवार्य रूप से रख दिया जाय। यद्यपि इसमें १४ सदस्यों की सम्भावना है और उनमें कुछ सरकार के मनोनीत सदस्य हैं या सरकारी अहलकार हैं और कुछ चुने हुये सदस्य हैं तो इस अनुपात से देखें तो यह निष्प्राण-सा लगता है। जब तक कि इस बोर्ड में विश्वविद्यालय के हेड्स का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक यह बात खटकती है। इस विश्वविद्यालय से जो निकले हुए विद्यार्थी होंगे उनकी योग्यता तथा क्षमता के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना है लेकिन हम यह सोचते हैं यह विश्वविद्यालय ऐसे उन्नति के कार्य सोच सकता है जिनसे गांवों की उन्नति हो सके। इसलिये इसमें नई विचार शैली के लोगों का ही आधिपत्य होना चाहिये और इसमें पुराने तरीके के लोगों की आवश्यकता मालूम नहीं होती है।

श्रीमन्, इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बारे में नया संशोधन है। इनका पहला अवधिकाल चार साल का है और राज्यपाल द्वारा उनकी नामजदगी होगी। हमें एक तो राज्यपाल द्वारा नामजदगी होने पर एतराज है और दूसरा एतराज है चार साल की अवधि रखने पर। इसलिये कि जब हम एक विश्वविद्यालय बनाते हैं तो उसमें उपकुलपति के पद पर नये विचार के लोगों को आने के लिये चार साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इसमें नामजदगी की बात बहुत खटकती है। बेहतर यह होता कि पहली अवधि काल दो साल की होती। इसके उपरांत दूसरा उप कुलपति आयेगा तो उसको अवधि चार साल रखना उचित होगा। इसी के साथ-साथ बोर्ड के अलावा जो दूसरे प्राधिकारी हैं वे डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, एजूकेशन और एनीमल हस्बेंडरी हैं और ये एक प्रकार से मुख्य प्राधिकारी हैं।

दूसरे प्राधिकारियों में आपकी एकेडेमिक कौंसिल भी है इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। धारा १६ (२) में दिया हुआ है कि "विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों की पदावधि नियमित की जायगी", यह एकेडेमिक कौंसिल यानी विद्वत् परिषद् के बारे में है। सदस्यों के टर्म्स के बारे में सारे अधिकार स्टेट्यूट्स को दे दिये गये हैं। इसमें बताया गया है कि इसके क्या कर्त्तव्य होंगे। इसी प्रकार, श्रीमन्, इसके संघटन के अलावा हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कितनी फैकल्टीज होंगी। यह हर विश्वविद्यालय के मूल ऐक्ट में प्रदर्शित रहता है। लेकिन यही एक ऐसा विधेयक है जिसमें कितनी फैकल्टीज होंगी इसके बारे में कोई भी उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि ये फैकल्टीज स्टेट्यूट्स के अन्तर्गत होंगी। खंड १७ में लिखा हुआ है कि प्रत्येक फैकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं, तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायंगे। इस प्रकार इस विश्वविद्यालय का सर्वांगीण चित्र हमारे सामने नहीं रखा जा रहा है और हम नहीं जान पाते कि इस विश्वविद्यालय के अन्दर क्या क्या फैकल्टीज होंगी। केवल दो बातें हमारे सामने हैं—ऐग्रीकल्चरल एक्सपेरीमेंट स्टेशन और ऐग्रीकल्चरल ऐंड होम साइंस एक्सटेंशन सर्विस। यद्यपि इनको ऐग्रीकल्चरल फैकल्टी के अन्दर रखा गया है लेकिन सेक्शन १९ के उपखंड (१) . . .

श्री अध्यक्ष—बहुत ब्योरे में आप न जायं। जो प्रतिवेदन है उसी पर विचार होना चाहिए।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो एक-एक लाइन का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप बहुत ब्योरे में जा रहे हैं। प्रतिवेदन पर ही आपकी बहस होनी चाहिए।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस प्रतिवेदन में ऐग्रीकल्चर ऐंड होम साइंस एक्सटेंशन सर्विस के बारे में अधिक उल्लेख नहीं है। तो भी कहा गया है कि यह कृषकों तथा गृहणियों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता देंगे। उसके आगे उसमें यह बताया गया है कि यह समस्याएं कैसे सुलझायी जायंगी जैसे "उपयोगी सूचना उपलब्ध करायेंगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरुचि का विकास करने के लिए उपाय करेंगी जैसे तरुण संघों की स्थापना। कृषि और गृह विज्ञान की सेवा इस विश्वविद्यालय की विशेष देन है जो विशेष तौर से उल्लिखित है। बाकी फैकल्टीज का कोई उल्लेख नहीं है। इससे भ्रम पैदा होता है। जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने ऐतराज किया था स्टैट्यूट्स को इतने अधिकार दे देना और ऐक्ट में निदश न करना, यह अंधेरे में रखने के समान है और हम नहीं जान पाते कि उसके प्रमुख-प्रमुख अंग किस प्रकार बनेंगे और उनकी कार्य-विधि क्या होगी।

श्रीमन्, इसमें जो आधार की बातें बतायी गयी हैं, लैंड ग्रांट्स कालेज जिनके आधार पर इस बिल का निर्माण किया जा रहा है मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है कि हमारे देश में यह चीजें कहां तक कामयाब हो पायेंगी। विशेष तौर पर जहां यह कहा गया है कि हमें इसके सम्बन्ध में कुछ आर्थिक सहायता मिल रही है, उस सहायता से और केन्द्रीय सरकार की सहायता से इसका निर्माण कर लें, यहां तक मैं इसका स्वागत करूंगा। एक धन मिलता हो तो उसका सदुपयोग हो, लेकिन जो देश की बड़ी मांग है कि कृषि प्रधान देश की समस्याओं को हल करने के लिए एक विश्वविद्यालय बने या ग्रामीण विश्व-विद्यालय बने वह समस्या अब भी खड़ी रहेगी जब तक उसके अनुरूप कोई ऐसा विश्वविद्यालय न बने जो उस समस्या को हल कर सके। इस प्रकार के जितने विधेयक हमारे सामने आते हैं उन सब में एक प्वाइंट देखने को मिल जाता है वह है छात्र-कल्याण के डीन के सम्बन्ध का। छात्र कल्याण के डीन के सम्बन्ध में भी व्यवस्था अब विश्वविद्यालयों में आने लगी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु इस छात्र कल्याण के सम्बन्ध में जो कर्तव्य बताये गये हैं उनमें एक यह भी कर्त्तव्य है कि छात्रों को नौकरी दिलाना। यह उपखंड (३) में दिया हुआ है।

इसके अन्त में पांचवें भाग में यह भी दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय छात्रों को नौकरी दिलाने में सहायता देगा। इस तरह का कार्य यह इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के आधार पर करेगा। इससे यह बात समझ में आ सकती है कि इसका कार्य नौकरी दिलाना ही रह जायगा। हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय से निकले हुये स्नातकों के लिये नौकरी दिला सकना या उसमें सहूलियत पैदा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पर हमको यह भी देखना है कि कहीं यह विश्वविद्यालय छात्रों को काम दिलाने की ही संस्था बनकर न रह जाय। हम यह समझते हैं कि यह छात्रों के कल्याण के लिये जो डीन फैकल्टी हो वह स्वतन्त्र रूप से काम कर सके। इसके साथ हम यह देखते हैं कि इसमें उप-कुलपति का नाम रखा गया है। हम यह उचित समझते हैं कि स्वतन्त्र रूप से इसका निर्माण होना चाहिये। इसमें उप-कुलपति की अन्तिम राय रहना उचित नहीं मालूम होता है यद्यपि इसमें सम्पूर्ण अधिकार दिये जाने की बात सन्निहित है। इस विश्वविद्यालय की सारी स्कीम को अगर देखा जाय तो यह मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ पोस्ट क्रियेट होंगी और वे नई पोस्ट कुछ स्पेशल तरीके पर होंगी और कुछ लोगों को काम मिलने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रार की बात है, डीन की बात है। इसी प्रकार से अन्य अधिकारियों की भी बात है। इन सब योग्यताओं के बारे में और अन्य इम्पलायमेंट के बारे में इस ऐक्ट में नहीं है। इसके स्टैट्यूट्स में देखने से पता लगेगा, लेकिन इतना जाहिर है कि कुछ पोस्ट क्रियेट हो रही हैं और यह पोस्ट हजारों रुपये की होंगी। कुछ लोगों को अपनी उस नौकरी से हटकर इनमें आने का मौका मिलेगा। इस विभाग के अधिकारियों को कुछ लोगों को काम देने का अवसर होगा, लेकिन अपने देश में उन विद्यार्थियों की संख्या कई लाख है, जिनको नौकरी दिलाना हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों को विश्वविद्यालय से निकलने के बाद इम्पालयमेंट दिला सकें।

इस सारी योजना के अन्तर्गत जो एक क्षेत्र इसके लिये निश्चित किया गया है तराई क्षेत्र का उसमें अगर और क्षेत्र को भी शामिल कर दिया जाता तो उचित था, जैसा कि प्रवर

समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है । यदि रुहेलखंड का क्षेत्र इसमें शामिल कर दिया जाय तो उचित है। मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि वह अपने प्रान्त के कुछ एनीमल हस्बैन्ड्री संस्थाओं को भी उसमें जोड़ दें और उनको भी उस विश्वविद्यालय में मिलाने की कोशिश करें तो उससे भी उन्नति होगी और इनको उसमें शरीक होने का मौका मिलेगा और उन योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी । मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक हिस्से में प्रदेश के यह विश्वविद्यालय बनेगा और अपने कैम्पस के अन्दर ही कुछ कालेजेज को चलायेगा और उसके निकले हुये लोग नौकरी तलाश करने वाले नवयुवक होंगे और कुछ प्राध्यापक होंगे जो ऊंची-ऊंची तन्खवाहें पानेवाले लोग होंगे । इसके अतिरिक्त मुझे इस सारी योजना में और कोई चीज दिखाई नहीं देती ।

बहरहाल, जो कुछ भी है समथिंग इज बेटर दैन नथिंग (Something is better than nothing) । फिर भी देश की मांग कुछदूसरी है । इस कृषि प्रधान प्रदेश में कृषकों के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद लौट करके अपने खेतों की ओर जाने का इसमें मौका भी नहीं मिलेगा, बल्कि नौकरियों की ओर ही जाने की प्रेरणा उनको प्राप्त होगी । यदि उनको कुछ ऐसी शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से मिल सके या अन्य किसी विधेयक द्वारा सम्भावित हो सके जो शायद हमारे कृषि मंत्री जी के मस्तिष्क में हो और आने वाला हो तो बेहतर होगा । हम चाहते हैं कि ऐसी कृषि शिक्षा योजना हमारे सामने आवे, जिसमें हमारे नवयुवक कृषि की शिक्षा पाकर अपने खेतों की ओर लौटें और कृषि उत्पादन में सहायक हों । हम चाहते हैं कि हमारे कृषि मंत्री के मस्तिष्क से निकलकर कोई ऐसी योजना हमारे सामने आवे । इन थोथी स्कीमों से हमारी समस्या हल होनेवाली नहीं है । इससे सिर्फ कुछ प्राध्यापकों का स्तर बढ़ जाय या कुछ लोगों को नौकरियां मिल जायं और कुछ नहीं होनेवाला है । यह कह कर मैं चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर जितना इसका कैम्पस है उसी पर हम लोग विचार करें अन्यथा यह कोई मौलिक परिवर्तन हमारे समाज के अन्दर नहीं लाने वाला है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कृषि विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में काफी प्रकाश पड़ चुका है । दो बातें मैं भी इस आदरणीय सदन में निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो कुछ संशोधन भेज कर मैंने प्रयास किया है कि इसमें कुछ तरमीम हो, लेकिन मेरी राय में अगर इसे प्रवर समिति में पुनः भेजकर अधिक प्रजातांत्रिक बनाने का प्रयास हो तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--आप कम से कम नियम को देख लें । नियम में यह है कि प्रवर समिति से या संयुक्त प्रवर समिति से लौटे हुये विधेयक पर ज्यादा विस्तृत बहस नहीं होनी चाहिये । इस विधेयक के सिद्धान्तों पर काफी विचार हो चुका है और उसके बाद यह संयुक्त प्रवर समिति में भेजा गया और उसमें प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन भेजा । इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें । अगर दोबारा उन सब बातों पर बहस होगी तो बड़ी लम्बी बहस हो सकती है ।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता ।

इसके मैनेजमेंट बोर्ड की जो बनावट है उसके सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि विश्वविद्यालय के ऐकेडेमिक साइड और एक्जीक्यूटिव साइड में काफी दूरी है । विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, उसमें काम करने वाले डीन यह सब लोग उसकी एक्जीक्यूटिव में नहीं हैं । उसकी एक्जीक्यूटिव में पहले ही से बहुत से नामिनेटेड लोग हैं । कमेटी में विभिन्न अवसरों पर सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार के नामिनेशंस कम से कम होंगे और अभी एक दूसरे बिल में बहस होते समय सरकार ने अपनी नीति साफ की थी कि हम नहीं चाहते कि हर जगह नामिनेशंस ज्यादा हों । इसमें सरकारी नामिनेशंस बहुत ज्यादा हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों की सलाह सरकार को ऐसे ही मिला करेगी अगर वह एक्जीक्यूटिव के अन्दर न रहें तो भी। इसके साथ ही साथ,

[श्री गौरीशंकर राय]

अगर वाइस-चांसलर को ही इस यूनिवर्सिटी का चांसलर मान लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन एक तरफ तो खुद चांसलर गवर्नर महोदय हों और दूसरी तरफ इसके मैनेजमेंट बोर्ड में सभी डाइरेक्टर्स रहें तो ऐसी स्थिति में यह एक विचित्र प्रकार का विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ ही साथ में एक बात की तरफ और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे एक दूसरे प्रकार का ही दृष्टिकोण हमारे सामने आयेगा। यह बात विवादास्पद रही है कि यह कृषि विश्वविद्यालय हो या ग्रामीण विश्वविद्यालय हो । मैं सदन को अपनी एक राय देना चाहता हूं इस सिलसिले में। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रयास यहां की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिये ।

आजकल जो प्रयास किया जाता है वह विश्वविद्यालयों में डिग्री होल्डर पैदा करने का होता है। इस के बजाय अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे प्रदेश में या देश में हो कि ऐसे लोगों का भी प्रशिक्षण हो सके कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो अधिक अच्छा होगा। जो लोग व्यावहारिक रूप से खेती का काम करते हैं, कृषक हैं, खाद डालने वाले हैं या निराई करने वाले हैं उनको शिक्षा दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार के कैम्प्स कुछ थोड़े-थोड़े दिनों के लिये खोल दिये जायं तो मेरी समझ में बहुत ज्यादा व्यावहारिक चीज होगी बजाय इसके कि जिस प्रकार की आज कल बी० एस-सी० (एजी०) और आई० एस०-सी० (एजी०) को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है । उस प्रकार से हमारे प्रदेश को अधिक फायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से और भी जो हमारी ग्रामीण आवश्यकताएं हैं उनको भी इस विश्वविद्यालय से मदद पहुंचानी चाहिये । यद्यपि कृषि ग्रामीण समस्याओं का प्रधान अंग है, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी बहुत सी समस्याएं हैं जैसा कि महात्मा गान्धी का विचार था कि गांवों को सेल्फ सफीशियेन्सी की ओर ले जाना। उसी उद्देश्य को सामने रख कर हमें इस विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहिये, ताकि हम ग्रामीण समाज को उपयोगी बना सकें । अगर ऐसा हो जाय तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छी बात होगी ।

जब मैं इस बिल को देखता हूं तो इस चीज का कहीं भी समावेश मुझको नहीं मिलता। इसमें भी क्वालीफाइड लोग ही लिये जायंगे जो कृषि के ग्रेजूएट हो कर निकलेंगे। जिस प्रकार से और दूसरे ग्रेजुएट हमको मिलते हैं उसी प्रकार के ये भी होंगे। हो सकता है कि ये कुछ विशिष्ट यूनिवर्सिटी के निकले हुए हों लेकिन इनसे समाज निर्माण में कोई सहायता या देन मिल सकेगी, इसमें मुझे संदेह है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक नवीन प्रयास है और जब इतना पया खर्च हो रहा है तो हमें इस तरफ भी ध्यान रखना होगा। अगर यह कृषि विश्वविद्यालय न होकर ग्रामीण विश्वविद्यालय हो तो मैं समझता हूं कि यह देश और प्रदेश के लिये अधिक कल्याणकर होगा ।

मुझे कोई विशेष बात इस सम्बन्ध म कहनी नहीं है, जो कुछ कहना है वह संशोधनों के रूप में हाउस के सामने आयेगा। लेकिन मैं पुनः एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि इसकी मैनेजमेंट की जो बाडी है उसकी बनावट में कुछ ढीलापन होना चाहिए और इसको जो अधिकारियों से भर दिया गया है वह नहीं होना चाहिये। वाइस-चांसलर की नियुक्ति भी पहली बार चार साल के लिये की गयी है और वह अपनी तबीयत से होगी। मैं समझता हूं कि पहली बार उसकी नियुक्ति एक साल के लिये होनी चाहिये और उसके बाद उसकी नियुक्ति बनाये गये नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाय और इसमें जो संशोधन हैं उनको माननीय मंत्री जी मानें।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं उनका आभारी हूं, लेकिन एक बात मैं आपके द्वारा इस सदन की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं और वह यह कि जितने सुझाव आये हैं और जिस तरह से इस सदन में बातें की गयी हैं उनमें हमारे सोचने की एक सीमा है और वह यह कि जो यूनिवर्सिटियां हमारे देश में अब तक हैं उन्हीं के पैटर्न, उनके ढांचे हमारे दिमाग के सामने हैं। यूनिवर्सिटी का एक नया ढांचा भी हो सकता है, किन्तु उससे हम परिचित नहीं हैं। इसलिये उस तरफ हम सोच नहीं पा रहे हैं ऐसा मेरा निवेदन है। आज कल की यूनिवर्सिटीज बड़ी भारी शानदार चीजें हैं। उनमें शिक्षा दी जाती है। वहां के प्रोफेसर्स बड़े-बड़े ऊंचे अधिकारी होते हैं।, लेकिन उनका कोई सम्बन्ध खेत से ही ऐसा नहीं है। इसलिये यह एक नया ढांचा है जो इसके द्वारा पेश किया जा रहा है। उसमें एक बड़ा भारी सवाल यह है कि जो अब तक यूनिवर्सिटियां हमारे प्रदेश या देश में हैं वे अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों के ढांचे पर बनी हुई हैं, क्योंकि इंगलैन्ड में खेती की कोई बड़ी जगह नहीं है और वह उद्योग प्रधान देश है। खेती के लिये उन लोगों को कोई चिन्ता नहीं है और वे ऐसा सोचते हैं कि खेती बिलकुल न करें और बाहर से अन्न मंगा कर ही काम चला लिया करें। इस प्रकार की बात वे लोग सोचते रहे और अपनी शक्ति को उद्योग में लगाने की बात सोचते रहे। तो हमारी यूनिवर्सिटियां भी इसी आधार पर बनी हैं।

जिस ढांचे पर इस नयी यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है उसका असली उद्देश्य यह है कि जो कुछ पढ़ाया जाय या जो कुछ अनुसंधान हो, रिसर्च हो, वह खेत तक पहुंच जाये। आज तक इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी हमारे देश में स्थापित नहीं हुई और इसलिये मैंने कहा था कि यह एक नये प्रकार की यूनिवर्सिटी हम अपने देश में स्थापित करने जा रहे हैं जिसका श्रीगणेश इस सदन में इस बिल के द्वारा हो रहा है। इसके लिये हमें गर्व है। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि जो ढांचा और तरीका अब तक रहा है उससे जरा हट कर सोचें। वह यूनिवर्सिटी कैसी होगी जिसमें कोर्ट न होगा, १००, १५० मेम्बर न होंगे या जिसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व न होगा या जिसमें ग्रेजुएट्स का प्रतिनिधित्व न होगा। वह वाइस-चांसलर ऐसा कि जो मीटिंग में प्रेसाइड न करें। ये सारी चीजें हम उन पुरानी यूनिवर्सिटियों से नहीं ले रहे हैं। उनकी खूबियों या खराबियों को न मैं बयान करने खड़ा हुआ हूं और न उनकी जरूरत है, क्योंकि वह सब के सामने है। हमारे सामने उद्देश्य यह है कि पढ़ाई की रिसर्च को किस तरह से खेत तक पहुंचा कर कृषि की उन्नति करें। यही हमारा काम है। और इसीलिये इसको एक दूसरे ढांचे पर ढालने की कोशिश की गयी है। जब इसके लिये बाहर हमने नजर डाली तो देखा कि इंगलैन्ड में इस प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका सब से ज्यादा अच्छा नमूना हमको लैन्ड ग्रान्ट्स कालेज में मिला और उसको हमने लेने की कोशिश की है। इसलिये यह खयाल बिलकुल गलत है कि यूनिवर्सिटी का कोर्ट बड़ा होना चाहिये, उसकी एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल होनी चाहिए, उसमें डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये, ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये और वाइस-चांसलर को प्रेसाइड करना चाहिये। ये सारी चीजें एक ही ढांचे की हैं, जिससे हम दूसरे ढांचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसका उद्देश्य है, अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो दो वाक्य हैं जिनको अंग्रेजी में पढ़कर मैं उसका अनुवाद हिन्दी में कर दूंगा। यह लैन्ड ग्रांट कालेज की एक किताब है, जिसके ७२७ पेज पर लिखा हुआ है:

"They have justified their position on the basis of their unique function in the integration of knowledge with life wherever life may be."

यानी जहां कहीं भी जिन्दगी है उस जिन्दगी के साथ नालेज को जोड़ना या ज्ञान और जीवन को जोड़ना और उसको इकट्ठा करना, इंटेग्रेशन का मुख्य कार्य है:

"This desire for the intimate relation of learning with living has carried the college into the factory, the farm and the home."

[श्री मोहनलाल गौतम]

यानी यह जो इच्छा है कि हम विद्या को जीवन के साथ मिला दें, इस उद्देश्य को लेकर इस कालेज की स्थापना की गयी है कि उसका ज्ञान फैक्टरी में, फार्म्स में और होम में यानी कारखाने में, खेतों में और घरों में पहुंचे। इसका असली मतलब यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी का इम्तहान इस बात पर होगा कि उसने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, तमाम अनुसंधान जो हो रहे हैं उनको किस तरह से खेतों तक पहुंचाया और उस खेत की शक्ल को बदलने में और ज्यादा अन्न पैदा करने में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। ऐसी बहुत-सी चीजें जो कही गयी हैं, वे पुराने ढंग की हैं। मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे माफ करें अगर मैं एकाध लफ्ज कहूं कि जो हम आज शक्ल देखते हैं टीचर्स की, टीचर्स का रेप्रेजेंटेशन जब आप कोर्ट में करते हैं तो उसका ही नतीजा शायद आप देखेंगे कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल टीचर्स का एप्वाइंटमेंट करती है तो वह अपने फ्यूचर वोटर्स की तरफ नजर रखती है। जो टीचर्स डीन बनेंगे, हेड आफ दि डिपार्टमेंट बनेंगे वे अगर अपने दिमाग में एक्जीक्यूटिव कौंसिल को रखें तो उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में ग्रुप्स हैं और जब ग्रुप्स कुछ हैं तो अगर उसके सामने सवाल हो कि डीन आफ ला फैकल्टी कौन हो तो यह जरूरी नहीं है कि नं० १ का आदमी ही उसके लिये चुन लिया जाय। हो सकता है कि नं० २,३ या नं० ४ का आदमी चुन लिया जाय और नं० १ का आदमी न चुना जाय, क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल मेरिट के आधार पर चुनाव नहीं करेगी, वह तो उसको अपना वोटर बनाने के खयाल से मेजारिटी और माइनारिटी को ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव करेगी। यह वह कभी नहीं पसन्द करेगी कि ऐसे आदमी का एप्वाइंटमेंट हो जो उसकी मेजारिटी को माइनारिटी में कनवर्ट करने में मदद करे। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो हेड आफ डिपार्टमेंट हो वही डीन आफ फैकल्टी भी हो जाय। एक्जीक्यूटिव कौंसिल तो ऐसे प्रोफेसर को चुनती है जो उसकी मेजारिटी को माइनारिटी में कनवर्ट करने की कोशिश न करे।

जहां तक टीचर्स की बात है वे तो मेरिट पर चुने जा सकते हैं। जहां तक चुने जाने का ताल्लुक है मैं आपसे निवेदन करूं कि उसका प्रोसीजर यही है कि सेलेक्शन कमेटी के बिना कुछ नहीं होगा। नीचे से आयेंगे। जो अमेरिकन कंसेप्शन है वह यह है कि डीन आफ दि फैकल्टी से प्रोफेसर अपने आपको बड़ा समझता है। प्रोफेसर वह है जो रिसर्च करे, पढ़ाये और डीन वह है जो इन्तजाम करे। डीन जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर से बड़ा हो। प्रोफेसर आइंस्टीन तो सुना है, लेकिन डीन आइंस्टीन नहीं सुना गया प्रोफेसर आइंस्टीन से कहिये कि वह इन्तजाम करे तो नहीं कर सकता। यह सोच कर इसमें प्रोफेसर को अलग रखा गया है ताकि मेरिट पर सेलेक्शन हो सके और ठीक-ठीक काम चल सके।

जहां तक नाम का सम्बन्ध है पहले ही मैं कह चुका हूं और फिर दोहराये देता हूं कि हमने शुरू में रूरल यूनिवर्सिटी रखना चाहा था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजूकेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऐग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया और मैं समझता हूं कि यह सही भी है। इन दोनों में फर्क इतना ही है जैसा कि रूरल यूनिवर्सिटी में कुछ माननीय सदस्यों ने यहां जिक्र किया उसमें मिलिटरी ट्रेनिंग हो सकती है, कल्चरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐग्रिकल्चर का दायरा कुछ संकुचित और सीमिति होगा और हम उसे सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन बहुत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐग्रिकल्चर के सब्जेक्ट को और एलाइड सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से वहां पढ़ाया जाय और जो हमारे पास सीमित साधन हैं उनसे हम पूरा फायदा उठा सकें। यह हमारी इच्छा है।

जहां तक दूसरे विषयों का सम्बन्ध है इस सदन ने एक और नयी यूनिवर्सिटी गोरखपुर की बनाई है। वह रूरल यूनिवर्सिटी के लिये तजुर्बा करना चाहती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्लीन स्लेट की तरह है। वह यूनिवर्सिटी रूरल यूनिवर्सिटी का तजुर्बा कर ले। दोनों तजुर्बों को मिला कर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को हम इस सदन से प्रार्थना करेंगे कि इसे ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी ही रहने दिया जाय, क्योंकि ऐग्रिकल्चर से ही इसका बहुत जोर का सम्बन्ध है। अगर ऐग्रिकल्चर को हमने डेवलप किया, तब तो हमारी इकानामी ठीक रहेगी और हमारे प्लान्स ठीक रहेंगे, नहीं तो हम लोगों को अगर करोड़ों और अरबों रुपये का

अन्न बाहर से मंगाना पड़ा तो हम कहां जायेंगे, हमारे प्लान्स का क्या होगा और क्या हमारे इकानामिक सिस्टम का होगा यह कहा नहीं जा सकता। इसलिये हम लोग उस पर सीमित साधनों से कंसन्ट्रेट करें। यह ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी है। सब्जेक्ट्स को भी हमने सीमित रखने की कोशिश की है, ताकि पूरा जोर दिया जा सके और उन सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जा सके।

जहां तक ऐकेडेमिक पैटर्न का ताल्लुक है यह कहा गया था कि हमारे टीचर्स का इसमें बहुत ऊंचा स्थान है और हमारी भी यही इच्छा है कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स का स्थान बहुत ऊंचा हो, इसलिये कि टीचर्स की इज्जत पर ही सारी यूनिवर्सिटी का दारोमदार है। अगर टीचर्स यह फील करें कि हमारा कोई स्थान नहीं है तो यूनिवर्सिटी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिये इसमें जितने भी ऐकेडेमिक काम हैं उनमें टीचर्स को पूरा अधिकार है। फेक्लटीज में टीचर्स हैं। उनका किस तरह से एडमिशन हो, पढ़ाई किस तरह से हो, इम्तिहान किस तरह से हो, यह सब टीचर्स तय करेंगे। उनको हर बात का पूरा अधिकार होगा और फैक्लटी जो टीचर्स की होगी उसका बजट ऐकेडेमिक कौंसिल तैयार करके बोर्ड के पास भेज देगी। यह जो बोर्ड है इसको ऐकेडेमिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। इसलिये इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स का एक बड़ा स्थान है और दूसरी यूनिवर्सिटीज से हम ज्यादा बड़ा स्थान इसमें रखना चाहते हैं ताकि उनको अपने तमाम मामलों को खुद तय करने का अधिकार हो। क्योंकि हमारा इरादा यह है कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट्स कुछ भिन्न निकलें जो अब तक के हैं उनसे यही हमारा दावा है, उद्देश्य है। अगर इसमें वही ग्रैजुएट्स निकलें जैसे औरों में हैं तो कोई फर्क न होगा और मुझे कम से कम इस यूनिवर्सिटी का सफलता के बारे में कहने का अधिकार नहीं होगा। इसके ग्रैजुएट्स बिल्कुल अलग हों जिनका जमीन से सम्बन्ध हो, और जमीन को फायदा पहुंचा सकें। ऐडमिशन का क्या तरीका होगा, इम्तहान, कैरीकुलम कैसा होगा यह सारी चीजें विस्तार की हैं, जिनके लिये मैं सदन का समय नहीं लूंगा।

बोर्ड के बारे में कुछ बात कही गई। वह जब अमेंडमेंट आयेगा तो कर दूंगा। एक और बात जिसका जिक्र हुआ है वह कालेजेज के एफीलियेट करने की बात है। मैं आज यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई कालेज एफीलियेट नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता यह हूं कि जो नया ढांचा, जिस नये तरीके से हम यूनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं उसका एक्सपेरीमेंट पहले क्लीन स्लेट पर कर लिया जाय। यूनिवर्सिटी नई बनी, वहां फैकल्टीज बनें, पढ़ाई शुरु हो अपने ढंग से हो, जैसे अमेरिका के कालेजेज में है कि टीचर पढ़ाने आया, चार लेक्चर्स एक विषय पर देने हैं। तीन दिन पढ़ाया और चौथे दिन जब लेक्चर देने आया तो उसने कहा कि मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, इम्तहान लूंगा। किस वक्त इम्तहान होता है, किस वक्त पढ़ाई होती है इसका कुछ निश्चित न रहने पर हर एक विद्यार्थी को हर लेक्चर अटेंड करना पड़ता है और रोज-रोज तैयारी करनी पड़ती है जितना उसने पढ़ा है। यह तरीका अगर हुआ तो कानपुर और मथुरा के कालेजेज से मेल नहीं खायेगा। इसलिये एक पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर सब तजुर्बे कर लिये जायं। उसमें जो-जो सफलता मिलती जाय उसको अगर हम फिर एक्सटेंड करें ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर या मथुरा में तो आसान होगा। लेकिन अगर आज ही मिला लें तो मुश्किल हो जायगा, क्योंकि उससे तजुर्बा ठीक नहीं होगा इसलिये ऐसा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण जारी रखेंगे इसके बाद भी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, मैं सवा दो बजे से बोलूंगा।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---तो मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

सन् १९५७-५८ की कुछ स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों तथा २५ स्थायी समितियों में दो-दो अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये १३ दिसम्बर, १९५८ के सायंकाल ५ बजे तक क।

[श्री अध्यक्ष] समय नाम वापसी के लिये निर्धारित किया गया था। उनमें से अधिकतर नाम उक्त अवधि के भीतर वापस ले लिये गये थे और शेष के लिये आज निर्वाचन होने को था। परन्तु आज १२ बजे तक शेष अतिरिक्त नामों की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और सचेतक, कांग्रेस पार्टी ने प्रार्थना की है कि इन नाम-वापसी के प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर लिया जाय जिससे निर्वाचन की आवश्यकता न रहे। मैंने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली है।

मैं समझता हूं इसमें सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मैंने परसों के लिये समय शाम तक का रखा था। लेकिन अब चूंकि निर्वाचन की आवश्यकता न होगी तो मैं समझता हूं कि उस निर्णय में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी वह शुरू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं इसमें किसी को आपत्ति न होगी। चूंकि मैंने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अतिरिक्त नामों की वापसी के बाद इन स्थायी समितियों में जो सदस्य निर्वाचित हुये हैं उनकी सूचना-पत्र द्वारा दे दी जायगी।

दूसरे यही स्थिति यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल और गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर की समिति के सम्बन्ध में भी है। उनके निर्वाचन की सूचना भी पत्र द्वारा सदस्यों को दे दी जायगी।

स्टेट हेल्थ बोर्ड में पांच स्थानों के लिये अभी छः नाम शेष हैं। यदि उसका निर्वाचन किया जाय तो पहले एलान के अनुसार वह आज ही होगा लेकिन सचेतक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनमें से एक सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वह मौजूद नहीं है इसलिये २ जनवरी, १९५९ तक समय नाम वापसी का और बढ़ा दिया जाय। अगर वापसी नाम की हो गई तो निर्वाचन की आवश्यकता न होगी। निर्वाचन को बचाने की दृष्टि से मैंने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है और यदि इस अवधि के बीच अतिरिक्त नाम वापस ले लिया गया तो शेष निर्वाचित सदस्यों की सूचना पत्र द्वारा दे दी जायगी और यदि नाम वापस नहीं हुआ तो सदन के फिर बैठने पर चुनाव हो जायगा।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस माननीय सदन के सामने यह बात रखी कि किस-किस तरह से यह नयी यूनिवर्सिटी का विधान वर्तमान यूनिवर्सिटियों के विधान से भिन्न है। इसमें मैं केवल दो एक बातें ही कहना चाहता हूं। जितनी बातें कही गयी थीं लगभग उनका उत्तर दिया जा चुका है, अगर कुछ रह गया होगा तो वह संशोधन के सम्बन्ध में बात हो जायगी।

एक तो यह कहा गया कि वाइस-चांसलर एक साल के लिये हो, यानी चांसलर जो पहले मुकर्रर करे तो वह केवल एक साल के लिये मुकर्रर करे। उसमें दिक्कत यह है कि अभी नयी यूनिवर्सिटी है, नया ढांचा है और यह अभी कहा नहीं जा सकता कि एक साल में उसकी पूरी नयी तस्वीर बन जायगी और दूसरे यह भी है कि अगर एक वाइस-चांसलर शुरू में आया और उसको कुछ मौका हो कि वह कुछ चीजों को सामने रखकर उनको पूरा करने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत इसके कि एक साल के लिये एक स्टाप-गैप अरेंजमेंट होतो वह वाइस-चांसलर न कुछ समझ सकता है, न कार्य कर सकता है, बल्कि अपने दिन पूरे करके ३६५ वें दिन बाहर निकलने की बात सोचेगा। इसलिये न तो एक साल में नया ढांचा ही अच्छी तरह से तैयार होगा और न वाइस-चांसलर का एक साल अच्छी तरह से काम में आयेगा। इसलिये पहले वाइस-

चांसलर की टर्म चार साल की कर दी जाय, यह रखा गया है । उसमें आगे यह है कि एक टर्म में वह चार साल तक रहेगा और उसके बाद वह एक टर्म के लिये और खड़ा हो सकता ह, यानी दो टर्म आठ साल उसके हो जांय तो उसके बाद वह वाइस-चांसलर नहीं बन सकता ।

एक बहुत बड़ा आक्षेप इस ढांचे पर किया गया है कि वाइस-चांसलर को बोर्ड का प्रेसीडेंट नहीं बनाया गया, तो वह जान बूझ कर नहीं बनाया गया । अब तक, मैंने पहले जैसा कहा था कि हमारे दिमाग में जो ढांचे हैं वह अब तक इस देश में जो यूनिवर्सियां हैं उनके हैं, जोकि ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित हैं । यह जो नया पैटर्न है उसमें वाइस-चांसलर चेयरमैन बोर्ड का नहीं है । इसलिये कहा गया कि ऐसा कहीं नहीं होता । यह ठीक है कि जहां तक कि हमारी वर्तमान यूनिवर्सिटियों का सम्बन्ध है ऐसा नहीं है, लेकिन आब्जेक्ट्स एंड रीजंस में यह इशारा कर दिया गया था कि इसका ढांचा लैंड ग्रांट कालेज से मिलता जुलता होगा । सब चीजें उसकी नहीं लीं और सब चीजें अन्य यूनिवर्सिटियों की भी नहीं लीं, और यह आक्षेप कि यह न इंडियन है न अमेरिकन, यह सही है, क्योंकि हम किसी की भी नकल नहीं कर सकते । हमारा कांस्टीट्यूशन ऐसा बना है जिसमें हमने सब अच्छी अच्छी बातों को लिया है, यह कहना कि किस पैटर्न पर है बड़ा मुश्किल है । तो जो-जो अच्छी चीजें हमको जहां से मिलेंगी वहां से लेंगे, नकल किसी की नहीं करेंगे । इसलिये यह कहना सही है कि यह न इंडियन है, न अमेरिकन है ।

वाइस-चांसलर बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा, इसके बारे में एक किताब है, "प्राब्लम्स आफ कालेज ऐण्ड यूनिवर्सिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन ।" यह फ्रेन्च मैकवी और रेमन हग्स की हैं । यह दोनों काफी दिनों तक ऐसी संस्थाओं के प्रेसीडेंट यानी वाइस-चांसलर के तौर पर रहे । उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अंग्रेजी में उनका एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं और बाद में उसका हिन्दी अनुवाद भी कर दूंगा:—

"The objection to this practice is that the President means Vice-Chancellor who is an executive officer, paid a salary, selected by the Board and subject to these rules and regulations as Chairman he passes upon what he has to do as President."

यानी इसमें आपत्ति यह है कि वाइस चांसलर एक एक्जीक्यूटिव अफसर है जिसको तनख्वाह मिलती है, बोर्ड से सेलेक्ट होता है और उसके नियमों और फैसलों के अधीन वह कार्य करता है ।

"As Chairman he passes upon what he has to do as President."

यानी वह चेयरमैन की हैसियत से आर्डर पास करता है ।

"He could in effect vote on his retention in office, determine and raise the question of his own salary."

ये सब चीजें कि वह कितने दिन तक रहे, उसकी मियाद बढ़ाई जाय या नहीं, इन सब चीजों पर वाइस-चांसलर की हैसियत से वह वोट भी करता है ।

"As a gentleman he could vacate the Chair when such matters came before the Board."

भले आदमी को चाहिये कि वह ऐसे मौकों पर कुर्सी खाली कर दे नहीं तो—

"He would be a judge, a member of the jury and advocate before the Court."

अगर वहा बैठा रहता है तो वह जज है क्योंकि प्रेसाइड कर रहा है, जूरी है क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर है और ऐडवोकेट है क्योंकि अपना मामला पेश कर रहा है ।

तो इस तरह की पोजीशन से उसको अलग रखने की बात है और चेयरमैन को बहुत ज्यादा अधिकार इसमें नहीं दिये गये हैं । वह प्रेसाइडिंग अथारिटी है, उसको कोई एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है । एकेडेमिक आफिसर वाइस-चांसलर है जिसको फैसलों को पूरा करने का अधिकार है ।

[श्री मोहन लाल गौतम]

एक बात और कही गयी, जिसका जिक्र कर दूं, कि इसमें गैरसरकारी आदमी ज्यादा होने चाहिये। जो ढांचा है इसमें तीन तो पदेन सरकारी अफसर है और बाकी सभी गैर-सरकारी हो सकते हैं। वाइस-चांसलर को आप सरकारी मानेंगे या गैर सरकारी? वह सरकारी आदमी इस माने में नहीं है कि सरकार का मुलाजिम नहीं है, यूनिवर्सिटी का अधिकारी है। जो तीन सरकारी आदमी इसमें हैं उनमें एक डायरेक्टर आफ एजुकेशन है। वह इसलिये क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। दूसरे डायरेक्टर आफ ऐग्रीकलचर हैं और तीसरे डायरेक्टर आफ एनिमल हस्बैंडरी। उनके रखने की खास वजह यह है कि वे जो यहां रिसर्च होंगी उनको लोगों तक पहुंचावें और यह वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ से होगा, जो जनता की समस्यायें हों उनको यूनिवर्सिटी में दें कि भाई, ये ये सवाल हैं, इनकी खोज करो। जब वे खोज करके देखभाल लें तो उसको जनता तक पहुंचा दें। इसलिये ये दोनों अफसर वहां हैं। बाकी कोई अफसर नहीं है। सिर्फ यू० पी० इंजीनियर्स एसोसियेशन के सम्बन्ध में हो सकता है कि इंजीनियर ऐसा आ जाय जो सरकारी मुलाजिम हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई रिटायर्ड हो। इसलिये १५ में तीन के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो जरूरी सरकारी अफसर हो। इसलिये १५ में से तीन हुये तो यह बहुत ज्यादा नहीं हैं। दो की बाबत मैंने यह कह दिया कि वह ऐसे अफसर हैं जिनका विशेष सम्बन्ध है। एजूकेशन के डायरेक्टर इसलिये हैं कि उससे यह अलग न हो जाय। रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी हैं। यह मुख्य मुख्य बातें हैं जो इस बिल में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो मुख्य मुख्य सवाल उठाये गये, उनका मैंने सारांश में उत्तर देने की कोशिश की। बाकी जैसे-जैसे अमेंडमेंट आते जायेंगे मैं उन पर अपनी राय देता जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (The U. P. Agricultural University Bill, 1958) पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२--विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(क) "विद्युत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वत् परिषद् (Academic Council) से है ;

(ख) "कृषि" का तात्पर्य भूमि तथा जल के प्रबंध, फसल तथा पशुधन के उत्पादन एवं प्रबन्ध और ग्रामीण जनता के सुधार के आधारभूत (basic) तथा व्यावहारिक (applied) विज्ञान से है ;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड (Board of Management) से है ;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी (Faculty) से है।

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (Governor) से है ;

(च) (सजातीय पदों सहित) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है ;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक (Registered Graduate) से है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "परिनियमों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) तथा विनियमों (Regulations) से है ;

(ञ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree) डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्य-क्रम के अध्ययन के प्रयोजन से नामांकित (enrolled) हो ।

(ट) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अध्यापन अथवा अनुसंधान या प्रसार कार्यक्रम के संचालन तथा पथ-प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा अभिज्ञात हो ;

(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ठ) के अंत में निम्न परिभाषायें और जोड़ दी जांय ।

"महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसको विश्वविद्यालय संधारित करता हो और जिसको विश्वविद्यालय ने अपने विशेष अधिकारों में सम्मिलित कर लिया हो तथा इसके अन्तर्गत सम्पर्कगत महाविद्यालय, निर्मितिगत महाविद्यालय, अण्डरग्रेजुएट महाविद्यालय और हायर सेकेन्डरी स्कूल में सम्मिलित हैं ।

४—निर्मितिगत महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसको विश्वविद्यालय ने अपने विशेष अधिकारों में सम्मिलित कर लिया हो और जो राज्य सरकार द्वारा संधारित हो और जिसको विश्वविद्यालय की डिग्री में प्रवेश तथा शिक्षण कार्य संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो ।"

मान्यवर, प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन आया है उसके देखने से पता चलता है कि विश्व-विद्यालय बनाया जा रहा है लेकिन कालेज की कोई परिभाषा नहीं है । इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि पांच प्रकार के कालेज होंगे (१) ऐग्रीकल्चरल कालेज, कालेज आफ एनीमल हस्बेंडरी, एग्रीकल्चरल टैक्नोलाजी कालेज, कालेज आफ होम साइंस, और कालेज आफ साइंस । यह दूसरी परिभाषा हमने इसलिये जोड़ी है कि इस विश्वविद्यालय के ५ कालेजेज हैं लेकिन इसमें कांस्टीटुएन्ट कालेजेज का कोई जिक्र नहीं है तो किस तरह से यह कालेज इसमें आ सकते हैं इसलिये इसका रहना जरूरी है ।

जहां तक कालेज की परिभाषा का संशोधन रखा है ? उसके संबंध में यह है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि :—

"The University Education Commission clearly said about the Rural and Agricultural University that—

as a general type of arrangement it is suggested that a Rural University should include a ring of small, resident under-graduate colleges, with special facilities in the Centre. The suggested number

[श्री प्रताप सिंह]

of students for each of the under-graduate resident colleges is about 300 and that of the maximum overall enrolment for colleges and university combined about 2,500."

मान्यवर, जिसके आधार पर यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है यानी लैंड ग्रांट कालेज, अमरीका के आधार पर इसको बनाया जा रहा है । उसके आधार पर ब्लूप्रिन्ट तैयार किया गया है । उसमें लिखा है कि :—

"A Rural University as a ring of small, resident under-graduate colleges with special facilities in the Centre. The facilities there had evidently impressed this team in their report, they made a definite recommendation that a Rural University may be started at Rudrapur."

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय के बनाने का जो खाका निर्माताओं के मन में होगा उसको कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है । तो मान्यवर, यहां पर इस बिल में उस तरह की कोई भी परिभाषा नहीं है । इसलिये यह संशोधन पेश किया जा रहा है । राधाकृष्णन् रिपोर्ट में जो दूसरी परिभाषा है वह यह है । पृष्ठ ३६६ पर है :—

"University means a university established by law in India and includes affiliated colleges, intermediate colleges and technical institutes, recognized by the Central or Provincial Government."

यही दोनों परिभाषाओं को रखने का मंतव्य है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में कोई कालेजेज ऐफीलियेट होंगे या नहीं । मेरा उनसे निवेदन है कि जो यह दो परिभाषायें हैं जिनके बिना मैं परिभाषा खंड को अधूरा समझता हूं, उनको इसमें जोड़ दिया जाय जिससे भविष्य में कोई खामियां इसमें न रहें । जिस तरह से इसमें टीचर की परिभाषा नहीं थी तो संयुक्त प्रवर समिति में सब ने माना और टीचर की परिभाषा जोड़ दी गयी । यूनिवर्सिटी में कांस्टीटुएन्ट कालेज और ऐफीलियेटेड कालेज भी होंगे । वह तभी हो सकता है जब बिल में यह परिभाषायें रखी जांय । इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल कई माननीय सदस्यों ने कहा इस बिल को शिक्षा विभाग द्वारा आना चाहिये था । कोई भी शिक्षा हो वह शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित होना उचित होती है और कोआर्डिनेशन ठीक रहता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधनों के ही संबंध में कहें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो हमने पहले गोरखपुर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पास किये हैं उनमें हम affiliated व associated सिस्टम स्वीकार करते आये हैं । जब राज्य में हर जगह ऐसोसियेटेड कालेज हैं तो क्या वजह है कि इसमें ऐसी व्यवस्था मौजूदा बिल में नहीं की गयी है ? हां, अगर कोई ऐसी बात हो जिसे माननीय मंत्री जी न बताना चाहें तो दूसरी बात है । मन में ऐसा आता है कि अमेरिका से कुछ मदद मिल रही है, पता नहीं उसके साथ कोइस्ट्रिग्स (बंधन) हों । वहां से ब्लूप्रिन्ट दिया गया हो कि ऐसा करो तो रुपया देंगे वरना नहीं देंगे । अगर ऐसी बात हो तो दूसरी बात है । लैंड ग्रान्ट्स कालेज में भी कांस्टिटुयेन्ट कालेज होते हैं । वहां एक चेन है । एक केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है, उससे कालेजों की चेन जुड़ी हुई है । महाविद्यालय की एक परिभाषा माननीय प्रतापसिंह जी ने रखी है । वह नितांत आवश्यक है । राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट में भी कई जगह आता है, चाहे उसको लें या लैंड ग्रान्ट्स कालेज को लें वहां पर भी ऐसा है । उसमें कुछ ऐसी सिफारिश का मुझको खयाल है कि वहां एक कालज में अधिकतम ३०० विद्यार्थी हों और सारी यूनिवर्सिटी

में २५०० विद्यार्थी रखने का लक्ष्य निर्धारित हो, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी इकट्ठा करने से भी कोई फायदा नहीं होता । हर यूनिट अलग अलग हो और हर एक कालेज का एसोसियेटेड कालेज अलग अलग हो । ला का, आर्ट्स का, साइन्स का जो भी कालेज हों वह अलग अलग हों और विश्वविद्यालय से जुड़े हों तो अधिक सुविधा और उन्नति होगी ।

हमारी तरफ से भी और उधर के भाइयों ने भी यह बात कही कि इसका नाम ग्रामीण विश्वविद्यालय कर दिया जाय । इसमें जो शब्द दिया हुआ है उससे कुछ भ्रम पैदा होता है कि वहां पर शायद खेती की ही पढ़ाई होगी । मुझे लैंड ग्रान्ट कालेज के बारे में एक डीन की तकरीर पढ़ने का मौका मिला है जिसमें उसने कहा है कि आरम्भ में कृषि पर जोर देने से इन कालेजों का नाम कृषि कालेज पड़ा । मगर वह तो इस वजह से कृषि पर जोर दिया गया है कि उस वक्त वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाना था वरना उसका सम्बन्ध भी देहात से है जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि देहात की तरक्की के लिये इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है । माननीय मंत्री जी को इस परिभाषा को रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस परिभाषा को रखने से दरवाजा खुला रहेगा । कभी समय आया तो इससे कुछ कठिनाइयां सामने नहीं आयेंगी ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह के कालेज खोल रहे हैं जैसा कि राधाकृष्णन रिपोर्ट में कहा गया है ऐसे कालेज होंगे तो उन कालेजेज को इस विश्वविद्यालय से ऐसोसियेटेड किया जा सकेगा । ऐसी भावना इसमें है जैसी कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट की मन्शा है । वह रिपोर्ट बहुत विद्वानों की लिखी है और बड़ी छानबीन करने के बाद लिखी गई है । इस प्रकार से इसमें परिश्रम किया गया है जितना और रिपोर्ट में नहीं किया गया है । इसमें भारतवर्ष के बहुत विशेषज्ञों की राय निहित है । तो इस समुद्र मन्थन से जो अमृत निकला तो उसका यदि आप सदुपयोग नहीं करगे तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी । गवर्नमेंट के कालेज इस विश्वविद्यालय से ऐसोसियेटेड किये जा सकते हैं । कुमायूं, बरेली और रामपुर के कालेज शीघ्र एसोसियेट हो सकते हैं । नार्वे भी एक एग्रीकल्चरल देश है । वहां पर पहले हालत बड़ी खराब थी जो ऐसे कालेजों से सुधरी । डेनमार्क में भी ऐसे कालेज हैं । वहां वालों ने तो एक एक कालेज को विषय विशेष की विशेषता से पूरा कर दिया है । ऐसे आदमी विशेषज्ञ बनाये जांय जो जनसम्पर्क में रहें और उनके अन्दर जनता की सेवा की भावना हो जो कि लैंड ग्रान्ट कालेज में सेवा की भावना उस समय थी । उसी तरह से यह विश्वविद्यालय भी जन-हित को तरक्की देने के लिये काम करे ।

लैंड ग्रान्ट भावना में एक्सटेंशन की बात भी है । यदि इस समय कोई प्रबन्ध उसका नहीं हो सकता तो आगे जब आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को मीट करने के लिये यह परिभाषा रहेगी । हम कहते हैं कि माननीय मंत्री जी सब तरीके से स्पेशल कालेजों को सुविधा प्रदान करने के लिये इस परिभाषा को रखने की कृपा करें ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय प्रताप सिंह जी ने पेश किया है उसमें वह चाहते हैं कि इसकी जो परिभाषा है उसमें कुछ वृद्धि और कर दी जाय और उनका मन्शा है कि एसोसियेटेड कालेजों की परिभाषा और जोड़ दी जाय । मैं समझता हूं कि इस परिभाषा को जोड़ने में कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती मगर सोचना तो मन्त्री जी को है और मन्त्री जी के यह बताने की बात है कि वह इस विश्व-विद्यालय की रूपरेखा चाहते क्या हैं । श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा था कि यदि यह मन्शा हो और मैं उसको सही समझता हूं कि जो हमारे इस प्रदेश में वेटरीनरी कालेज और ऐग्रीकल्चर कालजेज हैं उनको ऐफीलियेशन इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिये, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है ताकि ऐग्रीकल्चलर का हम एक स्टैंडर्ड बना सकें । तो यदि यह मंशा है और वे ऐसा चाहते हैं तब तो इन परिभाषाओं को आना चाहिये और अगर उनका यह मत हो कि नहीं असोशिये-टेड कालेजेज को इसके साथ ऐफीलियेट नहीं करना चाहिये तो इस परिभाषा रखने की आव-श्यकता नहीं है । लिहाजा माननीय मंत्री जी पहले इस बारे में अपना निश्चित मत रखें । अगर वह समझते हों कि आगे चलकर इस पर सोचा जा सकता है तब तो इस परिभाषा

[श्री नवलकिशोर]

का रखना बहुत जरूरी है वरना अगर उन्होंने यह तय कर लिया है कि नहीं, इन कालेजेज से इस विश्वविद्यालय का कोई सम्बन्ध नहीं होगा तब इन परिभाषाओं को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

लैंड ग्रांट्स कालेज के आधार पर यह यूनिवर्सिटी बन रही है और ऐसे किसी कालेज का ऐफीलियेशन नहीं हो सकता ऐसी बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जो कैलिफोर्निया में लैंड ग्रांट्स कालेज के आधार पर बनी हुई यूनिवर्सिटी है उसके अन्तर्गत ८ केन्द्र हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लैंड ग्रांट्स कालेज के आधार पर जो विश्वविद्यालय हो उसमें कोई कालेज ऐफिलियेट नहीं हो सकता। मेरा अपना मत यह है कि जो कालेजेज आलरेडी अपने यहां हैं वे मुमकिन है कि इसकी वजह से डिफंक्ट हो जायं, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि यह परिभाषा रहे जिससे जिनको ऐसोसियेट जिस समय भी करना चाहें तो एक बनी बनायी चीज हमारे सामने रहे। इससे विश्वविद्यालय का भी हित होगा और जो हमारे इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका भी हित होगा। मगर श्रीमन्, इसमें निर्णय तभी हो सकता है जब माननीय मंत्री जी यह बतावें कि उनके मन में क्या चीज है। वैसे भी इसमें ५ कालेजेज हैं। इसलिये इसके ऊपर निर्णय होने की जरूरत है। वैसे तो यहां तक इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि अगर वह ऐकोमोडेट कर सके कि जो हमारे कांस्टीट्यूशंस हैं वे ऐफीलियेट हो सकें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मुझे कहना यह है कि माननीय मंत्री के भाषण में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कांस्टीटुयेंट कालेजेज यूनिवर्सिटी के साथ नहीं रखने चाहिये।

एक चीज बड़े महत्व की उन्होंने बतायी कि यह जो यूनिवर्सिटी बनती है उसमें जब कोई इम्तहान होगा उस समय तक जितनी भी पढ़ाई हुई हो, जितनी भी ट्रेनिंग दी गई हो उन सब में होगा। हर समय वे उसके लिये तैयार रहें। अगर यह अच्छा है और इस यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है तो जितने भी ऐफीलियेटेड कालेजेज हों उनको क्यों इससे वंचित रखा जाय ?

एक बात वह कह सकते है कि वह तजुर्बा करना चाहते हैं। वह तजुर्बा हो सकता है और सम्भव है साल भर के तजुर्बे के बाद यह बात सामने आवे तो फिर यह प्राविजन इसमें रहेगा तो उस समय मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होगी। वरना रोज इसमें तब्दीली करनी होगी।

मैं यह समझता हूं कि हमारा जो बहुत बड़ा आदर्श इसके पीछे है तो और जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनमें जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से यह क्यों वंचित रहे, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को मानने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इस परिभाषा को इसमें रख दिया जाय।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें बनारस और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो केन्द्र द्वारा संचालित होती हैं। शेष यूनिवर्सिटियां अपनी प्रदेशीय सरकार से संचालित होती हैं। इनमें आगरा को छोड़कर सब लोकल या रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटियां हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुछ जिले अवश्य सम्मिलित कर लिये गये हैं। जो केन्द्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियां हैं उनको यह अधिकार है कि वह अपने यहां इंटर व हाई स्कूल की परीक्षायें अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित करके विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दें। बाकी सारे प्रदेश के लिये एक बोर्ड बना है जो परीक्षा लेकर सर्टिफिकेट देता है। अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो जितने भी हाई स्कूल व इंटरमीडियेट के कालेजेज होंगे वह बोर्ड के अधिकार से निकल जायंगे और इस नयी यूनिवर्सिटी में चले जायंगे।

दूसरी बात माननीय नवलकिशोर जी ने कही कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि सारे प्रदेश में कृषि की शिक्षा एक सी होगी। जहां तक मुझे पता है केवल आगरा यूनिवर्सिटी को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह बुलन्दशहर, आगरा और कानपुर में शिक्षा देकर बी० एस-सी०,ए-जी० और एम० एस-सी०, ए-जी० का डिप्लोमा दे सके। आगरा यूनिवर्सिटी पर वैसे ही प्रहार हो रहा है। अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह आगरा यूनिवर्सिटी की पीठ में छुरा भोंकना होगा। दूसरे इस यूनिवर्सिटी के ढांचे को जो हम केन्द्र के पैटर्न पर ढालने जा रहे हैं उसके साथ हमें इसके भविष्य की रूपरेखा का कुछ पता नहीं है। कुछ सहायता मिलने पर ही हम एक विधेयक इसकी स्थापना के लिये ले आये.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य साधारण वादविवाद की तह पर जा रहे हैं। उनको चाहिये कि संशोधन पर ही रहें।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इस संशोधन को स्वीकार कर के इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र को बढ़ा देंगे और इसका मतलब यह हो जायगा कि हम प्रदेश के कोने कोने में अमेरीकन शिक्षा का प्रचार करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि लड ग्रान्ट कालेज की शिक्षा पद्धति पर जो शिक्षा यहां दी जायगी उससे देश और प्रदेश का कुछ अधिक लाभ न होगा। जब जमीन के हम छोटे छोटे टुकड़े करते चले जा रहे हैं, खेती करने के लिये कोई बड़ी जगह बाकी न रहेगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने विद्यार्थियों को बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा खेती की शिक्षा देना कहां तक उचित होगा। वह खेती कहां करेंगे, और अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--फिर माननीय सदस्य अलग जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह संशोधन तक ही सीमित रहें।

श्री जगन्नाथ लहरी--दूसरे यह कि हाई स्कूल बोर्ड और दूसरे कालेजों द्वारा जो कृषि की शिक्षा दी जा रही है उसे बदस्तूर रखा जाय। जब हम एक्सपेरीमेंट करने जा रहे हैं और जब इस विधेयक में ५ कालेजों का विधान का रखा गया है तो पहले हम एक्सपेरीमेंट करके देखें कि उन कालेजेज के द्वारा जो शिक्षा विद्यार्थियों को दी जायगी वह कैसी होगी। इसको एक छोटे से दायरे में सीमित करके प्रयोग करें क्योंकि यह अभी अंतिम रूप रेखा नहीं है। एक एक विधेयक में एक एक साल में कई कई संशोधन इसी सदन में आते हैं। जब यह यूनिवर्सिटी बन कर तैयार हो जाय और उसकी रूपरेखा निश्चित हो जाय और विद्यार्थी बढ़ें और उस समय यदि उचित समझा जाय तो हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का अधिकार सदन को है ही, लेकिन एक ऐसे समय पर जब कि इसकी कोई रूपरेखा नहीं है हमको कोई ज्ञान नहीं है, उस समय इन कालेजों को इसके क्षेत्र में देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मुझे दुख है कि माननीय लहरी जी के प्रति और जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मुझे विरोध करना होगा। मैं माननीय प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। आपको और मुझे भी यह परेशानी रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

कि अब तक के वक्ताओं ने प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन किया और केवल लहरी जी ही असहमत रहे। मैं चाहता था कि उनको जवाब दूं और उनकी बात समझ लूं कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि उन्होंने इस संशोधन पर कुछ नहीं कहा। कुछ लैंड सीलिंग की बात कहते रहे, कभी हिन्दू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सपना देखते रहे और ऐसी भ्रमात्मक चीजों में फंसे रहे कि काफी दिन साथ रहने के बाद भी मैं उनको समझ नहीं पाया। तो यह मजबूरी है। उचित था कि माननीय मंत्री जी कुछ प्रकाश डालते। माननीय नवलकिशोर जी चाहते अवश्य हैं, लेकिन वह माननीय मंत्री जी को समझ नहीं पाये हैं। जहां तक मैं उनको समझा हूं वह यह कि उनको एक कठिनाई यह है कि अगर वे कालेजेज को एफीलियेट कर देंगे तो कार्य के सम्पादन में उनको कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा एक्सपेरीमेंट है कि जिसको करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कठिनाई होगी, लेकिन उनको उसे दूर करना है और यही हमारे लिये एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। विधेयक यहां आया और उस पर संशोधन भी आये हैं। मैं भी बदकिस्मती से बोलने के लिये खड़ा हूं, लेकिन शिकायत यह है कि इसके मुताल्लिक कोई लिट्रेचर हमको प्राप्त नहीं है, न लाइब्रेरी में और न विभाग से ही कुछ मिला है। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि एक ज्वाइंट इंडो-अमरीकन टीम के बारे में, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने नहीं है। लाइब्रेरी में भी नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं मिलता कि आखिर लैंड ग्रान्ट्स कालेज में क्या है। मैं जानना चाहता था कि उनकी रूपरेखा क्या है। हो सकता है कि अमेरिका में जिस तरह से यह चलाये जा रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हों और कुछ अच्छाइयां। त्रुटियों को हम छोड़ सकते हों और अच्छाइयों का ग्रहण कर सकते हों, लेकिन वह रूपरेखा देखने को नहीं मिली। यह शिकायत मुझको है और इसलिये अगर विरोधी दल का कोई सदस्य इस पर प्रकाश न डाल सके तो हम क्षम्य हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर ऐक्सपेरीमेंट के तौर पर इसका ऐफिलिएशन नहीं किया जायगा तो दो चार महीने बाद ही अमेंडमेंट आयेंगे। अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि हम इसको पाइलट प्रोजेक्ट की तरह से बना रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, जब तक कि वह अच्छाई महज नैनीताल तक ही सीमित रहे। मैंने माना कि नैनीताल बहुत बड़ा जिला है, और बहुत अच्छी जगह है। हमारे माननीय नारायणदत्त तिवारी जी वहीं से आते हैं, किसी वक्त में माननीय पन्त जी भी वहीं से आते थे, माननीय प्रताप सिंह भी उसी के अगल बगल के पड़ोसी हैं, हमारे माननीय विष्ट जी भी उससे प्रसन्न हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उसे नैनीताल तक ही सीमित रखेंगे? नैनीताल से बहुत सी चीजें बाहर भी जाया करती हैं। तो एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अच्छा यह होता कि आज ही वे इसे स्वीकार कर लेते वरना उनको भी जहमत और परेशानी होगी और हम लोगों को भी बिना वजह के बैठना पड़ जायगा।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे समक्ष इस सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है कि हम शिक्षा के नये क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और अपने जीवन को शिक्षा क्षेत्र के नये अध्याय से प्रारम्भ करना चाहते हैं, परन्तु यह एक नया एक्सपेरीमेंट है, एक नया अध्याय है और एक नया प्रयोग है, तो भी ऐसे एक इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्था के अंचलों में अन्य इंस्टीट्यूशंस को बांधने या इसमें ऐफिलिएट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि जो हमारा नवीन प्रयास है वह उन पुराने इंस्टीट्यूशंस की पद्धति से प्रभावित होता रहेगा। जहां तक मैं समझ सका हूं हमारे माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण यह है कि हम लैंडग्रान्ट कालेज का एक नमूना लेकर लैंड ग्रान्ट कालेज को यहां नहीं बैठा रहे हैं, पूरे लैंड ग्रान्ट कालेज की जो पद्धति है, जो वहां के नियम हैं, जो वहां के तरीके हैं, उनको यहां नहीं लाया जा रहा है, बल्कि एक नमूना सामने रख कर यह प्रयत्न किया जा रहा है। क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस प्रकार से लैंड ग्रांट कालेज

ने अमेरिका का उद्धार किया है, उसी तरह से क्या हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता है ? हमारी परिस्थितियां, हमारे साधन, हमारी सामग्री, ये सब ऐसी हैं कि जो हमें विवश करती हैं कि हम अपने ही जीनियस के अनुरूप यूनिवर्सिटी को कायम करें और उससे अपनी उन्नति करें।

माननीय प्रताप सिंह जी ने यह प्रश्न उपस्थित करके कहा कि प्रदेश के और कालेजों का क्या होगा। क्यों इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नहीं आ सकते ? कुछ भ्रम यह हो रहा है कि जब इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ अब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में ५ कालेजों के नाम दिये हुए हैं तो फिर बाहर के कालेज क्यों नहीं सम्मिलित हो सकते ? श्रीमन्, मैं तो यूनिवर्सिटी के मेकअप, उसके तरीके से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं यह समझ रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत कालेज भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। ये पांच कालेज तो यूनिवर्सिटी के अंग होंगे, इनका कोई ऐफिलिएशन नहीं किया जायगा।

श्रीमन्, जहां तक इस यूनिवर्सिटी की रूपरेखा का प्रश्न है, मैं क्या निवेदन करूं ? या तो मैं समझा नहीं हूं या मेरे दिमाग में यह बात ठीक तरह से यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में नहीं आ रही है। क्योंकि इस विधेयक को प्रारम्भ से अन्त तक पढ़ जाने पर, इस यूनिवर्सिटी की एक मोटी रूपरेखा हमारे सामने आ जाती है। एक्सपेरीमेंटल स्टेशन, क्लब, फार्म्स इंस्टीट्यूट, इन सब बातों का इसमें प्राविधान है। मैं तो अत्यन्त नम्रता से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उनके समय में एक ऐसा बिल आ रहा है जो एक नया अध्याय खोल रहा है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे इस समय विद्यमान कालेजेज हैं उनको हम इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करें। अब जैसा कि लहरी जी ने कहा, यदि किसी समय हमारे सौभाग्य से इसी प्रदेश में और स्थानों में भी ऐसी संस्थायें खुल जायंगी, जो संस्थायें हमसे एफिलियेट होने के योग्य हों तो प्रस्तुत परिभाषा की उस समय आवश्यकता पड़ेगी और हम इस परिभाषा का समावेश इस ऐक्ट में कर सकेंगे लेकिन इस समय मैं समझता हूं कि इस परिभाषा की न आवश्यकता है और न इस परिभाषा को इसमें आना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इस विधेयक को अगर हम देखें और उसकी पृष्ठभूमि में इस संशोधन का विश्लेषण करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि इस संशोधन का स्वीकार किया जाना इस नवीन प्रकार के विश्वविद्यालय के लिये अत्यन्त आवश्यक है और मैं तो यह कहूंगा कि अगर हम कालेज अर्थात् महाविद्यालय शब्द की परिभाषा इस विधेयक में नहीं करते तो हम इस विधेयक को प्राणविहीन कर देते हैं। अस्थिपंजर मात्र इस विधेयक का कलेवर रह जाता है। मेरा अपना विचार नहीं है, विश्वविद्यालय क्षेत्र के जो विद्वान् अब तक माने जाते रहे हैं उन सभी का अभिमत इस संशोधन के साथ है। जिस लैंड ग्रान्ट कालेज की परिकल्पना माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उसमें "कालेज" शब्द है उसकी प्रस्तावना ही "कालेज" शब्द से हुई। सारे संसार भर में इस नाम से यह प्रणाली विख्यात हुई है। चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, लेकिन मूल ऐक्ट में जो १८६२ में बना उसके अनुसार "लैंड ग्रान्ट कालेज" वह कहलाता है। यूनिवर्सिटी तक कहलाना उसमें दोषपूर्ण माना गया है।

और अधिक स्पष्ट होकर मैं यह कहूंगा कि कालेज की परिभाषा इसमें न रखना इस प्रकार होगा जैसे हम जंगल की परिभाषा करते हुए यह लिख दें कि जंगल तो है, लेकिन वहां पेड़ नहीं हैं या यह लिख दें कि पेड़ केवल एक है, लेकिन यह एक पेड़ जो है वही जंगल है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि कभी-कभी सरकार की नीति यह रहती है कि वह ेड़ और जंगल जंगल और पेड़ के बीच में जो कुछ भेद करने की शक्ति होनी चाहिये उस शक्ति का ठीक प्रकार इस्तेमाल करने में सरकार असफल रहती है और वही बात इस परिभाषा में भी है। मेरे माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मित्र वर्मा जी को कुछ यह शंका हुई कि ये जो कालेजेज होने वाले हैं ये शायद विश्वविद्यालय से अलग कालेजेज हैं। श्रीमन्, मैं स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स को पढ़ दूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है:--

"The proposed University will resemble the Land Grant College in the U. S. A. and comprise five colleges, viz.,

(i) Agricultural College,
(ii) College of Animal Husbandry,
(iii) College of Agricultural Technology,
(iv) College of Home Science,
(v) College of Science."

ये ५ कालेज जो हैं ये यूनिवर्सिटी कम्पराइज करेंगे। होंगे एक कालेज। इसका अर्थ यह है श्रीमन्, कि हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ही डिपार्टमेंट्स के द्वारा होने वाली नहीं है, इसकी पढ़ाई कालेजों के द्वारा होने वाली है। कई कालेजेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं। जैसे कालेज आफ एग्रीकल्चर एक अलग डिपार्टमेंट होगा, हेड आफ दी ऐग्रोनोमी होगा और उसके मुताबिक ऐग्रीकल्चर के जो सब डिवीजन हैं उनके डिपार्टमेंट्स होंगे। यह नहीं होगा कि ऐग्रीकल्चर कालेज है और डिपार्टमेंट अलग है। और न लैंड ग्रान्ट कालेज में ऐसा हुआ है। यह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ब्लू प्रिन्ट है इसमें श्री हैन्ना ने पृष्ठ ४, ५, ६, ७ और ८ में, सबमें यह निश्चित किया है कि कालेज आफ ऐग्रीकल्चर का क्या आर्गेनाइजेशन होगा। एक कालेज और उसके लिये बहुत से कालेजेज लैंड ग्रान्ट्स कालेज में होते हैं। उसमें एक ऐग्रीकल्चर कालेज का क्या रिलेशन होगा? तो उस ब्लू प्रिन्ट के पेज ६ पर एक अध्याय लिखा हुआ है:--"How a department in a college of Agriculture functions in its teaching, extension and research role." तो यहां जो हेड लिखा हुआ है: "The Head of a department is appointed by the Dean of the College and his appointment is approved by the Chief Administrative Officer of the University and eventually by the Board of Trustees. Appointments to the staff of the department are made by the departmental head and their approval follows the same channel."

तो यहां पर जो वर्मा जी का खयाल है कि डिपार्टमेंटों के द्वारा पढ़ाई होने वाली है, यूनिवर्सिटी की ऐसी बात नहीं है। यहां पढ़ाई कालेजों के द्वारा होने वाली है। श्रीमन्, इससे क्या स्पष्ट होता है? जहां पढ़ाई कालेजों में होगी उसी यूनिवर्सिटी को फैडरेटिव यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और इसी फैडरेटिव और रेजीडेंशियल व्यवस्था को नियत करने वाले विश्वविद्यालय को फैडरेटिव यूनिवर्सिटी कहा गया है। और राधाकृष्णन कमीशन ने जो इस रूरल यूनिवर्सिटी की कल्पना की है उसमें उन्होंने जो इसका संगठन बताया है वह पेज ५७५ में है: "Each College of about three hundred students would have separate teaching staff and facilities so far as its basic courses are concerned, except that under-graduate libraries, laboratories, gymnasiums and hospital facilities might be shared by as many colleges as are proved desirable. The aim of each college would be to equip its students with a general educational foundation, and to encourage the development of individual aptitudes and interests as they appear."

यानी अलग-अलग जो कालेज होंगे वह ३०० विद्यार्थियों के होंगे। उनमें अलग-अलग टीचिंग होगी, स्टाफ होगा, फैसिलिटीज होंगी, सिर्फ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, जिम्नेजियम और अस्पताल यह सब एक हो सकते हैं। लेकिन और चीजें अलग अलग होंगी। तो राधाकृष्णन् कमीशन ने रूरल यूनिवर्सिटी के संगठन में अलग-अलग कालेज स्थापित किये जाने की परिकल्पना की है। माननीय लहरी जी को कुछ शंका हुई कि यह नई यूनिवर्सिटी इस माने में है कि यह एफ़ीलियेटिंग यूनिवर्सिटी है बाकी सब टीचिंग यूनीवर्सिटी प्रदेश में हैं और टीचिंग और रेजीडेंशियल

यूनिवर्सिटी होती है उसमें कोई कालेज की आवश्यकता नहीं होती। मैं ऐसा ही समझा उन्हें। मैं केवल सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि जिन यूनिवर्सिटीज को इस प्रदेश में टीचिंग और रेजीडेंशियल यूनीटरी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जहां यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स द्वारा शिक्षा होती है वहां भी कालेज की परिभाषा है। मिसाल के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम को देखा जाय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई कालेज आफ एग्रीकल्चर इस माने में नहीं है। कोई वहां पर ला कालेज अलग नहीं है। ला डिपार्टमेंट है। वहां पर कोई साइन्स कालेज अलग से नहीं है, साइन्स की फैकल्टी है। इस तरह से अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग-अलग कालेज नहीं हैं, लेकिन वहां पर भी कालेज की परिभाषा रखी हुई है। वहां कायस्थ पाठशाला यूनिवर्सिटी कालेज, हालैंड हाल है। कायस्थ पाठशाला जोकि एक कालेज है वहां यूनिवर्सिटी की तरह पढ़ाई होती है, वहां पर अलग से सेमीनार करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डा० ताराचन्द जो माने हुये पंडित हैं और जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं उनको मैंने सेमीनार लेते हुये देखा है। डाक्टर अमरनाथ झा को भी हमने हालैंड हाल में सेमीनार लेते हुये देखा है। स्टेनले जोन्स जैसे विद्वान् कालेज हाल में शिक्षा देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिटरी टीचिंग में कालेज की परिभाषा न हो।

इसके अलावा सन् १९५४–५५ में जो लखनऊ व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन स्वीकृत हुये थे उनमें हमने यह परिभाषायें बढ़ाई थीं। इसलिये नये प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना को सरल बनाने के लिये जरूरी है कि कांस्टीटुयेन्ट कालेज की परिभाषा यहां रखी जाय। वह चाहते हैं कि यह चीज यहां गोलमटोल रहे। यदि हमें इस कालेज को उन्नत बनाना है तो इसको स्वीकार करने में हमें उदारचित्त होना चाहिये। मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक में और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में हम कांस्टीटुएन्ट और एसोशियेटेड कालेज की परिभाषा बढ़ा चुके हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि उन्हीं को लोग एफीलियेटेड कालेज समझ रहे हैं और समझते हैं कि वह सब एक ही बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह बिल्कुल अलग चीज हैं जैसे गोरखपुर और आगरा यूनिवर्सिटी में हैं। अब लखनऊ में केवल १० असोसियेटेड कालेज हैं जो लखनऊ शहर की सीमा के अन्तर्गत हैं जैसे कान्यकुब्ज कालेज है, लखनऊ क्रिश्चियन कालेज है, महिला कालेज है और इसी तरह से यह सब मिला कर केवल १० होते हैं। आप समझें कि तराई स्टेट फार्म का जो रकबा है वह करीब १२ मील लम्बा है और वह भी लखनऊ जैसे शहर का क्षेत्र है। अब आप देखें कि एक प्लानट चट्टा में है दूसरा नगले में है और ट्रान्सफर होने वाले हैं और वहां का भी कैम्पस शहर के बराबर ही होने वाला है। वहां के सब कालेज एक जगह पर बन ही नहीं सकते वह तो अलग-अलग ही बनाने होंगे। दस मील पर रुद्रपुर के पास ए० एन० झा हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको भी इसी में लाना होगा। हम जानना चाहते हैं कि यह सब कालेज बनेंगे तो वह किस तरह के कालेज कहलायेंगे। उनकी परिभाषा नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि वह कैसे कालेज होंगे और विश्वविद्यालय में क्या होगा। तो जिस प्रकार लखनऊ शहर की सीमा में दस एसोसियेटेड कालेज हैं या इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला और ईविंग क्रिश्चियन कालेज है, उसी तरह से अगर यहां पर भी परिभाषा में साफ कर दिया जाता तो उसके अर्थ कोई भी एफिलियेटेड न लगाता।

दूसरे प्रकार के कालेज जो हमने माने हैं वह हैं कांस्टीटयुएंट कालेज। वह क्या है? यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में तीन कांस्टीटयुएंट कालेज हैं। एक तो आयुर्वेदिक कालेज है, दूसरा कांस्टीटयुएंट कालेज है लखनऊ का मेडिकल कालेज और तीसरा कानपुर का मेडिकल कालेज। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीटयूशंस हैं, विशेष तौर के संगठन हैं और ये स्टेट के अपने इंस्टीटयूशंस हैं। कल यह बात मान लें, जैसा कि सदन के सदस्यों ने मांग की है कि जितने कृषि महाविद्यालय हैं वह नयी यूनिवर्सिटी के अंग हो जायं, क्योंकि हम डायरेक्टर रिसर्च वर्क के लिए रख रहे हैं। तो क्या कैम्पस में जो लोग रहते हैं वही उससे संबंधित रहेंगे? क्या रिसर्च

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वर्क तराई स्टेट फार्म में ही होगा ? क्या शाहजहांपुर में जो रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि १००-१५० मील के फासले पर है वह उससे एफिलिएटेड नहीं होगी ? अगर कल को हम तय करें कि जो गोरखपुर के ऐग्रिकल्चरल स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, टीचिंग स्टाफ को ऊंचा उठाने के लिए, उनका वेतन और स्तर एक-सा करने के लिए उनका रिसर्च वर्क वहां हो, पूर्वी जिलों की स्थिति अलग है, पश्चिमी जिलों की दूसरी है, तो इन सब को लिंक करेंगे तो आपको कालेज की परिभाषा रखनी पड़ेगी, कांस्टीटचुएंट कालेज की। अगर गोरखपुर ऐग्रिकल्चरल कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो सिर्फ इसलिए कि वह केवल एक एफिलिएटिंग बाडी है, केवल इम्तहान लेने के लिए यूनिवर्सिटी की मुहर लगानी पड़ती है। कल को हम यह तय करते हैं कि वह कालेज और कानपुर में जो ऐग्रिकल्चरल कालेज है उनके योग्य व्यक्तियों का फायदा यूनिवर्सिटी उठाये और यूनिवर्सिटी का फायदा कानपुर कृषि विद्यालय के लोग उठायें तो जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी का कानपुर मेडिकल कालेज एफिलिएटेड है उसी तरह से वह इस यूनिवर्सिटी का अंग हो सकता है। कोई कारण समझ में नहीं आता कि वह न हो। तो कांस्टीट्चूएंट की परिभाषा तो हमें रखनी ही होगी। इसलिए माननीय प्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं यह अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि कुछ गलतफहमी यह है कि लैंड ग्रांट कालेज का जो कैम्पस है, जो क्षेत्र है वह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट की ओर, जहां उन्होंने लैंड ग्रांट कालेज को डिस्कस किया है वहां उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रांट्स कालेज का कैम्पस सारा स्टेट है, एक ही इलाके तक सीमित नहीं है। आप पृष्ठ १८५ पर देखें, इसमें यह है---

"As stated by the President of the University of Wisconsin, the entire States have become the campuses of the Land Grant universities and colleges. These not only include all the agricultural colleges, but most of the great engineering colleges such as Purdue, Massachusetts Institute of Technology, Cornell, Illinois, Iowa State, Minnesota and Washington."

तो इन कालिजों में सारे ऐग्रिकल्चरल कालेज ही नहीं हैं, बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कालेज भी हैं। इसमें आप देखेंगे कि फ्लोरिडा की जो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी है उसमें राज्य के १२ हिस्सों में उसके यूनिट्स हैं और सब ऐफ़िलिएटेड हैं। उन सबका जिक्र इसमें दिया हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लैंड ग्रांट कालेज का कैम्पस केवल १०-१२ मील में सीमित नहीं है, बल्कि राज्य भर में कहीं भी उसकी यूनिट हो सकती है, कहीं भी उसका रिसर्च वर्क हो सकता है, एक्सटेंशन वर्क हो सकता है। एक्सटेंशन का अर्थ क्या है--- उसका अर्थ है प्रसार प्रक्रिया। आज नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स खोले जाते हैं सारे हिन्दुस्तान में, ताकि रिसर्च वर्क को हम वहां ले जायं। अब हम डायरेक्टर आफ एक्सटेंशन बना रहे हैं इस कालेज में। तो क्या वह एक्सटेंशन वर्क केवल यूनिवर्सिटी के अन्दर करेंगे ? कभी भी यह सदन इस बात की इजाजत नहीं दे सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च से लाभ हो वह केवल गवर्नमेंट के तराई स्टेट फार्म को ही मिले, बल्कि वह प्रदेश के पूर्वी जिलों में, पश्चिमी जिलों में और भारत के कोने-कोने में पहुंचे। तो फिर इस परिभाषा को इतना सीमित रखना किसी तरह उचित नहीं है।

चौथी बात यह है कि इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल को भी स्थान दिया गया है और कहा गया है कि कालेज का अर्थ हायर सेकेंडरी स्कूल भी होगा। नवीनता अगर कोई इसमें है तो यह है कि यहां पर हाई स्कूल पास लोग भरती होंगे जब कि इलाहाबाद, लखनऊ और दूसरी यूनिवर्सिटीज में इंटरमीडिएट पास भरती होते हैं। यानी जो हायर सेकेंडरी स्टेज है उसकी पढ़ाई भी इस यूनिवर्सिटी में होगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। आनरेबिल नारायणदत्त जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जरा रुक-रुक कर बोलें। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन वे बहुत जल्दी बोलते हैं जिसकी वजह से ठीक समझ में नहीं आता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आभारी हूं, धीरे-धीरे बोलने की चेष्टा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में ही बोलिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसको समाप्त कर रहा हूं आइन्दा धीरे-धीरे बोलूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस विश्वविद्यालय में माध्यमिक शिक्षा भी देने जा रहे हैं और परिभाषा में लिखा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल भी आता है, जैसे ए० एन० झा हायर सेकेंडरी स्कूल, रुद्रपुर में है, वहां एक्सटेंशन ट्रेनिंग मिल रही है। माननीय मंत्री जी कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि वह स्कूल इससे लिंक नहीं होगा। तो उस हायर सेकेंडरी एजुकेशन को देने के लिये यह जरूरी है कि जब हम इंटरमीडिएट ऐग्रीकल्चर, होम साइन्स, वेटेरिनरी साइन्स और अन्य साइन्स की भी शिक्षा हम यूनिवर्सिटी के द्वारा देंगे और यहां परिभाषा में यह लिखें तो कहां तक ठीक होगा। इसलिये नवीन परिकल्पना को देखते हुये, अमेरीकन लैंड ग्रांट कालेज को देखते हुये और राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशों को देखते हुये हमारा विचार है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय, अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि आज यदि मंत्री जी इसे नहीं स्वीकार करेंगे तो निकट भविष्य में वे ऐसा संशोधन लाने के लिये मजबूर होंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर काफी बहस हुई। बहुत-सी बातें जो मैंने कही थीं उनको मैं पहले समझा नहीं पाया यह मेरा कसूर है, क्योंकि जो नया प्रयोग हो रहा है उसको समझाने के लिये अगर कोई कठिनाई है और अगर हमारा दिमाग उसी तरह से चले जिस तरह से कि आज कल हम चीजों को देखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। मैं इसको अच्छी तरह से नहीं समझा सका हूं इसलिये अगर समझाने में कोई कमी रह गई तो मेरा ही दोष है। कई बातें कही गईं और यह कहा गया कि इतनी जल्दी हुई कि लिटरेचर तक नहीं मिला। १९५८–५९ का जब हमने बजट पास किया था तो उसमें २१,७०,००० रुपया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिये स्वीकार किया था और १९५७–५८ में ९,७५,००० रुपया इस सदन ने स्वीकार किया था, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नई आ गई हो और जिसका पता न हो, यकायक आ गई हो, जिसका लिटरेचर न मिला हो। बजट पास होने के बाद से अब तक अगर माननीय सदस्य लिटरेचर की खोज करते तो मैं जरूर उनकी मदद करता और उम्मीद है कि मैं उसमें सफल हो जाता।

जो १९५७–५८ की ग्रांट मंजूर हुई थी उसमें सप्लीमेंटरी ग्रांट के ३७ पृष्ठ पर "इस्टेब्लिशमेंट आफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐट रुद्रपुर" इसमें काफी लिटरेचर दिया हुआ है, लैंड ग्रांट कालेज का भी जिक्र है और एजूकेशन कमीशन का भी जिक्र है। अगर कोशिश की गई होती तो लिटरेचर जरूर मिल जाता।

अब श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैं सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा अगर मैं यह कहूं कि जिस विचार को लेकर माननीय सदस्य ने यह संशोधन उपस्थित किया है वह एक पूरा विचार है और वह अलग नहीं है। इसलिये वह एक ऐसी चीज है जिसे हम मंजूर करें या न करें। वह एक पूरा ढांचा है। कई बातें कही गईं। एफीलियेशन होना चाहिये, लैंड ग्रांट कालेज का दायरा बढ़ाया जाय और यह यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिये ही न हो, बल्कि जो कुमायूं यूनिवर्सिटी कायम करने की बात है उसकी मांग को भी यह पूरी करे। यह भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरह से कुमायूं की यूनिवर्सिटी बन जाय। यह सारी चीजें इस विचार के अन्तर्गत हैं। कालेजों के एफीलियेशन करने का कोई इरादा नहीं है, हर एक विद्यार्थी के रहने का यूनिवर्सिटी इन्तजाम करेगी। इसी दायरे के अन्दर जो कुछ होगा वह होगा वरना

[श्री मोहनलाल गौतम]

कालेजों को एफीलियेट करने का कोई इरादा नहीं है। ए० एन० झा कालेज को भी एफीलियेट करने का कोई इरादा नहीं है। अब यह रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी होगी। मेरा बहुत कुछ काम माननीय लहरी जी तथा मदनमोहन जी ने हल्का कर दिया है। उन्होंने इसको समझने की कोशिश की है।

श्री प्रतापसिंह—हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—आपने पढ़ा है और समझा भी है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आप इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं। अब जो नया ढांचा होगा उसमें इंटरनल एक्जामिनेशन्स होंगे, एडमिशन्स वगैरह होंगे और मैं पहले भी जनरल डिस्कशन के वक्त कह चुका हूं जो आज सुबह हुआ था कि एक नया प्रयोग है, उसे करने दीजिये। हम उसे एक क्लीन स्लेट पर करें, ताकि उसमें कोई बन्धन न हो। बी० एस-सी० या एम० एस-सी० (एग्रीकल्चर) या मथुरा में मास्टर इन वेटेरिनरी साइंस है, अगर आज इनको इस यूनिवर्सिटी से ऐफीलिएट कर दिया जाय तो क्या उनका इम्तहान उसी तरह से होता रहेगा, किस तरह से बदला जायगा? इसको सोचने का मौका नहीं है कि किस तरह से बदलेंगे, किस ढांचे पर बदलें जब तक इसको एक्सपेरीमेंट करने का मौका नहीं देंगे तो किस आधार पर बदलेंगे? अभी एम० एस-सी० का हमने तजुर्बा किया नहीं। अभी फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे। मैट्रीकुलेट उसमें आयेंगे। फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में आयेंगे। जब वह तजुर्बा हो जाय तब ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर से कहें कि तुम बदलो। अगर हम ऐग्रीकल्चर कालेज या वेटेरिनरी कालेज को ऐफीलिएट कर दें तो नतीजा यह होगा कि उसी तरह से इम्तहान लेंगे। क्या हम यह चाहते हैं कि कानपुर ऐग्रीकल्चर कालेज या वेटेरिनरी कालेज, मथुरा से निकले ग्रेजुएट्स पर इस यूनिवर्सिटी की मुहर लगा दें, ताकि दुनिया यह जान सके कि नयी यूनिवर्सिटी के ये ग्रेजुएट्स हैं? हम नहीं चाहते हैं कि इन कालेजों का जो ढर्रा चल रहा है उससे हम अपने एक्सपेरीमेंट को सीमित कर दें और उन ग्रेजुएट्स पर अपनी मुहर लगा कर दुनिया के सामने मखौल पेश करें। हमने एक नया प्रयोग करने का इरादा किया है। सदन इसकी आज्ञा दे ताकि हम उस प्रयोग को कर सकें।

जहां तक कैम्पस का ताल्लुक है एक माननीय सदस्य ने कैलिफोर्निया का जिक्र किया। जहां तक मुझे याद है, वहां अलग-अलग कैम्पस हैं। उन्होंने ऐफीलिएशन नहीं किया। एक कैम्पस शुरू हुआ, फिर दूसरा कैम्पस अलग शुरू हुआ। दूसरे ढंग की जो शिक्षा पद्धति थी उसको जोड़ा नहीं। इसलिए कैलिफोर्निया की मिसाल नहीं दी जा सकती। कई माननीय सदस्यों ने राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट को कोट किया। उसमें कहा गया है :—

"The suggested number of students for each of the under-graduate resident colleges is about three hundred, and that of the maximum overall enrolment for colleges and University combined, about two thousand five hundred."

कालेजेज और यूनिवर्सिटी में सब मिला कर जितने छात्र होंगे वह २,५०० के लगभग होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ऐफीलिएटेड कालेजेज में कहां हद खींचेंगे, २,५०० के बाद ऐफीलिएट नहीं करेंगे? इसलिये राधाकृष्णन् रिपोर्ट को पूरा पढ़ाया जाय तो अच्छा है। एक बात मैं और अर्ज करूं डाक्टर राधाकृष्णन् बहुत विद्वान हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है और उन्होंने उसका अध्ययन किया, लेकिन राधाकृष्णन् जी के सामने हमारी हिन्दुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज थीं जिन पर उन्होंने मुख्य ध्यान दिया है और उनके लिये सजेशन दिये हैं। वह कमीशन ऐग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी के लिये नहीं बनाया गया था। अगर यह काम उनके सुपुर्द होता तो उसके ऊपर वह ध्यान देते। मगर वह उन्होंने नहीं किया। इसलिये राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट को इस वक्त हमारे सामने बार-बार रखने की जरूरत नहीं है। उसमें जितनी अच्छी चीजे हैं उनको लेने की कोशिश की है, लेकिन एग्रीकल्चर

यूनिवर्सिटी के लिये उसको हमने लास्ट वर्ड ट्रीट नहीं किया है। इसके अलावा हमने और साधन से और भी जगह से लिया है।

यहां पर जो परिभाषा का सवाल है उसके दो हिस्से हैं कालेज के माने हैं फैकल्टी और अमेरिका के जो कालेज हैं उसके माने हैं यूनिवर्सिटी। वहां पर कालेज और यूनिवर्सिटी में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि अभी नारायणदत्त जी ने बतलाया कि अमेरिका में लैण्ड ग्रान्ट्स कालेज सब पर छा गया है। एक कालेज वहां पर नहीं है। यूनिवर्सिटी अलग और कालेज अलग नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वहां पर कालेज और यूनिवर्सिटी के एक माने हैं और वह वहां अपने-अपने हैं। एकाध यूनिवर्सिटी हैं जिनके कैम्पस अलग हैं। वह कैम्पस एफिलियेटेड नहीं है। उन्हीं के शुरू किये हुए हैं और एक यूनिवर्सिटी के कई कैम्पस हैं, लेकिन यह बहस भी पीछे रह जाती है। मैं पहले प्रार्थना कर चुका हूं और अब भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं। अपने तजुर्बे से आगे इसको दुरुस्त करेंगे। बाकी कालेज अपने ढंग पर चल रहे हैं। अगर उनको नहीं मिलायेंगे तो हमको तजुर्बा करने का मौका मिलेगा। इसलिये इस वक्त हम किसी को एफिलियट करने को तैयार नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हायर सेकेन्डरी कालेज एफिलियेटेड हों। यह बात जरूर है कि यह यूनिवर्सिटी मैट्रिक के लड़कों को लेगी। अब इसको आप हायर सेकेन्डरी कहें या कुछ कहें। वहां पर ११ और १२ ईयर की जो पढ़ाई होती है वह जरूर होगी। उसका नाम आप चाहे जो लें। उसको आप हायर सेकेन्डरी कालेज कहें या स्कूल कहें। यूनिवर्सिटी की हैसियत से वहां पर शिक्षा दी जायगी। मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नये तजुर्बे को करने दें और इसमें कोई बन्धन न होना चाहिये जिससे हमारे तजुर्बे में कोई रुकावट पड़े। इसलिये इसका वहां पर कैम्पस और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दोनों को अलग अलग चलने दें यही मेरी प्रार्थना है। मुझे आशा है कि यह संशोधन वापस ले लिया जायगा नहीं तो मुझे उसके स्वीकार करने में दिक्कत है।

श्री प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नवल किशोर, श्री गौरीशंकर राय, श्री अवधेश प्रताप सिंह और श्री नारायणदत्त तिवारी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे समर्थन में विस्तारपूर्वक आपके द्वारा माननीय सदन को बताने का प्रयत्न किया कि इस संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता है। जहां तक माननीय लहरी जी का प्रश्न है, मान्यवर मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वे अभी इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा ही नहीं समझ पाये। उनके मस्तिष्क में तो इतना ही है कि नैनीताल में यह बन रहा है। लेकिन मैं यह साफ करना चाहता हूं कि नैनीताल के पर्वत में नहीं बनने जा रहा है बल्कि वह तो एक कास्मोपालिटन टाउन है जहां सैकड़ों ऐग्रीकल्चरल फार्म्स हैं और जहां देश के ही नहीं विदेशों के लोग पढ़ने आयेंगे। तो उसी नजरिये को रखते हुए माननीय लहरी जी ने अपनी बात कही है तो मुझे कोई अधिक बातें नहीं कहनी है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी कालेज को ऐफीलियेट करने का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, जहां पर प्रसार करना हो तो वहां पर रिसर्च सेन्टर्स खुलेंगे। गरम पानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, या हवालबाग में जहां खुला हुआ है तो उनको भी लाना होगा। लैन्ड ग्रांट्स कालेज के आधार पर जो खुले हुए हैं वहां क्या होता है उनके संबंध में मैं दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं :---

"In Florida, the main station is located at the University in the centre of the State with 12 branch stations and laboratories in different parts of the State."

यानी सारे स्टेट्स बंटे हुए हैं। हम तो यहां स्टेट्स में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी इस बात में उदारता दिखावें जैसे उन्होंने ओरिजिनल बिल में रजिस्टर्ड ग्रेजुयेट्स के रिप्रेजेंटेशन बोर्ड आफ मैनेजमेंट के अन्दर होने की बात नहीं थी,

[श्री प्रतापसिंह]

लेकिन उन्होंने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो मैं समझता हूं कि जैसे उन्होंने ७ साल के बाद आने वाली उस बात को मान लिया वैसे उनको उदारता दिखानी चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने झा कालेज की बात कही कि उसको नहीं लाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि यूनिवर्सिटी के अन्दर वह कालेज नहीं है, लेकिन फैक्ल्टी मीन्स टीचिंग स्टाफ। इसीलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि फैकल्टी को देखते हुए उसमें वह चीज आयेगी। उसको वह रोक नहीं सकते। इसलिये माननीय मंत्री जी इसमें उदारता दिखावें जैसे उन्होंने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के संबंध में दिखाई है। हम समझते हैं कि जब तक कालेज की परिभाषा नहीं आती है तो यह प्राणविहीन विधेयक होगा।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुमायूं विश्वविद्यालय को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन लाया गया है। तो उसके लिये मैं उनका आभारी हूं कि उनको कुमायूं का ध्यान है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे मस्तिष्क में वह बात बिलकुल नहीं है।

अन्त में मैं पुनः मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस परिभाषा को मानकर अपनी उदारता का परिचय देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी उदारता अगर माननीय सदस्य मानते हैं तो यह समझ लें कि जब मेरी मजबूरी होगी तब उदारता नहीं हो सकेगी। अगर उदारता से ही काम चल जाता तो मैं ज्यादा उदार हो जाता। जहां तक समझाने की बात है मैंने उसकी बहुत कोशिश की। पहले यहां समझाया, सेलेक्ट कमेटी में भी समझाय और यहां भी सुबह से यही हो रहा है, इसलिये मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। जैसी रूपरेखा इसमें रखी गयी है वही रहेगी। इसमें मैं संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ठ) के अन्त में निम्न परिभाषाएं और जोड़ दी जायं :--

"महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसको विश्वविद्यालय संधारित करता हो और जिसको विश्वविद्यालय ने अपने विशेष अधिकारों में सम्मिलित कर लिया हो तथा इसके अन्तर्गत सम्पर्कगत महाविद्यालय, निर्मितगत महाविद्यालय, अन्डर ग्रेजुएट महाविद्यालय और हायर सेकेन्डरी स्कूल में सम्मिलित हैं।

४--निर्मितिगत महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसको विश्वविद्यालय ने अपने विशेष अधिकारों में सम्मिलित कर लिया हो और जो राज्य सरकार द्वारा संधारित हो और जिसको विश्वविद्यालय की डिग्री में प्रवेश तथा शिक्षण-कार्य संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में हो आया था तो इस पर जनरल डिस्कशन नहीं होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--नये नियमों में इसकी व्यवस्था है, इसलिये यह अनियमित नहीं हुआ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जो लोग सेलेक्ट कमेटी के सदस्य रह चुके हैं अगर उनका कोई नोट आफ डिसेंट न हो तब तक उनको अधिकार नहीं है कि वे जनरल बहस में भाग लें। तो बहुतसा समय उस बहस में भी लिया जा चुका है। चूंकि

सदन का समय काफी इस पर विचार करने में लग गया है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि जब तक यह खत्म न हो जाय तब तक के लिये यह सदन बैठे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय छिप महोदय ने अपने प्रस्ताव रखने के दो कारण बताये । पहला कारण यह बताया कि इस पर आम विवाद नहीं होना चाहिये था । श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उनको बता दिया, लेकिन ऐसा पहले नियमों में भी था ।

दूसरी बात उन्होंने कही कि हमको बोलने का अधिकार ही नहीं है । श्रीमन्, अगर वे ध्यान से देखें तो उनको मालूम होगा कि हमारा नोट आफ डिसेंट पूरे ६ पेज का है । इस कारण से भी उनका वह प्वाइन्ट रहा नहीं ।

तीसरी बात यह है कि अगर सरकार को इस विधेयक को इतनी जल्दी पारित कराना होता तो उसके लिये नियमों में जो पहले व्यवस्था कर दी गयी है, सरकार उसके अनुसार कार्य करती और उसको बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने भेजती । इस प्रस्ताव का अर्थ तो गिलोटीन करना है । सदन को यह दंड देना है कि वह दिन भर बैठे, रात भर बैठे और फिर भी समाप्त न हो तो सुबह तक बैठे । सदन ने इसके लिये ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनायी है उसके लिये नियमों में लिखा हुआ है---

"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रमों पर विचारने के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन या नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें ।"

तो जब कभी किसी विधेयक को सरकार की ओर से जल्दी पास कराने की बात होती है तब वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को रिफर कर दिया जाता है । वह एक दिन , दो दिन या २-४ घंटे का समय उसके लिये निर्धारित कर देती है । लेकिन सरकार ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा । अगर सरकार ने ऐसी सिफारिश की होती तो आपने उसकी सूचना हमें दी होती और प्रस्ताव आता कि इतना समय इसके लिये तय किया जाय । मालूम होता माननीय मंत्री जी इसमें कोई जल्दीबाजी करना मुनासिब नहीं समझते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय विष्ट जी अपने अप्रजातांत्रिक प्रस्ताव को वापस ले लेंगे नहीं तो हमें सोचना होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से हम कोआपरेट करें या न करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निकम्मी है ।

श्री उपाध्यक्ष---बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन की कमेटी है । उसके विषय में कोई नारेबाजी करना मुनासिब नहीं है । ऐसे शब्द उसके बारे में कहना शोभा नहीं देता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह हमारी कमेटी है । उसको सरकमवेंट कर के यह गिलोटीन आ रहा है । इसकी मैं मुखालिफत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसकी कतई कोई इजाजत न दें ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, दुर्भाग्यवश मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है जब कि मैं कुंवर साहब का विरोध नहीं करना चाहता था । उनके प्रस्ताव के जो कारण थे उनका जवाब दिया जा चुका है । जब हम दो महीने के बाद फिर मिल रहे हैं तो फिर यह बैड टेस्ट क्रिएट करने की बात नहीं होनी चाहिये । जाते वक्त गिलोटीन की बात उचित नहीं है । यही हाल रहा तो किसी दिन यह भी हो जायगा कि २ दिन या दो घंटे में ही यह बिल पास कर दिया जाय । श्रीमन्, शक्ति की भी तो कोई हद होती है । रात भर बैठें, खाना भी यहीं हो, प्रातःकाल भी यहीं हो, अगर ऐसा रहा तो मजबूरन हमें उसको भी मानना होगा । माननीय मंत्री जी इसको नहीं चाहते, लेकिन माननीय विष्ट साहब को न जाने क्या परेशानी है कि वे इस प्रस्ताव को रख रहे हैं । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया । ऐसी सूरत में आप ही विचार कर लीजिये कि यह उचित नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि एक तो यह प्रस्ताव बिजनेस कमेटी के सामने नहीं गया और उसने कोई समय निर्धारित नहीं किया, इससे यह मालूम होता है कि सरकार को यह परवाह नहीं है कि इसको कितनी देर में पास होना चाहिये। इसलिये इसके लिये समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती। माननीय विष्ट जी ने जो प्रस्ताव रक्खा उसमें ऐसी लचर बात कह दी जो ठीक नहीं है। नयी नियमावली में भी जो सदन के बैठने का समय रखा गया है वह ११–५ तक का है और उसमें रिसेस की बात नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो पहले इसको आना था जिससे हम रिसेस में बैठ सकते, लेकिन बाद में सदन बैठे, इसके लिये हम तैयार होकर नहीं आये हैं। किसी को मालूम नहीं कि कब तक यह सदन बैठेगा। इस परेशानी में जो काम होने वाला है, उसमें गड़बड़ी पैदा हो जायगी।

इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय। यह अप्रजातांत्रिक और अनुचित है और एक तरह से हम लोगों पर इसके द्वारा दबाव डालना है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय कृषि मंत्री जी को इस पर कुछ कहना है?

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कृपा की है कि मेरा खयाल कुछ और है और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनका कुछ और है। इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विष्ट साहब ने सुझाव रखा है, वह मुझे ठीक मालूम होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें, अप्रजातांत्रिकता क्या है? एक नया माडेल हम लाना चाहते हैं। जो नियम हमारे कांस्टीट्यूशन में नहीं है वह कैसे लाया जा सकता है? इस बात को तो सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन जो होता है वह कभी-कभी रात भर चलता है, हाउस आफ कामन्स में भी यही बात है, फ्रांस की पार्लियामेंट में भी इस तरह से होता है। तो साढ़े ५ बजे तक हो जायगा तो यह अप्रजातांत्रिक हो जायगा, यह प्रथा तो नहीं है? सवा ५ के बजाय साढ़े ५ तक हो सकता है, या हाउस चाहे तो उसे पौने ५ बजे ही खतम कर सकता है, और उसी वक्त सदन उठ सकता है। प्रस्ताव में इस तरह की कोई मांग तो की नहीं गयी है कि यह सदन १२ बजे रात तक बैठेगा। इस प्रस्ताव का मतलब यही है कि विवाद का रिपीटीशन न हो, और हर अमेंडमेंट पर जनरल डिस्कशन की तरह से बहस न हो। जितना समय हम चाहते हैं उसमें भी कमी हो सकती है और आज यह पास हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं है, औपचारिक रूप से जिसको विरोध प्रकट करना हो वह कर सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है हमको यह जानकर कि एक तरफ कहा जाता है कि विरोधी दल कोआपरेट नहीं करता, दूसरी ओर शुक्रवार जो नानआफिशियल डे था वह भी ले लिया गया और शनिवार भी ले लिया गया। हम लोगों ने सोचा था कि शनिवार को इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि इसके बारे में अच्छी तरह से बात हो सके और हम ठंडे दिल से विचार कर सकें मगर ऐसा नहीं करने दिया गया। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि हमें इसका लिटरेचर तक पढ़ने को नहीं मिलता और हमें मौका तक नहीं मिलता कि हम उसका कुछ अध्ययन भी कर सकें। बात यह है कि इस बिल को हिन्दुस्तान से प्रेरणा नहीं मिली है इसे समझने हेतु लैंड ग्रांट कालेज अमेरिका की चीजें हमको पढ़नी हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—विषयान्तर आप न हों।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं उसी पर आ रहा हूं, मुझे गलत न समझा जाय। हम तो यही चाहते हैं कि हमको अच्छी तरह से सोचने का मौका मिले, ताकि हम काफी सोच समझ कर इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। सरकारी पक्ष तो यह चाहता है कि कोई

भी बिल उसकी तरफ से चाहे जैसा भी आवे, बिना बहस किये हुए ही उस पर हमारी मुहर लगा दी जाय। जिस बिल को भी आप (सरकार) लाये उसको पास करा सकती है क्योंकि आप तो बहुमत में हैं और हम लोग अल्पमत में हैं लेकिन दुनिया के सामने आप क्या कहेंगे? हर बिल पर गिलोटिन हो रहा है, इसी सेशन में श्रीमन्, कई बिलों को आध, आध घंटा में ही पास किया गया है क्योंकि उनका बहुमत था और हमको मानना पड़ा। लेकिन श्रीमन्, बहुमत के लिये यह कोई शोभा की बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि ड्रेस्टी लेजिस्लेशन होने का नतीजा यह होगा कि दिन ब दिन उस पर अमेंडमेंट आते रहेंगे। श्रीमन्, सेल्स टैक्स के सिलसिले में ही १८ वां या १९ वां संशोधन आ रहा है, इसी तरह से मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के ऊपर भी एक-एक साल में कई-कई संशोधन आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप संक्षेप में भाषण करें तो अच्छा हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे सेंस आफ दि हाउस (Sense of the House) को भी feel करें, उधर के बैठने वाले या इधर के बैठने वाले सदस्य यह नहीं चाहते कि इसे आज ही पास कर दिया जाय। जब उनसे पूछा गया तो अधिकांश माननीय सदस्यों ने यही कहा कि कल तक के लिये हाउस को बढ़ा दिया जाय। श्रीमन्, एक्जीक्यूटिव एक तरह से सदन पर हावी होती जा रही है। वह हर तरह से अपनी ही बात मनवाना चाहती है। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र अब खत्म हो गया है और अब उसका स्वांग भर रह गया है। एक्जीक्यूटिव द्वारा दिनों दिन सदन की ताकत को घटाने की कोशिश हो रही है। तो लेजिस्लेचर से आगे ऐग्जीक्यूटिव नहीं है। उधर के बैठने वाले सदस्य हों या इधर के, यह उनकी इच्छाओं का हनन करना है। उधर के माननीय सदस्य व्हिप को छोड़ दें और स्वतंत्रतापूर्वक वोट करें। व्हिप ईशू करने के बाद लामुहाला उन को पार्टी की तरफ वोट देना पड़ेगा। इस तरह से ऐग्जीक्यूटिव हावी होती जा रही है। इसीलिये सब काम गड़बड़ चल रहा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप ऐसे प्रस्ताव की इजाजत न दें।

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। सारी बहस के सुनने के बाद कुछ ऐसी बातें नहीं मालूम हुईं जिसके लिये इस तरह का प्रस्ताव आज सदन में पेश किया जाय। मेरे जैसा आदमी यह महसूस करता है कि इस प्रकार के प्रस्तावों की रोशनी में बिजनेस कमेटी की कोई उपयोगिता नहीं है। मैं इसके प्रोटेस्ट में सदन की बिजनेस कमेटी से त्याग-पत्र देता हूं जिसकी लिखित सूचना आपको दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। यह तो सदन की बात है। जब बिजनेस कमेटी के सामने यह विधेयक गया ही नहीं तो त्याग-पत्र देने की बात अनावश्यक है। आप जल्दी न करें। इस पर पुनः विचार कर लें।

मैं समझता हूं यह संशोधन चले और आध घंटे के बीच में आपस में कोई बातचीत हो जाय और कोई हल निकल जाय तो ठीक है। नहीं तो फिर इस प्रस्ताव पर मत लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८---(क्रमागत)

श्री प्रतापसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"खंड २ के उपखंड (ग) में शब्द 'बोर्ड' के स्थान पर 'Executive Council (कार्यकारिणी समिति) रख दिया जाय।"

"मान्यवर, जहां मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं वहां प्रवर समिति से जो प्रतिवेदन आया है उसमें 'बोर्ड' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) से है।" मान्यवर, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में क्या है इस पर तो नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन

[श्री प्रताप सिंह]

हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज, हिन्दुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं कहीं पर मैंने यह नहीं देखा कि "Board means the Board of Management" अगर कोई गन्ने का बोर्ड हो तब तो ठीक है। लेकिन विश्वविद्यालय जहां बन रहा है वहां "Board of Management" शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यहां बोर्ड आफ मैनेजमेंट को वही काम करने हैं जो दूसरे विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव कौंसिल को करने पड़ते हैं। और जैसा मंत्री जी ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे कोर्टस् हैं, एग्जीक्यूटिव कौन्सिल हैं उनको हम नहीं चाहते हैं। तो मान्यवर, इस संशोधन को लाने का जो प्रयास किया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत से सदस्यों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जिस आधार पर, जिन कनसेप्शन से आज यह विचार कार्य रूप में परिणत होने जा रहा है, मंत्री जी ने बार-बार कहा कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट को कोट न किया जाय, लेकिन श्रीमन्, हमारी मजबूरी है इसलिये कि दुनिया में कोई भी ऐसा इन्सान नहीं है जो तजुर्बे से न सीखा हो। तो रूरल यूनिवर्सिटी और ऐडमिनिस्ट्रेशन की कौन-सी संस्थायें होनी चाहिये, इनके बारे में अगर कोई विद्वतापूर्ण प्रकाश हमको मिलता है कहीं, तो राधाकृष्णन् रिपोर्ट में ही मिलता है। और मैं चाहता हूं कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट की जगह एग्जीक्यूटिव काउन्सिल रख दिया जाय। उसकी पुष्टि में मैं राधाकृष्णन् रिपोर्ट पढ़ देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी भी उस पर ध्यान देंगे। पेज ५८६ में है—

"*Rural University Administration*—The Rural University might well have two governing bodies. First, a small Academic Council....."

इस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। ऐकेडेमिक कौंसिल इस विश्वविद्यालय में है। दूसरा यह है कि,

"The second governing body might be called the Executive Council. It would be the overall authority to direct university policy and to pass on the major acts and proposals of the Academic Council and administrative staff. It would not handle details of educational or business administration, but would control general policy and programme. It should meet perhaps three to six times a year, a part of each meeting being solely for its own members, and a part in joint meeting with the Academic Council and the Vice-Chancellor and his chief assistants. Such joint meetings help all parties to be well informed."

तो यह संशोधन कोई विवाद का संशोधन नहीं है। एक एग्जिक्यूटिव कौंसिल प्रत्येक विश्वविद्यालय में है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट आज तक हमने नहीं देखा। मैं यह मानता हूं कि प्रत्युत्तर में माननीय मंत्री जी का उत्तर होगा कि हम तो एक अद्वितीय विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं इसलिए बोर्ड आफ मैनेजमेंट का इसमें प्राविजन किया गया है और यह भी कहा जायगा कि बहुत से लोगों ने इसकी सराहना की है। मगर मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी है, एक छोटा-सा स्कूल या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स नहीं है, इसलिए चाहे बोर्ड आफ मैनेजमेंट के कर्त्तव्य वही हों जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल के हैं, लेकिन उसको यहां रखना डिग्निफाइड नहीं है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उपयुक्त यहां पर एग्जिक्यूटिव कौंसिल है। अपने कथन की पुष्टि में मैंने राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट पढ़ दी, मुझे आशा है कि माननीय सदन के सदस्य इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय पेश किया गया है उसमें कोई फंडामेंटल बात नहीं है, सिवाय इसके कि एक तो इसका नाम बोर्ड है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट नहीं है। बोर्ड के माने हैं कि जो इन्तजाम करे। नाम सिर्फ "बोर्ड" है और उसकी जगह एग्जिक्यूटिव कौंसिल रखने में जो दिक्कत है वह यह है कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल के जो माने आम तौर से आज तक समझे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं उसकी खूबियां और बुराइयां

सब जानते हैं। हम उससे कुछ अलग रहना चाहते हैं। उसमें डीन्स आफ दि फैकल्टी, कुछ एक्स-आफिशियो होते हैं, चुनाव होता है और जैसा मैंने सुबह कहा कि डीन या हेड आफ दि डिपार्टमेंट के चुने जाने में अपना वोटर सामने रख कर कभी-कभी मेरिट जरा दूर हो जाती है। देखने में ऐसा आया है कि जब मेरिट पर सेलेक्शन न करके अपना वोटर भी हो तो मेरिट जरा पीछे हट गयी और सेलेक्शन में मेरिट को उतना ऊंचा स्थान नहीं मिला। कहां से मैजारिटी होगी उसमें जो मेरिट पर बेस्ड हो और मैजारिटी माइनारिटी में कनवर्ट हो जाय ? ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मेरिट सेकेंडरी हो जाती है और अपने वोटर सेलेक्शन करेंगे हेड आफ दि डिपार्टमेंट का, यह प्राइमरी हो जाता है। एग्जिक्यूटिव कौंसिल को हिन्दी में कहते हैं "कार्य-कारिणी समिति"। कार्य-कारिणी समिति के आम माने यह हैं कि एक बड़ा जमात है और उसकी एक छोटी-सी एग्जिक्यूटिव है, उससे एक्जेक्ट की हुई है। यहां बड़ी जमात कोई है नहीं तो छोटी जमात किसकी ? इसलिए एग्जिक्यूटिव कौंसिल के जो माने आज है अगर हम उससे अलग रहें तो उसमें हमको आसानी होगी। जहां तक राधाकृष्णन् रिपोर्ट का संबंध है, उसमें साफ लिखा है कि टीचर्स का जिक्र न हो और जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल है उसमें टीचर्स का होना आवश्यक नहीं है। टीचर्स कभी-कभी बैठ कर डिस्कशन कर लिया करें यह लिखा है उसी पेज पर जिसका उद्धरण दिया गया है। इसलिये हमने विश्वविद्यालयों की उन बुराइयों से दूर रहने के लिये ऐसा किया है और इस तरह की व्यवस्था की है कि हम ने इस में एग्जिक्यूटिव कौंसिल को नहीं रखा है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन को स्वीकार न करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक मंत्री जी की दलीलों को सुना। श्रीमन्, मंत्री जी तो कोई हैं नहीं इसलिये तब तक के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष—सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, कोई न कोई तो है ही, सभा सचिव, श्री राजबिहारीसिंह मौजूद हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उनका सम्बन्ध तो इस विभाग से है नहीं। खैर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी के भाषण से तो मेरे खयाल से जो स्थिति थी वह और भी बिगड़ गई....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री जी को घर जाकर सोने की इजाजत दी जाय और यह सदन १२ बजे रात तक चलता रहे और जब वह सोकर आयें तब फिर जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें, आप का यह सुझाव नोट करने वालों ने नोट कर लिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो श्रीमन्, अंग्रेजी में एक कहावत है कि "कन्फ्यूजन वर्स्ट कनफाउन्डेड" वही स्थिति यहां हो गई है और वह और भी बिगड़ गई है। यह बोर्ड आफ मैनेजमेंट किसी विश्वविद्यालय के लिये सुनने से भी अच्छा नहीं मालूम होता। यह तो किसी ऐसी संस्था के लिए होना चाहिये जिसको कि मैनेज करना हो जैसे किसी दूकान का मैनेजमेंट हो, किसी ट्रांसपोर्ट विभाग का हो या किसी रोडवेज सर्विस का मैनेजमेंट हो...

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह निवेदन करूंगा कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट का जिक्र विधेयक में भी है, लेकिन वह कार्यकारिणी समिति क्या करेगी वह तो परिभाषा के ही बदलाव से प्रबन्ध समिति कार्यकारिणी बन जायगी जबकि विधेयक में उसका कोई जिक्र नहीं है, इसका ध्यान रख कर आप अपनी बात कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसीलिये मैं श्रीमन्, चाहता हूं कि बोर्ड के स्थान पर परिभाषा में एग्जिक्यूटिव कौंसिल हो जाय क्योंकि वह बाद में नहीं हो सकता और बाद में कहा जा सकता है कि परिभाषा में नहीं है तो अब कैसे रख सकते हैं? इसीलिये हमने यथा स्थान संशोधन भी दिया है। वैसे तो वह कह देते कि बोर्ड हमने रखा है, यह एग्जिक्यूटिव कौंसिल कहां से आ गयी। इसके अलावा आप देखें कि हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय बने हैं और यह शायद २४ वां विश्वविद्यालय है, लेकिन कहीं भी बोर्ड आफ मैनेजमेंट नहीं रखा गया है। मुश्किल तो यह है कि हमारे यहां शिक्षा विभाग के मंत्री जी दूसरे हैं और इस काम जो चला रहे हैं कृषि मंत्री जी। पहली आवश्यकता यह थी कि यह बिल शिक्षा विभाग की तरफ से आता, क्योंकि हर प्रकार की शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, लेकिन न मालूम किस तरह से यहां यह बिल कृषि विभाग की तरफ से पाइलट किया जा रहा है जबकि इसका कोई सरोकार कृषि विभाग से नहीं है। आज तक किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में बोर्ड आफ मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है। रुड़की की इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है वह भी एक विशिष्ट सबजेक्ट इंजीनियरिंग की शिक्षा देती है और किसी चीज की वहां पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये इसमें कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह दुबारा राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ ४२६ और ४२८ पढ़ने की कृपा करें। इनमें एग्जीक्यूटिव कौंसिल का जिक्र है ४२६ पृष्ठ पर यूनिटरी कौंसिल का जिक्र है और ४२८ पर फेडरेटिव कौंसिल का जिक्र है। यह तो रूरल यूनिवर्सिटी होगी। इसलिये पता नहीं कि कौन-सी होगी, परन्तु यह निश्चित है कि न दोनों में से ही एक होगी। दोनों कौंसिलों के पैटर्न इस राधाकृष्णनन् कमीशन की रिपोर्ट में दिये हुये हैं। जहां पर टीचर्स के लिये लिखा हुआ है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी को गलतफहमी है कि कमीशन ने इसके लिये कुछ नहीं कहा है। वह इस प्रकार है कि :—

"We also recommend that Executive Council should be about evenly divided between internal and external members, but with the balance in clining to the internal side."

"हम यह भी सिफारिश करते हैं कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में कि कार्यकारिणी समिति में बाहर के और भीतर के दोनों सदस्य बराबर होने चाहिये, लेकिन संतुलन के भीतर के लोगों का ज्यादा होना चाहिये। श्रीमन्, इन्टरनल का अर्थ टीचर्स से ही होता है"। आगे है—

"The rule still in force in some of the older universities that members of the staff of the University must not sit on the executive should be abolished."

जहां पुराने विश्वविद्यालयों में यह नियम चल रहा है उसको समाप्त कर देना चाहिये। इसके आगे इस प्रकार है कि:—

"It dates from the obsolete 'affiliating' conception of a university."

यह कि अध्यापकों को यूनिवर्सिटी को एग्जीक्यूटिव कौंसिल में स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह दकियानूसी विचारधारा है। कितना स्पष्ट कहा गया है कि:—

"To deprive professors of any share in the executive policy of their university is to make an illogical gap between academic and executive affairs, which cannot in fact be so divided from each other."

प्रोफेसर्स को अपनी यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी की नीति से वंचित करना एक खाई पैदा करना है, यह एक ऐसा अंग है कि जिससे उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद श्रीमन्, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं कमीशन ने बताया है कि ऐग्जीक्यूटिव कौंसिल का पैटर्न क्या होगा। यूनिटरी कौंसिल का यह है कि ८ डीन्स का प्रतिनिधित्व हो, एक मेम्बर आफ स्टाफ का हो और हाई-कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन के नामनी हों। फेडरेटिव कौंसिल का यह है और जो ४२९ पृष्ठ पर दिया हुआ है कि ७ डीन्स हों, कांस्टीटुएन्ट कालेजेज के दो प्रिंसिपल हों और हाई कोर्ट तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के नामनी हों। इस तरह से दोनों कौंसिल का पैटर्न कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी को अध्यापकों के प्रति इतना अविश्वास क्यों है ? अगर केवल यही कारण है तो मैं कहूंगा कि उनके ऊपर विश्वास किया जाय। जिस तरह से और विश्वविद्यालयों में एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनाई गई हैं उसी तरह से यहां भी बोर्ड के बजाय एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनाई जाय। अगर अमेरिका की नकल करना है तो सारा बिल बदलना पड़ेगा। यह उसकी बिल्कुल नकल नहीं है। ब्लू प्रिंट में साफ दिया है कि वहां कालेजेज का अलग विधान बना है, लेकिन यहां स्थान नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें और बोर्ड के स्थान पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल की अवश्य स्थापना करें। उसमें ओवरसियर और इंजीनियर ही पढ़ाये जाते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो एक क्षेत्र के अन्दर सीमित है उसमें भी एग्जीक्यूटिव कौंसिल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन का क्या सुझाव है ? उसने बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनाने के लिये कहा ? और जो बार-बार कहा जाता है कि अमरीकन लैंड ग्रांट कालेज में जैसा है वैसा ही यहां रख रहे हैं, तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूं कि वहां भी इस प्रकार का कोई बोर्ड आफ मैनेजमेंट नहीं है। वहां बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज है। वह सन् १८६२ से है। इसलिये कि लैंड ग्रांट कालेज का मतलब यह नहीं है कि चूंकि उनके पास कोई जमीन थी इसलिये यह नाम पड़ा, बल्कि इसलिये पड़ा कि कुछ सरकारी जमीन बेची गयी। उसके बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उसका ट्रस्ट फंड क्रियेट किया गया और उसके ट्रस्टीज बोर्ड आफ ट्रस्टीज के मेम्बरान हुये। वहां हर कालेज आटोनामस है। कालेज की गवर्निंग बाडीज तीन हैं, एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल, दूसरे एकेडेमिक कौंसिल और तीसरे सीनेट और हर डीन आटोमेटिकली कौंसिल का मेम्बर होता है। तो अमरीकन लैंड ग्रांट कालेज में भी पूरी आटोनामी है जैसा कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में है। वहां पर कोआर्डिनेटिंग अथारिटी प्रेसीडेंट नहीं होता, जैसा कि मंत्री जी ने कहा। वह चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। तो वहां का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उससे यहां के पैटर्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर वहां के पैटर्न को यहां एडाप्ट करना होता तो हर कालेज की गवर्निंग बाडी एकेडेमिक कौंसिल बनानी पड़ती। यहां तो बोर्ड आफ मैनेजमेंट नाम इसलिये मंत्री जी रख रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के नाम से वे बचना चाहते हैं। इसमें नयी बात यह है कि उसमें अध्यापक का प्रतिनिधित्व न हो, एलेक्शन न हो। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी टीचर पोलिटीशियन हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—टीचर और पोलिटीशियन, दोनों एक साथ नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हमारे देश के वाइस प्रेसीडेंट, डाक्टर राधाकृष्णन् भी एक टीचर पोलिटीशियन हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमको तो अधिकार है, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो उसमें गवेषणा करते हैं, जो उसका प्रसार कार्य करते हैं वे अपना प्रबन्ध करने के लिये नालायक हैं। यह नवीनता नहीं कट्टरता है, असहिष्णुता है। जो ये बाहर के लोग उसमें जायंगे, कौंसिल के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, फार्मर्स फोरम से या स्टेट कोआपरेटिव बैंक से जो लोग चुन कर जायंगे क्या वे राजनीति से अलग होंगे ? ऐसी कोई शर्त माननीय मंत्री जी दिखा सकते हैं कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट के लोग हर प्रकार की पोलिटिक्स से अलग होंगे। ऐसा कोई विधेयक नहीं बन सकता। तो अगर माननीय मंत्री जी केवल इसलिये बोर्ड आफ मैनेजमेंट रख रहे हैं कि अध्यापक उसमें न जायं तो मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कौन होगा कौन नहीं होगा इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस खंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जो संशोधन

[श्री जयराम वर्मा]

उपस्थित किया गया है उससे क्या मतलब हो जायगा और उससे खंड २ का उपखंड (ग) किस तरह से हो जायगा, यह बतलाना चाहता हूं। उपखंड (ग) इस प्रकार है—"बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड से है। उनके संशोधन का मतलब यह हो जायगा कि "एक्जिक्यूटिव कौंसिल" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड से है। यह तो एक हंसी की चीज हो जाती है। आपको प्रबन्धक बोर्ड से नाराजगी नहीं है। प्रबन्धक बोर्ड शब्द आप रखना चाहते हैं। हमारे प्रस्तावक महोदय सिर्फ बोर्ड शब्द को हटाना चाहते हैं।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह परिभाषा ऐसी है जहां पर बड़े शब्द को छोटे शब्द में कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश राज्यपाल की परिभाषा की जाय तो सिर्फ राज्यपाल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री कहा जाता है। प्रबन्धक बोर्ड का छोटा शब्द "बोर्ड" रख दिया गया है। "प्रबन्धक बोर्ड" के मानी एग्जाक्यूटिव कौंसिल होंगे, यह कोई परिभाषा नहीं हो सकती। न किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ऐसी परिभाषा है, न उस तरह की परिभाषा की बात ठीक होगी। हमारे प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि एग्जिक्यूटिव काउंसिल के अलावा और किसी शब्द का किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट में प्रयोग नहीं हुआ है। यह मैं मानता हूं लेकिन किसी ऐक्ट में इस तरह की परिभाषा नहीं होगी कि एग्जिक्यूटिव काउंसिल का मतलब होगा बोर्ड आफ मैनेजमेंट। बोर्ड आफ मैनेजमेंट को छोटा करने से बोर्ड ही शब्द निकलता है। दूसरे कार्यकारिणी समिति शब्द से भासित होता है कि कोई बड़ी संस्था है जिसकी छोटी कार्यकारिणी बनायी गयी। और यूनिवर्सिटी एक्ट्स में इस तरह का प्राविधान है। लेकिन वहां पर सिनेट और कोर्ट है। उसकी एक छोटी कमेटी बनायी गयी है और कार्यकारिणी समिति रखी गयी है। इस विधेयक में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि सिनेट या कोर्ट होगी, जिसकी कार्यकारिणी हो। चूंकि और यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, चूंकि राधाकृष्णनन् कमीशन रिपोर्ट में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है कि यह कोई तर्क नहीं हो सकता है कि उस शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों वह शब्द रखा जाय, बोर्ड आफ मैनेजमेंट जब मान लेते हैं तो बोर्ड आफ मैनेजमेंट की जगह पर छोटा शब्द "बोर्ड" क्यों किया जाय, इस बात की आवश्यकता को सिद्ध नहीं किया गया। अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो यह संशोधन उपस्थित न किया गया होता। जो संशोधन उपस्थित किया गया है उससे अर्थ का अनर्थ हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह संशोधन उस रूप में उपस्थित होना ही नहीं चाहिये था क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो रहा है। प्रस्तावक महोदय को नाराजगी 'मैनेजमेंट' शब्द से है, 'बोर्ड' शब्द से नहीं है। अगर 'मैनेजमेंट' शब्द को रखना चाहते हैं तो बोर्ड आफ मैनेजमेंट का छोटा शब्द 'बोर्ड' ही होगा, 'एग्जिक्यूटिव कौंसिल' नहीं होगा। इस तरह का संशोधन मानना ठीक नहीं है। इस संशोधन को मान लेने से बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे सन्शोधन का समर्थन किया। अभी ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से एक माननीय सदस्य ने इस बात पर आक्षेप किया कि कार्य समिति रखने से परिभाषा में तो 'बोर्ड' ही रहेगा। अगर बोर्ड आफ मैनेजमेंट की जगह कार्य समिति हो जायगा तो परिभाषा में कार्य-समिति रख दिया जायगा और उसकी परिभाषा भी वैसी हो जायगी। अन्य विश्वविद्यालय जो हमारे प्रदेश या देश के हैं उनमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल का जितना कार्य है वह यहां पर बोर्ड आफ मैनेजमेंट कर रहा है। उदाहरण के लिये यदि मैं यह कहूं कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में पावर और ड्यूटी एक्जिक्यूटिव कौंसिल की हैं, वही इसके लिये रखी गई है। उन चीजों को इसमें लिया गया है। यह कोई खास विवादग्रस्त बात नहीं है। कहीं पर भी किसी विश्वविद्यालय के लिये इस

तरह का बोर्ड आफ मैनेजमेंट के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिये यह बोर्ड आफ मैनेजमेंट शब्द यहां पर उपयुक्त नहीं है। यहां पर जो पावर बोर्ड आफ मैनेजमेंट की हैं वही एग्जिक्यूटिव कौंसिल को दूसरे विश्वविद्यालयों में है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन मासूम है और माननीय मंत्री जी को इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं नहीं होना चाहिये।

इस बिल के अन्दर जो अच्छाई है उसमें यह और भी चार चांद लगा देता है। अगर यह संशोधन नहीं माना जायगा तो बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मतलब यही होगा कि किसी फर्म का इन्तजाम करते हैं या किसी सोसाइटी के लिये यह बोर्ड आफ मैनेजमेंट है। यह तो विश्वविद्यालय है, इसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल होना चाहिये। इसी आशय से मैंने अपना यह संशोधन रखा है कि "बोर्ड आफ मैनेजमेंट" के स्थान पर "कार्यकारिणी समिति" रख दिया जाय। मन्त्री जी या कुछ और जो सदस्य बोले, उन्होंने कार्यसमिति मतलब यह लगाया कि उसमें टीचर होंगे या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर "बोर्ड आफ मैनेजमेंट" के स्थान पर "कार्यकारिणी समिति" उपयुक्त है। जो भाषण यहां पर माननीय सदस्यों के हुये उनमें "कार्य समिति" शब्द से विरोध प्रकट किया लेकिन "कार्यकारिणी समिति" शब्द से किसी को विरोध नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक में चार चांद लगाने के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम—यह बात तो कही जा चुकी है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल जिसका हवाला दिया गया है दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में उसकी एक बड़ी भारी बाडी होती है जिसकी यह कार्यकारिणी होती है। वह बाडी १००, १२५ आदमियों की होती है। यहां ऐसी बाडी नहीं है जिसकी कार्यकारिणी हों। जैसा कि लैंड ग्रान्ट्स कालेज का नमूना पेश किया गया है उसमें जो बोर्ड है वह बोर्ड आफ ट्रस्टी है, उसमें बोर्ड आफ कन्ट्रोल है और बोर्ड आफ मैनेजमेंट होता है। जो बोर्ड आफ ट्रस्टी होते हैं वह एक स्थायी किसी संस्था के लिये होते हैं जो यहां पर नहीं हैं। बोर्ड आफ कंट्रोल कुछ सख्त शब्द है और कुछ दबाव भी जाहिर करता है। इसलिये यह जो मैनेजमेंट शब्द है यह बहुत नरम शब्द है। उसी तरह से यहां इन्तजाम होगा जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों में होता है। इस कारण यह बोर्ड रखा गया है जिसका मतलब होगा इन्तजाम का बोर्ड। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें और नहीं तो मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर "Executive Council कार्यकारिणी समिति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले एक प्रस्ताव पेश किया था कि आज सदन उस समय तक बैठे जब तक प्रस्तुत विधेयक पर विचार समाप्त न हो जाय। लेकिन इस हाउस का सेंस ऐसा जान पड़ता है कि इस पर बहुत कम बहस हुई है इसलिये समय इस पर और मिलना चाहिये और विरोधी दल के नेता ने भी इसी प्रकार की बात बताई है कि इस प्रस्ताव को आप वापस लें और कल यह सदन बैठे तो अच्छी बात है। इस लिये मैं अब अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं और उपस्थित नहीं करना चाहता।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

खंड २—(क्रमागत)

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति १ में शब्द "परिनियमों" और शब्द "तथा" के बीच शब्द "अर्डिनेंस" रख दिया जाय। तथा परिभाषा निम्नरूप में रख दी जाय :—

"परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमनों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का है।"

मान्यवर, उपयुक्त से उपयुक्त संशोधन भी जो हम विरोधी दल वालों की ओर से उपस्थित किये जा रहे हैं उन पर सरकार की ओर से गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है बल्कि यह है कि कभी तो प्रस्ताव आता है कि रात भर इस हाउस को चलाना चाहिये, लेकिन चूंकि अब प्रस्ताव वापस ले लिया गया है तो सम्भव है कि गुड सेन्स प्रिवेल करने लगा है अब वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

मैं यह संशोधन इसलिये रख रहा हूं कि विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मसले होते हैं और उनमें ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके लिये परिनियम बनाने पड़ते हैं। यहां जितने विश्वविद्यालय हैं सबमें इसी प्रकार का प्राविधान है। लेकिन माननीय मंत्री जी उसके लिये कह देते हैं कि यह अद्वितीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और यहां पर उसको कैसे रखा जा सकता है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० के पेज १६२६ पर देखें :—

"Statutes, ordinances and regulations mean statutes, ordinances and regulations for the time being enforced."

तो जो हमारी परिभाषा है वह इसमें भी दी हुई है।

इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी अगर आप देखें तो यह परिभाषा दी हुई है :—

"*Ordinance*—Subject to the provisions of this Act or the Statutes to be provided for by Ordinance and for any other matter which the Executive Council considers it feasible to provide for by Ordinance."

तो जैसा मैंने कहा कि आन्तरिक मसले ऐसे आ जाते हैं कि जिनके कारण कई दफा नियमों और परिनियमों के बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी चीज का ख्याल रखते हुये मैंने यह छोटा-सा संशोधन रखा है और मुझे उम्मीद है कि वे मेरी वजूहात से सहमत होंगे और इन शब्दों को जोड़ने के सम्बन्ध में अपना मत प्रदान करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि अगर जरूरत पड़े तो आर्डिनेन्स निकाला जाय उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यहां पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं। जो अन्तर है वह यह है कि वहां दूसरी यूनिवर्सिटीज में बड़ी बाडी है कोर्ट। उसके जो स्टेट्यूट्स बने हुये हैं उसके अनुसार कोर्ट साल में एक दफा मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर बीच में किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या किया जाय। फैसला यह हुआ कि तमाम रिपोर्ट्स और ऐक्ट आदि का देख कर कि अगर यूनिवर्सिटी को बीच के समय में जरूरत पड़ जाय तो एक्जीक्यूटिव काउन्सिल आर्डिनेन्स निकाल सकती है। लेकिन यहां इस प्रकार की कोई बड़ी बाडी नहीं है। यहां एक छोटा बोर्ड है जो हर दो, तीन महीने बाद मिला करेगा और उसकी मीटिंग जब चाहे बुलायी जा सकती है। तो जो काम एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सिपुर्द है आर्डिनेन्स बनाने का, वही काम स्टेट्यूट्स बनाने का यहां बोर्ड के सिपुर्द है और इसीलिए यहां आर्डिनेन्स और स्टेट्यूट्स में कोई फर्क नहीं है। जहां तक चांसलर की कंसेंट का सवाल है उसमें कोई देर नहीं लगती। अगर बोर्ड कोई स्टेट्यूट्स

बनाता है और उस पर वह गवर्नर की एसेंट लेना चाहे तो वह उतनी ही जल्दी मिल जायगी जितनी कि दूसरी यूनिवर्सिटियों को आर्डिनेन्सेज पर मिलती है। इसलिये कोई फर्क इनमें नहीं किया गया है। फर्क केवल यह है कि जहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल आर्डिनेन्स निकाल सकती है वहां यह बोर्ड स्टैट्यूट्स बना देगा और यह उतना ही आसानी से बन जायेंगे जितनी आसानी से कि आर्डिनेन्स निकाल कर काम किया जा सकता है। इसलिये इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान मैं उन सभी कमीशनों, कमेटियों आदि की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत सोच विचार कर तीन प्रकार के कानून की व्यवस्था यूनिवर्सिटी के इंटरनल लेजिस्लेशन के संबंध में की है। चाहे वह ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हों अथवा इंडियन, उन सब में आर्डिनेन्स, स्टेट्यूट्स और रेगुलेशन्स की व्यवस्था है। इस सदन ने जितने विधेयक यूनिवर्सिटीज के लिये पारित किये हैं उन सब में इनकी व्यवस्था है। क्यों सदन ने इस प्रकार की व्यवस्था की, यह सोचने लायक बात है। आज माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था क्यों चाह रहे हैं और यह नया डिपार्चर क्यों किया जा रहा है इसको समझाने की जिम्मेदारी उनकी है। उनका कहना यह है कि चूंकि यहां कोई कोर्ट नहीं है इसलिये आर्डिनेन्स की व्यवस्था रखने की यहां कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कोर्ट की मीटिंग बुलाने में समय लगता है और जरूरत पड़ने पर आर्डिनेन्स बीच में कर लिया जाता है और यहां बोर्ड की मीटिंग किसी भी समय बुला कर स्टैट्यूट्स बना लिये जा सकते हैं इसलिये यहां आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट तो स्टैट्यूट्स बनाता है और आर्डिनेन्स एक्जीक्यूटिव काउन्सिल पास करती है। उसी का नाम यहां बोर्ड आफ मैनेजमेंट रख दिया गया है। एक्जीक्यूटिव काउन्सिल स्टैट्यूट्स नहीं बनाती। यहां पर भी जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट है वह एकेडेमिक काउन्सिल की सिफारिस पर स्टैट्यूट्स बना सकता है। एकेडेमिक काउन्सिल को भी इस तरह की अथारिटी है कि वह किसी भी अथारिटी के बारे में स्टैट्यूट्स प्रपोज कर सकती है। एकेडेमिक मैटर्स में जितने भी स्टैट्यूट्स होंगे उनको लाजमी तौर पर एकेडेमिक काउन्सिल की तरफ से ही आना चाहिये। तो मुख्य बाडी हैं एकेडेमिक काउन्सिल और बोर्ड आफ मैनेजमेंट और इनके बीच में स्टैट्यूट्स बनेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि यह आर्डिनेन्स ऐसे नहीं हैं कि जैसे यहां गवर्नर निकालते हैं। नाम केवल एक है। आर्डिनेन्स फैक्टरीज भी होती हैं। तो इस शब्द का मतलब अगर बारूद से लगाया जाय, तो ऐसा नहीं है। आर्डिनेन्स का मतलब यहां केवल उस कानून से है कि जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल लेजिस्लेशन के लिये हों।

श्री मोहनलाल गौतम—दोनों की स्पेलिंग एक ही हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—स्पेलिंग ऐसे ही एक हैं जैसे कि एक मिनिस्टर सरकार का होता है और वही मिनिस्टर शब्द गिरजाघर के पादरी के लिए भी प्रयोग में आता है। तो आर्डिनेन्स बनाने की शक्ति एक्जीक्यूटिव कौन्सिल को है और स्टैट्यूट्स वह फंडामेंटल ला है जिसको कि रिपील चांसलर भी कर सकता है, लेकिन आर्डिनेन्स वह है कि जिसमें चांसलर इंटरफियरेंस नहीं कर सकता, जैसे एडमीशन आफ स्टूडेंट्स के संबंध में है। रेगुलेशन मीटिंग यूनिवर्सिटी आदि की व्यवस्था को तय करने के लिये बनते हैं। सैडलर कमीशन, संपूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट, राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट, सब की मेन रेकमेंडेशन यही है। तो इस यूनिवर्सिटी को इससे क्यों वंचित किया जा रहा है। श्रीमन्, कभी-कभी तो मुझे ऐसा शंका होने लगती है कि किस प्रकार यह नवीन यूनिवर्सिटी पनप पायेगी जब कि हम इसको इतनी फ्रीडम भी नहीं दे रहे हैं कि वह अपने कानून स्वयं बना सके। इसका परिणाम वह समझ लें। जिस प्रकार ऐक्ट अलग होता है और रूल अलग, कल को कोई मिनिस्टर अगर कहने लगें कि ऐक्ट और रूल में कोई फर्क नहीं, तो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बड़ा अच्छा है, सारा बलवा जाय, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी का काम खत्म हो जाय, लेकिन संसार के किसी भी लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं हुआ कि यह डिस्टिंक्शन खत्म हो गया हो वही यहां पर हो रहा है। स्टेट्यूट्स और आर्डिनेन्स को एक ही समझना ऐसा ही है कि जैसे ऐक्ट्स और रूल्स को एक समझना। आप इस मामले को में निमंत्रण देता हूं मंत्री जी को कि किसी भी शिक्षा विशारद के पास भेज दीजिये जो लेजिस्लेशन का जानकार हो, और आप उसकी राय ले लें। अगर यह मामला एग्रीकल्चर विभाग के पास न होकर शिक्षा विभाग के पास होता या आप उसकी राय लें तो वह यही कहेंगे कि आर्डिनेन्स अवश्य रहने चाहिये।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेता। मैं पुनः मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने संशोधन के बारे में बहुत विस्तार से कहा है और मैं भी पहले बता चुका हूं। इसमें आर्डिनेन्स को जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है ताकि यूनिवर्सिटी के आंतरिक मामलों का सुचारु रूप से संचालन हो सके। इतना ही मुझे कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री नारायणदत्त जी का भाषण सुन कर बहुत निराशा हुई। उनके भाषण अक्सर बहुत समझदारी के होते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ थक गये हों। जब आर्डिनेन्स और आर्डनेन्स में उन्होंने फर्क किया तो मुझे डिक्शनरी मंगाने की जरूरत पड़ गयी। एक की स्पेलिंग में डी आई है और दूसरे में केवल डी है। तो मैं उनका यह कन्फ्यूजन दुरुस्त करना चाहता हूं। आर्डनेन्स फैक्टरी वाले में आई नहीं है, लेकिन आर्डिनेन्स जो निकलते हैं उनमें आई है।

उन्होंने कहा कि सभी युनिवर्सिटीज में आर्डिनेन्स की व्यवस्था है, इससे क्यों नहीं हो रही? मैं फिर दोहराता हूं और अगर अपनी बात पहले न समझा पाया हूं तो अफसोस करता हूं अपनी काबलियत की कमी पर। स्टेट्यूट्स कोर्ट बनाते हैं और कोर्ट साल में एक दफा मिलता है? और क्योंकि वह साल में एक बार मिलता है, इस बीच में अगर कोई जरूरत पड़ जाय तो एक्जीक्यूटिव काउन्सिल बना सकती है ताकि अगर कोई इमरजेन्सी बीच में पैदा हो जाय तो उसको पूरा किया जा सके और जो आर्डिनेन्स बना हुआ है वह .....

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह किस ऐक्ट में लिखा हुआ है, दिखा दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम--

"All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Court, and shall be considered by the Court at its next succeeding meeting."

यह लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट का क्लाज ३३(३) है। तो मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है, जैसे वे सोचते हैं वैसी बात नहीं है। कोर्ट एक बड़ी बाडी नहीं है बल्कि एक छोटी बाडी है जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के वजन पर है और इसलिये यहां यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स को बनाने का जो अधिकार है वही बड़ी बाडी को है और आर्डिनेंस बनाने का अधिकार छोटी बाडी को है। क्योंकि ये दोनों अधिकार एक ही बाडी को हैं, इसलिये दोनों को अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। स्टेट्यूट्स बोर्ड बनायेगा, आर्डिनेंस भी बोर्ड बनायेगा। इन सब बातों का हवाला देते हुये माननीय सदस्य एक बड़ी भारी बात भूल गये कि इन सब चीजों के साथ उसमें एक बात साफ है कि यूनिवर्सिटी की एक बड़ी भारी बाडी है जो साल में एक दफा मिलती है, तो साल के बीच में एक मीटिंग दो मीटिंग की जरूरत पड़ सकती है इसलिये छोटी बाडी एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अधिकार है कि वह आर्डिनेंस बनावे। एक्जीक्यूटिव कौंसिल को स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार है और आर्डिनेंस बनाने का भी अधिकार है। इसलिये दोनों में

अन्तर रखने की जरूरत नहीं है । यह मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की और फिर समझा रहा हूं । इसके बाद भी वे नहीं समझे तो मेरी मजबूरी है और मेरा दुर्भाग्य है और मेरा खयाल यह है कि संशोधन को वापस होना चाहिये, क्योंकि यह संशोधन रिडंडेंट है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति १ में शब्द "परिनियमों" और शब्द "तथा" के बीच शब्द "आर्डिनेंस" रख दिया जाय ।

तथा

परिभाषा निम्न रूप में रख दी जाय :

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमनों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

विश्वविद्यालय

३---(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उप-कुलपति तथा बोर्ड (Board) और विद्वत् परिषद् के प्रथम सदस्य और वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश कृषि-विश्व-विद्यालय" के नाम से एक निगमित संस्था संघटित किये जाते हैं ।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "प्रथम उप-कुलपति" निकाल दिये जांय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो बहस हुई है, उस सिलसिले में कई बार कहा जा चुका है, बहुत से मित्रों ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय में जो आप नया प्रयोग कर रहे हैं और जिन लोगों की चर्चा समय-समय पर आया करती है, राधाकृष्णन रिपोर्ट की चर्चा आती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में चांसलर गवर्नर को न रखा जाय बल्कि इलेक्टेड चांसलर रहे । फिर अगर इलेक्टेड लोग होते हैं तो वाइस-चांसलर की कोई बात नहीं रह जाती है, बड़ी साफ बात है । जो नया पैटर्न आप खोलना चाहते हैं उसमें राधाकृष्णन् साहब ने साफ कहा है और हाउस का भी मत है कि ज्यादा प्रजातांत्रिक रूप बनाने के लिये इस यूनिवर्सिटी का और अभी मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कोई बहुत सेरीमोनियल बात करने के लिये नहीं बल्कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और एक नया ट्रेडीशन जिस तरह नये प्रकार का विश्वविद्यालय प्रदेश में खोल रहे हैं और एक ट्रेडीशन कायम कर रहे हैं, कायम करें और वही व्यक्ति जो वाइस चांसलर हो वही चांसलर हो । सबकी यही इच्छा भी है । तो विश्व-विद्यालय की जो प्रबन्ध समिति है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट जिसको कहने में मंत्री जी को अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रजातान्त्रिक बनाने के लिये, ज्यादा उपयोगिता का बनाने के लिये

[श्री गौरी शंकर राय]

आवश्यक है कि वह व्यक्ति इलेक्टेड हो और जिस लाभ का आप इस विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं उस दृष्टि से वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी का चांसलर हो और बराबर उसकी सेवायें इस विश्वविद्यालय के लिये उपलब्ध रहें। मैं समझता हूं मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी, आप अब कल भाषण देंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये १२ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५८) के ८वें शुक्रवार के लिए श्री राम सुन्दर पांडे द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या १३८ का उत्तर

आजमगढ़ जिले के नि १९५६-५७, १९५७-५८ १९५६-५७ १५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित बनराशि हरिजन कूप एवं गृह बकालोनी निर्माण हेतु हरिजन सहायक तथा नियोजन विभागों द्वारा दी गई :

(अ) हरिजन कूप निर्माण

नाम विकास खंड	हरिजन सहायक विभाग का मद		नियोजन विभाग का मद		कुल योग
	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५७-५८	
१	२	३	४	५	६
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१ घोसी			२५,२९०	२५,६९५	५०,९८५
२ लालगंज	..	..	६,२६८	५,४८४	११,७५२
३ दोहरी घाट	..	..	२,२६९	१०,१७७	१२,४४६
४ बड़राव	..	..	६,४४२	..	६,४४२
५ कोपागंज	..	..	१,५२८	६३०	२,१५८
६ मुहम्मदाबाद	१,३५०	..	..	..	१,३५०
७ रानी की सराय ..	९५०	४५०	..	..	१,४००
८ फूलपुर..	१,०००	४५०	..	..	१,४५०
९ अजमतगढ़	३००	४५०	..	..	७५०
योग ..	३,६००	१,३५०	४१,७९७	४१,९८६	८८,७३३

(ब) हरिजन गृह तथा कालोनी निर्माण या मरम्मत

१ घोसी	..	..	..	..	..
२ लालगंज	..	..	..	..	..
३ दोहरी घाट	..	२,५००	..	..	२,५००
४ बड़राव	..	९००	..	..	९००
५ कोपागंज	..	१,०००	..	..	१,०००
६ मुहम्मदाबाद	..	१,५००	..	..	१,५००
७ रानी की सराय ..	..	..	..	..	..
८ फूलपुर..	..	१,८००	..	..	१,८००
९ अजमतगढ़	..	२,०००	..	..	२,०००
योग ..	..	९,७००	..	..	९,७००

(अ) हरिजन कूप निर्माण

२ छाया खंड	हरिजन सहायक विभाग का मद		नियोजन विभाग का मद		कुल योग
	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५६–५७	१९५७–५८	
१	२	३	४	५	६
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१ तरवरपुर	१,८५०	४५०	..	..	२,३००
२ पल्हनी	२,७५०	४५०	..	..	३,२००
३ मिर्जापुर	१,७००	५५०	..	..	२,२५०
४ मुहम्मदपुर	..	..	..	..	..
५ शाहिरौला	२,१००	४५०	..	..	२,५५०
६ कोयलसा	३,०००	४५०	..	..	३,४५०
७ मारछीनगंज	..	३५०	..	..	३५०
८ पवई	..	३५०	..	..	३५०
९ कातरौलिया	१,३५०	४५०	..	..	१,८००
१० महाराजगंज	१०,४५०	४५०	..	..	१०,९००
११ गिलरियागंज	९००	७००	..	..	१,६००
१२ हरैया ..	४५०	४५०	..	..	९००
१३ जहानागंज	२,६५०	४५०	..	..	३,१००
१४ रानीपुर	..	७००	..	..	७००
१५ सढ़ियाव	..	४५०	..	..	४५०
१६ पल्दहा..	१,०५०	४५०	..	..	१,५००
१७ ठेकमा ..	२,२००	४५०	..	..	२,६५०
१८ तरवा ..	१,९००	४५०	..	..	२,३५०
१९ मेहनगर	३,०५०	४५०	..	..	३,५००
२० फतेहपुर मंडाव ..	४,३५०	३५०	..	..	४,७००
योग ..	३९,७५०	८,८५०	..	..	४८,६००
कुल योग १ .. और २ ..	४३,३५०	१०,२००	४१,७९७	४१,९८६	१,३७,३३३

(ब) हरिजन गृह.....३.....

(ब) हरिजन गृह तथा कालोनी निर्माण या मरम्मत

१	२	३	४	५	६
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१ तरवरपुर	..	..	..	..	..
२ पल्हनी..	..	४,६००+ (रामपुर जाति कालोनी)	१०,०००	..	१४,६००
३ मिर्जापुर	..	७००	..	..	७००
४ मुहम्मदपुर	..	..	..	..	..
५ अहिरौला	..	१,८००	..	..	१,८००
६ कोयलसा	..	१,३००	..	..	१,३००
७ मारछीनगंज	..	६००	..	..	६००
८ पवई ..	१००	६००	..	..	७००
९ अतरौलिया	..	६००	..	..	६००
१० महाराजगंज	..	१,५००	..	..	१,५००
११ बिलरियागंज	..	१,५००	..	..	१,५००
१२ हरया ..	..	१,२५०	..	..	१,२५०
१३ जहानागंज	..	१,२५०	..	..	१,२५०
१४ रानीपुर	..	२५०	..	..	२५०
१५ सढ़ियाव	..	७५०	..	..	७५०
१६ परदहा..	..	१,२५०	..	..	१,२५०
१७ ठेकमा ..	..	५००	..	..	५००
१८ तरवा ..	..	..	..	..	..
१९ मेहनगर	..	८५०	..	..	८५०
२० फतेहपुर मंडाव ..	..	१,१५०	..	..	१,१५०
योग ..	१००	३०,४५०	..	..	३०,५५०
कुल योग १ और २ ..	१००	४०,१५०	..	..	४०,२५०

टिप्पणी.....४.....

टिप्पणी—उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लालगंज विकास खंड में रहने वाले हरिजनों के गृह निर्माण तथा कूप निर्माण हेतु हरिजन सहायक विभाग से निम्नलिखित धन वित्तीय वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में दिया गया है—

नाम विकास खंड	कूप निर्मण			गृह निर्माण		
	१९५६–५७	१९५७–५८	योग	१९५६–५७	१९५७–५८	योग
लालगंज ..	१२,०००	१२,७५०	२४,७५०	३७,५००	३७,५००	७५,०००

किन्तु उपरोक्त धनराशि में से क्रमशः कूपनिर्माण और गृह निर्माण पर १२,००० और ३७,५०० रुपया २८ मार्च, सन् १९५८ ई० तक वितरित हुआ है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर।)

तालिका

जिला	१ जनवरी, सन् १९५८ ई० से १५ अगस्त, सन् १९५८ ई० तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	जांच की गई शिकायतों की संख्या	सही पाई गयी शिकायतों की संख्या
शाहजहांपुर ..	१००	८९	३६

सही पाई गई शिकायतों पर निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई और दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंडित किया गया :

क्रम-संख्या	सजायें जो दी गई हैं	कर्मचारी जो दंडित किये गये हैं
१	बरखास्त ..	.. ५ कानिस्टिबिल
२	डिस्चार्ज ..	.. २ क्लर्क
३	इन्टेग्रिटी सार्टिफिकेट रोका गया	.. २ हेड कान्स्टेबिल
४	बद अहमाली ..	.. १ सब-इन्स्पेक्टर १ हेड कान्स्टेबिल
५	चेतावनी दी गई ..	.. ७ सब-इन्स्पेटर ३ कान्स्टबिल १ ऐग्रीकल्चर सुपरवाइजर १ क्लर्क
६	अर्दली रूम की सजा	.. २ हेड कानिस्टेबिल ११ कान्स्टेबिल
७	तनज्जुल ..	.. ४ कान्स्टेबिल
८	तरक्की रोकी गई ..	.. ५ कान्स्टेबिल

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर।)

अपराध	घटनाओं की संख्या	अनुसंधान किया गया	चालान हुआ	सजा	रिहा	बिचारधीन न्यायालय में	अनुसंधान जारी है	अनुसंधान नहीं हुआ	लापता होने के कारण अंतिम रिपोर्ट	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
कत्ल	४	४	४	२	..	२	..	..	..	२९
राहजनी	५	५	२	१	१	..	..	..	३	५
चोरी	४५	४४	१४	१	..	१३	१	१	२९	२२

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर।)

परिशिष्ट "क"

(१) पहली जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक निम्नलिखित १० पुस्तकें हिन्दी समिति ने प्रकाशित की—

१—संस्कृत आलोचना,
२—संस्कृत का दार्शनिक विवेचन,
३—स्वतंत्र दिल्ली,
४—पश्चिमी दर्शन,
५—भारतीय ज्योतिष,
६—भारतीय दर्शन,
७—हलायुधकोष,
८—दर्शन संग्रह,
९—जीव जगत्,
१०—राइफल।

(२) १९५६–५७ में समिति ने पुरस्कारार्थ ३८३ पुस्तकें प्राप्त कीं और उनमें से ११७ पुस्तकों पर ५७,६०० पये की धनराशि पुरस्कार में दी गयीं।

(३) १९५७–५८ में ४५० पुस्तकें पुरस्कारार्थ प्राप्त हुईं, इनमें से १२६ पुस्तकों पर ५६,७०० रुपये की धनराशि ुरस्कार स्वरूप दी गयी।

(४) १५ मई, १९५८ तक पुरस्कार के लिये ३५६ पुस्तकें प्राप्त हुईं जो विचाराधीन हैं।

(५) हिन्दी समिति ने २०० मौलिक तथा अनुदित पुस्तकों के सम्बन्ध में निर्णय लिये तथा लेखकों एवं अनुवादकों की संस्तुति की।

(६) पुराणकोष के सम्बन्ध में योजना बनाई गई साहित्य कोश का लेखन व सम्पादन का आंशिक कार्य किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर।)

परिशिष्ट "ख"

हिन्दी समिति के सदस्यों के नाम

१—डा० रामप्रसाद त्रिपाठी (अध्यक्ष)
२—डा० धीरेन्द्र वर्मा
३—डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
४—डा० दीनदयाल गुप्त
५—श्री मैथिलीशरण गुप्त
६—श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी
७—डा० दीवानचन्द
८—डा० मुरलीधर जोशी
९—श्री अवधविहारी लाल
१०—श्री राजाराम शास्त्री
११—श्री गोपालचन्द्र सिन्हा
१२—डा० निहालकरण सेठी
१३—डा० रामकुमार सक्सेना
१४—डा० एस० बी० सिंह
१५—डा० ब्रजमोहन
१६—डा० सत्यप्रकाश
१७—श्री भगवतीशरण सिंह (सचिव)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर।)

परिशिष्ट "ग"

हिन्दी समिति द्वारा अब तक की प्रकाशित पुस्तकें

१—भारतीय ज्योतिष का इतिहास
२—तत्त्व ज्ञान
३—हिन्दू गणित का इतिहास भाग—१
४—अरस्तू की राजनीति
५—उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास (हिन्दी)
६—डवलपमेंट आफ बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी)
७—सामाजिक पाषाण
८—संस्कृत आलोचना
९—संस्कृत का दार्शनिक विवेचन
१०—स्वतंत्र दिल्ली
११—पश्चिमी दर्शन
१२—भारतीय दर्शन
१३—भारतीय ज्योतिष
१४—जीव जगत्
१५—दर्शन संग्रह
१६—राइफल
१७—कोयला
१८—संगीत शास्त्र
१९—कला और आधुनिक प्रवृत्तियां
२०—मृत्तिका उद्योग
२१—हलायुध कोष

सके अतिरिक्त पांच पुस्तकें इस समय प्रेस में हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२४ पर।)

सूची चालान किये गये व्यक्तियों का नाम व पता

१—थाना तुलसीपुर	१—श्रीराम पुत्र राम आसरे भुर्जी, ग्राम बालापुर, थाना तुलसी पुर, जिला गोंडा।
२—थान पुर	१—नानमन, पुत्र राम शंकर, ब्रा० ग्राम अहीरनपुरवा मजरे दुल्लो-पुर बनकटवा थाना थानेपुर, जिला गोंडा।
	२—जगदीश, पुत्र अछबर, ब्रा०, ग्राम अहीरन पुरवा मजरे दुल्लो-पुर बनकटवा, थाना थानेपुर।
	३—जइई, पुत्र जोत नरायन, ब्रा०, ग्राम अहीरनपुरवा मजरे दुल्लो पुर बनकटवा, थाना थानेपुर।
३—कोतवाली	१—रामचन्द्र, पुत्र बजरंगी, ब्रा०, ग्राम गंगापुर, थाना कोतवाली।
	२—हरीशचन्द्र, पुत्र बजरंगी, ब्रा० ग्राम गंगापुर, थाना कोतवाली।
	३—बजरंगी, पुत्र प्राननाथ, ब्रा० ग्राम गंगापुर थाना कोतवाली।
४—छपिया	१—रमेश्वर, पुत्र घिरीनाथ, कुर्मी, ग्राम पवार जोतमजरे तेजपुर, थाना छपिया, जिला गोंडा।
	२—कुमारे, पुत्र भगवन्त कुर्मी, ग्राम हथिनी, थाना छपिया, गोंडा।
५—कोतवाली	१—राम नेवाज, पुत्र लक्षमन, ब्रा०, ग्राम पिपरा, थाना कोतवाली, जिला गोंडा।
	२—रामपत, पुत्र दरसन, ब्रा०, ग्राम चौरी, थाना कोतवाली।
	३—विन्देश्वरी, पुत्र गंगाप्रसाद, ब्रा० ग्राम चौरी, थाना कोतवाली।
	४—जगन्नाथ, पुत्र नरायन दत्त, ब्रा०, ग्राम घरवास जोत।
	५—बांके, पुत्र नरायनदत्त, ब्रा०, ग्राम वरिया, थाना कोतवाली।
	६—देऊ उपनाम देव प्रसाद, ब्रा० , पुत्र माता प्रसाद ब्रा०, ग्राम किनकी, थाना कोतवाली, गोंडा।
	७—राम कृपाल, पुत्र राम सुधि, ब्रा०, ग्राम किनकी, कोतवाली।
६—कोतवाली	१—सियाराम, पुत्र बालक राम, ब्रा०, ग्राम छिऊपुर, थाना कोतवाली, गोंडा।
	२—ननकऊ, पुत्र बालकराम, ब्रा० ग्राम छिऊपुर, थाना कोतवाली गोंडा।
	३—चट उपनाम रामकरन, पुत्र श्री भूषन, ब्रा० ग्राम छिऊपुर थाना कोतवाली, गोंडा।
	४—तिलक राम, पुत्र राम प्यारे ब्रा०, ग्राम तुलसीराम पुरवा, थाना पयागपुर, जिला बहराइच।
	५—जगन्नाथ, पुत्र बैजनाथ, ब्रा०, ग्राम तुलसीराम पुरवा, थाना पयागपुर, जिला बहराइच।
	६—बैजनाथ, पुत्र दरिहारे, ब्रा० ग्राम तुलसीराम पुरवा, थाना पयागपुर, जिला बहराइच।
	७—बांके, पुत्र राम प्यारे, ब्रा० ग्राम तुलसीराम पुरवा, थाना पयागपुर, जिला बहरा च।
	८—मुनई, पुत्र दशरथ लाल ब्रा०, ग्राम फरेंदा शुकुल, थाना इटिया थोक, जिला गोंडा।

७—थाना वजीर गंज

१—राम नरायन सिंह पुत्र रघुपति सिंह, ग्राम नगई मजरे चन्दापुर, थाना वजीरगंज, जिला गोंडा।

२—वीरेन्द्र सिंह पुत्र मुनेश्वर बक्स सिंह, ग्राम चन्दापुर, थाना वजीरगंज, जिला गोंडा।

३—छोटे लाल पुत्र बुधई अहीर, ग्राम चन्दापुर, थाना वजीरगंज।

४—अनन्दी पुत्र निरहू अहीर, ग्राम चन्दापुर, थाना वजीरगंज।

८—थाना नवाबगंज

१—मटर पुत्र बालरूप अहीर, ग्राम दुर्गागंज माझा, थाना नवाबगंज।

२—बच्चू, पुत्र बालरूप अहीर, ग्राम दुर्गागंज माझा, थाना नवाबगंज

३—देव नरायन, पुत्र बालरूप अहीर, ग्राम दुर्गागंज माझा, थाना नवाबगंज।

४—रामसेवक, पुत्र द्वारका अहीर, ग्राम दुर्गागंज माझा, थाना नवाबगंज।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर।)

प्रतापगढ़ जिले में सन १९५६ व १९५७ में कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी तथा बलवों की संख्या

सन्	कत्ल	डकैती	चोरी	राहजनी	बलवे
		नकबजनी धारा ३७९, ३८० योग			
१९५६	१८	८	३१३	२२८	५४१	४	७९
१९५७	२०	१७	३४०	२११	५५१	५	७९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर।)

परिशिष्ट 'अ'

जिला आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सहायता-प्राप्त पुस्तकालयों की सूची

क्रम-संख्या	पुस्तकालय का नाम	सहायता की राशि १९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
		रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१	श्री गांधी पुस्तकालय, इब्राहीमपुर ..	३६	..	..	..
२	लोकमान्य पंचायती पुस्तकालय, बोबीपुर ..	३६	३६	..	..
३	मधुर अम्बिका पुस्तकालय, पकड़ी	..	..	३६	३६
४	जनता पुस्तकालय, महुआपुर, मेहनाजपुर ..	३६	३६	३६	३६
५	जनता पुस्तकालय, सोसवां करहा ..	३६	३६	३६	६०
६	श्री भगवान पुस्तकालय, भित्तूपुर ..	..	३६	३६	३६
७	इस्मादुल मुसलमीन, जहानागंज बाजार ..	..	..	३६	३६
८	श्री नेहरू पुस्तकालय नई पी० नई	..	..	३६	३६
९	श्री जगमोहन पुस्तकालय, मझगवां ..	..	..	३६	३६
१०	श्री तिकल पुस्ताकलय, तिड़सड़ा मेहनगर ..	३६	३६	३६	६०
११	सुहृदय पुस्तकालय, टंडवा	..	३६	३६	६०
१२	महात्मा गांधी पुस्तकालय, इब्राहीमपुर गहजी ..	..	३६	३६	३६
१३	ग्राम सुधार पुस्तकालय, सिपाह	३६	३६	३६	३६
१४	श्री सुभाष पुस्तकालय, ठाकुरगांव ..	३६	३६	३६	३६
१५	बीर पुस्तकालय, भोजपुर, लहुवाकलां	३६	३६	६०	६०
१६	नवयुवक संघ लाइब्रेरी, रामपुर धनौली ..	३६	३६	३६	३६
१८	राजाराम पुस्तकालय, पिपरहा	३६	३६	३६	६३
१७	श्री ग्राम्य पुस्तकालय, बौबापुर ठेकमा ..	३६	३६	६०	६०
१९	नाथ पुस्तकालय, तुलसीपुर	..	..	३६	३६
२०	नवयुवक पुस्तकालय, रामपुर सोहंड़ ..	..	..	..	३६
२१	श्री कुबेर पुस्ताकलय, देवराडीह	३६	३६	६०	६०
	योग ..	४३२	५०४	७२०	८२८

अध्यक्ष विधान सभा

परिशिष्ट ब'

जिला आजमगढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित सहायता-प्राप्त पुस्तकालयों की सूची

पुस्तकालय का नाम	सहायता की राशि			
	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१---मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़	२००	३५०	..	२५०
२---अग्रवाल सेवक मंडल पुस्तकालय, आजमगढ़ ..	..	..	३००	२५०
३---नगरपालिका पुस्तकालय, मऊनाथ भंजन ..	..	..	३००	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर।)

तालिका

जिला एटा, फर्रुखाबाद व इटावा में सन् १९५७ में तथा १९५८ में अगस्त तक हुई धारा ३६३, ३६६ व ३६८ भा० दं० वि० की घटनाओं का विवरण :

	१९५७	१९५८ में (अगस्त तक)
१--एटा	१३	६
२--फर्रुखाबाद	१०	५
३--इटावा	२५	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर ।)

प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर में उल्लिखित सूची

(१) ग्राम करेंगा में २७ अगस्त, १९५८ को लगभग ३ बजे प्रातः डकैती पड़ी, इसमें दो पुरुष तथा एक स्त्री घायल हुए ।

(२) ग्राम बिजरोठा (मजरा टपरियन) में २६ अगस्त, १९५८ को रात १० व ११ बजे के बीच डकैती पड़ी, जिसमें पांच व्यक्ति मामूली घायल हुए ।

(३) ग्राम भरतपुरा में २७ फरवरी, १९५८ को १२ व १ बजे बीच रात्रि में डकैती पड़ी, इसमें कोई घायल नहीं हुआ ।

(४) ग्राम पठागौरी में कोई डकैती नहीं पड़ी ।

अवर सदस्य विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर।)

तालिका 'अ'

पुरुष राजकीय नार्मल स्कूलों में शासन द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों की संख्या

(१)	मेरठ (हापुड़)	३
(२)	बुलन्दशहर (खुर्जा)	५
(३)	अलीगढ़ (हाथरस)	५
(४)	मथुरा (महावन),	५
	वृन्दावन	१
(५)	मैनपुरी	५
(६)	एटा (गंजडूंडवारा)	४
(७)	बिजनौर	५
(८)	मुरादाबाद	३
(९)	बरेली	१
(१०)	बदायूं	४
(११)	शाहजहांपुर	५
(१२)	नैनीताल (भीमताल)	५
	(तल्लीताल)	१
(१३)	पौड़ी-गढ़वाल	३
(१४)	टिहरी-गढ़वाल	४
(१५)	फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)	५
(१६)	इटावा	४
(१७)	कानपुर (नरवल)	४
(१८)	फतेहपुर	५
(१९)	इलाहाबाद (मऊआइमा)	५
(२०)	बांदा (कर्वी)	४
(२१)	हमीरपुर (चरखारी)	२
(२२)	जालौन (उरई)	१
(२३)	वाराणसी (वाराणसी)	१०
	(ज्ञानपुर)	५
(२४)	मिर्जापुर	१०
(२५)	जौनपुर (केराकत)	१०
(२६)	गाजीपुर (सेदपुर)	१०
(२७)	बलिया	१०
(२८)	लखनऊ (निगोहां)	६
	(सिसेंडी)	५
(२९)	हरदोई	५
(३०)	सुल्तानपुर	६
(३१)	उन्नाव	३
(३२)	सीतापुर (बिसवां)	५
(३३)	लखीमपुर-खीरी	३
(३४)	रायबरेली	५
(३५)	बेरिया (पडरौना)	१०
(३६)	बस्ती	१०
(३७)	आजमगढ़	१०
(३८)	गोंडा (बलरामपुर)	१०
(३९)	बहराइच	९
(४०)	अल्मोड़ा (ताड़ीखेत)	६
(४१)	प्रतापगढ़ (दिलीपुर)	५
(४२)	गोरखपुर (बांसगांव)	७

बालिका राजकीय नार्मल स्कूलों में शासन द्वारा मनोनीत की गई छात्राओं की संख्या

(१)	मेरठ	५
(२)	बुलन्दशहर	४
(३)	आगरा	५
(४)	बदायूं	५
(५)	अल्मोड़ा	१
(६)	इलाहाबाद	५
(७)	मिर्जापुर	५
(८)	गोरखपुर	५
(९)	सीतापुर	५
(१०)	फैजाबाद	७
(११)	उन्नाव (नया)	६

तालिका 'ब'

अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो प्रत्येक जिले से प्राप्त हुये—

पुरुष अभ्यर्थी

(१)	आगरा	४
(२)	लाहाबाद	४४
(३)	आजमगढ़	८२
(४)	अल्मोड़ा	७
(५)	अलीगढ़	२३
(६)	बुलन्दशहर	१२
(७)	बरेली	२
(८)	बिजनौर	११
(९)	बदायूं	७
(१०)	बांदा	५

(११)	बलिया	३९
(१२)	बाराबंकी	४
(१३)	बस्ती	१९४
(१४)	बहराइच	२७
(१५)	देहरादून	..
(१६)	देवरिया	३४
(१७)	इटावा	८
(१८)	एटा	११
(१९)	फर्रुखाबाद	२०
(२०)	फतेहपुर	२१
(२१)	फैजाबाद	१२
(२२)	गाजीपुर	१८
(२३)	गोरखपुर	६
(२४)	गढ़वाल	१५
(२५)	गोंडा	१३
(२६)	हमीरपुर	७
(२७)	हरदोई	३४
(२८)	झांसी	..
(२९)	जालौन	२
(३०)	जौनपुर	१९
(३१)	कानपुर	३०
(३२)	खीरी	१५
(३३)	लखनऊ	२७
(३४)	मुजफ्फरनगर	..
(३५)	मेरठ	१०
(३६)	मथुरा	७
(३७)	मैनपुरी	३८
(३८)	मुरादाबाद	४
(३९)	मिर्जापुर	३०
(४०)	नैनीताल	६
(४१)	पीलीभीत	..
(४२)	प्रतापगढ़	१२
(४३)	रायबरेली	१३
(४४)	रामपुर	..
(४५)	सहारनपुर	..
(४६)	शाहजहांपुर	२८
(४७)	सीतापुर	२६
(४८)	सुल्तानपुर	४३
(४९)	टिहरी-गढ़वाल	६
(५०)	उन्नाव	११
(५१)	वाराणसी	५६

महिला अभ्यर्थी

(१)	बुलन्दशहर	१
(२)	आगरा	४
(३)	इलाहाबाद	५
(४)	आजमगढ़	२
(५)	अलीगढ़	३
(६)	बरेली	१
(७)	बदायूं	१
(८)	बलिया	३
(९)	फैजाबाद	२
(१०)	बस्ती	१
(११)	फर्रुखाबाद	१
(१२)	गाजीपुर	२
(१३)	गोरखपुर	३
(१४)	पौड़ी-गढ़वाल	१
(१५)	हमीरपुर	१
(१६)	कानपुर	१
(१७)	लखनऊ	५
(१८)	मेरठ	५
(१९)	मथुरा	१
(२०)	मुरादाबाद	१
(२१)	शाहजहांपुर	१
(२२)	सीतापुर	२
(२३)	उन्नाव	२
(२४)	वाराणसी	४

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर।)

बाराबंकी जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक प्रकार की कन्या पाठशालाओं के नाम तथा उनकी छात्र संख्या की तालिका

क्रम-संख्या	पाठशालाओं के नाम तथा स्थान जहां पर वे स्थित हैं					छात्र-संख्या
१	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंण्डरी स्कूल, बाराबंकी			..	..	३२७
२	रफी मेमोरियल जू० हा० स्कूल, मसौली			..	..	१७
३	जूनियर हाई स्कूल फार गर्ल्स,		नवाबगंज	..	..	१८४
४	,,	,,	रुदौली	..	..	१६२
५	,,	,,	फतेहपुर	..	..	१६
६	,,	,,	दरयाबाद	..	..	८
७	प्राइमरी स्कूल	फार गर्ल्स	जैदपुर	..	..	२८
८	,,	,,	फतेहपुर	..	..	६४
९	,,	,,	कुर्सी	..	..	२९
१०	,,	,,	दरियाबाद	..	..	१०३
११	,,	,,	रामनगर	..	..	८४
१२	,,	,,	हैदरगढ़	..	..	६६
१३	,,	,,	रामसनेही घाट	..	..	४१
१४	,,	,,	सत्रिख	..	..	३४
१५	,,	,,	गनेशपुर	..	..	७५
१६	,,	,,	लक्ष्मणपुर	..	..	३२
१७	,,	,,	टिकइतनगर	..	..	५०
१८	,,	,,	बांकी	..	..	६१
१९	,,	,,	बेलेहरा	..	..	३०
२०	,,	,,	सफदरगंज	..	..	४०
२१	,,	,,	बड़ा गांव	..	..	२३
२२	,,	,,	हरख	..	..	३७
२३	,,	,,	लोधुरा	..	..	३४
२४	,,	,,	भेलसर	..	..	३३
२५	,,	,,	अहमदपुर	..	..	२५
२६	,,	,,	रसीली	..	..	५४
२७	,,	,,	देवा	..	..	२८
२८	,,	,,	सिसौना	..	..	५१
२९	,,	,,	सरसण्डा	..	..	४१
३०	,,	,,	अलियाबाद	..	..	३०
३१	,,	,,	गाजीपुर	..	..	२२
३२	,,	,,	कुटवा सड़क	..	..	२७
३३	,,	,,	कांधी त्रिलोकपुर	..	..	२८
३४	,,	,,	लालपुर	..	..	५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	पाठशालाओं के नाम तथा स्थान जहां पर वे स्थित हैं			छात्र संख्या
१	२			३
३५	प्राइमरी स्कूल फार गर्ल्स	किशनपुर	.. ..	४४
३६	,, ,,	कोटवाधाम	.. ..	३६
३७	,, ,,	सादातगंज	.. ..	५६
३८	,, ,,	असेनी	.. ..	३३
३९	,, ,,	सिधौर	.. ..	४०
४०	,, ,,	त्रिवेदीगंज	.. ..	५५
४१	,, ,,	सरायदनौली	.. ..	३३
४२	,, ,,	बरौली जाटा	.. ..	३०
४३	,, ,,	गुरौली	.. ..	३१
४४	,, ,,	गुटौना	.. ..	३०
४५	,, ,,	शिवानाम	.. .	३१
४६	,, ,,	मथुरानगर	.. ..	३०
४७	,, ,,	ठाकुरपुर	.. ..	२८
४८	,, ,,	बिड़हर	.. ..	१३
४९	,, ,,	कायमपुर	.. ..	२०
५०	,, ,,	कस्बा इचौली	.. ..	३१
५१	,, ,,	शक्लपुर	.. ..	२४
५२	,, ,,	रायपुर	.. ..	२८
५३	,, ,,	सूधी मऊ	.. ..	२५
५४	,, ,,	माटी	.. ..	२९
५५	,, ,,	हसनपुर	.. ..	३२
५६	,, ,,	तिन्दोला	.. ..	३०
५७	,, ,,	अनौली कलां	.. ..	४०
५८	,, ,,	सुबेदा	.. ..	२४
५९	,, ,,	सैदनपुर	.. ..	२५
६०	,, ,,	मकदूमपुर	.. ..	३२
६१	,, ,,	खजूरी बहिला	.. ..	२०
६२	,, ,,	इसरौली सारी	.. ..	२५
६३	रफी मेमोरियल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, मसौली		.. ..	६६
६४	गवर्नमेंट गर्ल्स बेसिक प्राइमरी स्कूल, बाराबंकी		.. ..	३४०

उपर्युक्त सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर।)

जिला	धारा १०७ के मुकदमों की संख्या	धारा १०९ के मुकदमों की संख्या	धारा ११० के मुकदमों की संख्या	धारा १०७ के मुकदमों की संख्या	धारा १०९ के मुकदमों की संख्या	धारा ११० के मुकदमों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
देहरादून	१२७	१२९	४	८१	१११	४
सहारनपुर	१,१७१	२४८	४२	१,०२७	२७६	४४
मुजफ्फरनगर ..	३६०	१६५	४१	११२	१५८	४३
मेरठ	६९६	४३७	६९	३२८	२९१	५२
बुलन्दशहर	७१	२३०	४१	९५	२७१	२०
अलीगढ़	२२१	२७८	४३	३०८	३१७	५९
मथुरा	९३	१९७	२३	३२४	१४९	६४
आगरा	१२१	४२८	३७	२५८	४९९	६०
मैनपुरी	४९०	१४१	२७	३६७	१४०	२६
एटा	६८	२४७	१५	९४	२४१	२४
बरेली	९१०	६००	७२	६८४	५१०	४३
बिजनौर	१९१	१४४	२२	२६४	१२१	१५
बदायूं	५११	४६१	४०	४७०	४३५	५२
मुरादाबाद	७७८	३१३	५४	१,२३८	३९३	५४
रामपुर	२७९	१४९	३९	२७५	१४६	४३
शाहजहांपुर	४३८	२५२	८३	३९०	२२२	६५
पीलीभीत	३८१	१४४	१२	३९७	१३८	११
फर्रुखाबाद	८५	१९९	१०६	४४६	१४८	६५
इटावा	१५१	३३५	१२२	५५६	१७७	४१
कानपुर	४६५	९०५	९८	५१२	८९६	७१
फतेहपुर	२७९	१२८	३३	२४६	१३२	३१
इलाहाबाद	६८६	२९७	३६	३९४	५२२	७२
झांसी	४१२	९४	२१	१५२	११२	२२
जालौन	१३६	७६	१६	१२४	७५	१८
हमीरपुर	७६	७५	४१	१०५	७२	२८
बांदा	४०५	१४८	२९	३६८	१०८	२३
वाराणसी	७८७	३७३	४४	७५८	२९०	४२
मिर्जापुर	२७९	९३	७६	६१	७२	१७
जौनपुर	५६९	१६५	६०	६२५	२०६	४६
गाजीपुर	४१५	१३५	६०	३४६	१३१	६१
बलिया	२०४	१०७	८२	३५२	१३७	३३
गोरखपुर	८५५	१४२	४८	४८०	१४७	५१
देवरिया	५६२	१९८	७६	४५०	२१८	१६०

जिला	धारा १०७ के मुकदमों की संख्या	धारा १०९ के मुकदमों की संख्या	धारा ११० के मुकदमों की संख्या	धारा १०७ के मुकदमों की संख्या	धारा १०९ के मुकदमों की संख्या	धारा ११० के मुकदमों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
बस्ती	९८५	१२८	५७	६२७	२३०	७१
आजमगढ़	६०१	१६२	१३३	५४८	१५४	८४
नैनीताल	४२	३८	..	६५	१६६	६
अल्मोड़ा	१५२	२	..	८४	९	१
गढ़वाल	२३	२२	..	१	११	..
टेहरी-गढ़वाल ..	७८	३	..	४८	..	..
लखनऊ	५८१	५८८	६	४१८	३९१	४
उन्नाव	४४४	२२८	४३	४९६	१२४	४३
रायबरेली	३६२	१९०	४५	२८३	१२६	१०५
सीतापुर	३५६	३५८	९०	५४७	३२५	५१
हरदोई	४८४	२३०	३८	४७७	१६२	८९
खीरी	४४३	२१९	३४	२३६	१८०	२७
फैजाबाद	६१९	१४५	३१	६५२	१६३	४०
गोंडा	५२८	१८०	४५	६१०	१५६	६८
बहराइच	२८९	१२९	४८	४६८	१३८	५१
सुल्तानपुर	१६३	१४१	२२	५६	..	..
प्रतापगढ़	२४७	१२७	१८	१४६	१३६	२८
बाराबंकी	६५२	३४४	५१	८१६	२६३	४२
जी० आर० पी० ..	..	७४२	..	..	९००	..
बृहत् योग ..	२०,३२१	१२,००४	२,२६३	१६,४६२	११,४९५	२,१७०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८७ एल० ए०—१९५९—८४५